लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक-२४, सोमवार, 14 दिसम्बर, 1970/23 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 24, Monday, December 14, 1970/Agrahayana 23, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. NO.		
692 भारत में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन कार्यालय का पुन. खोला जाना	Reopening of the Office of B.B.C. in India	1—5
693 कानपुर के प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान खाली करने के नोटिस	Eviction notices to Defence Employees of Kanpur ...	5—8
694 सिक्कम सरकार के सहयोग से दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों से तांबे का निकाला जाना	Extraction of Copper in Collaboration with Sikkim Government in Darjeeling Hill Areas ...	8—10
695 नेपाल में भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda in Nepal ...	10—14
696 हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक बेड़ा	Russian Naval Fleet in Indian Ocean	14—16
698 गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में युरिया के स्टाक में कथित कमी के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into reported shortages of Urea Stocks in Fertilizer Factory, Gorakhpur	16—18
707 तरल तथा गैस उर्वरकों का उत्पादन, वितरण तथा उनका लोकप्रिय बनाया जाना	Production, distribution and Popularisation of liquid and gas fertilizers	18—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

This sign + marked above the name of member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. NOS.		
691 ननकाना साहिब को वेटीकन का दर्जा दिया जाना	Vatician Status for Nankana Sahib	19
697 चन्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for the Central Government Employees at Chandigarh	20
699 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घाना से बिना तराशे हुए हीरों की खरीद	Purchase of Rough Diamonds from Ghana by National Mineral Development	20—21
700 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि	Rise in Pay of U.N. Staff	21
701 कच्छतिवु द्वीप पर श्रीलंका का दावा	Claim of Ceylon on Kachchativu Island	21—22
702 ईरान के साथ भारत के सम्बन्ध	India's Relation with Iran	22
703 विशाखापटनम में जस्ता प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव की क्रियान्विति	Implementation of proposal for Setting-up of Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	22—23
704 ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के द्वारा भारत विरोधी प्रसारण	Anti-Indian Broadcast by BBC ...	23
705 दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश द्वारा हथियार बेचने पर पुनर्विचार	Reconsideration of the issue of sale of Arms to South Africa by U.K.	23—24
706 चीन को संयुक्तराष्ट्र संघ का सदस्य बनाए जाने के बारे में अमरीका की नीति	U.S. Policy about seating of China in U.N.	24
708 कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समुह की स्थापना	Setting-up of Petro-Chemical Complex at Cochin	24—25

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
709	मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के लिए कम कीमत के बाल्ब	Low cost vaive for Brain Surgery	25—26
710	भारत में पश्चिम जर्मनी के राजदूत द्वारा एक दावत का बहिष्कार	Boycott of a party by West German Emvoy in India ...	26
711	नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सिर की चोट के कारण एक बच्चे की कथिक मृत्यु	Alleged Death of a child due to head injury in Safdarjung Hospatal, New Delhi	26—27
712	चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र	Indian Territory occupied by China	27—28
713	सैनिक सेवा कोर में मितव्ययिता	Economy in Army Service Corps	28
714	शाहजहानपुर स्थित आमुध कपड़ा कारखाने में आग	Fire in Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur ...	28—29
715	बालासौर के सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Enquiry against Military and Civil Officers of Balasore ...	29
716	तमिलनाडु में इंडियन कैमिकल इंडस्ट्री के सहयोग से पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Setting-up of Petro Chemical complex in Tamil Nadu in Collaboration with ICI ...	29
717	टाटा बन्धुओं की मीठापुर उर्वरक परियोजना में फेर बदल	Modification of Tatas' Mithapur Fertilizer Project	30
718	अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर पुनः बमवर्षा आरम्भ किया जाना	Resumption of bombing on North Vietnam by USA	31
719	जम्बिया में भारत मूलक लोगों के हितों की रक्षा	Protection of interests of persons of Indian Origin in Zambia ...	31—32
720	औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के लागू होने के बाद औषध निर्माता फर्मों में छटनी	Retrenchment in Drug manufacturing firms after Promulgation of Drugs (Prices Control) Order ...	32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
अल्प सूचना प्रश्न	SHORT-NOTICE QUESTIONS	
6. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता	Central Government Funds to PTI	33
4374 विशाखापत्तनम में जिन्क स्मेल्टर का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	3S—35
4375 सम्पति और थ्लेटों के स्वामित्व के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा एक माडल विधेयक तैयार किना जाना	Drafting of a Model Bill by LIC for ownership of properity and flats	85—36
4376 मंत्रियों से सम्बन्धित बिजली के बिलों की अदायगी	Payment of Electricity Bills in respect of Ministers	36
4377 ईरान की शाही सशस्त्र सेनाओं के चीफ आफ सुप्रीम कमान्डर्स स्टाफ जनरल डजाम द्वारा भारत का दौरा	Visit of Gen. F. Djam, Chief of Supreme Commander's Staff of Imperial Irainian Armed Forces to India	37
4378 ईरान के सैनिक अधिकारियों का भारत का दौरा	Visit by Army Officials of Iran to India	38
4379 आई. यू. सी. डी. कार्यक्रम	IUCD programmes ...	38—39
4380 औशध तथा कान्तिवर्धक सामग्री का उल्लंघन	Violation of Drugs and Cosmetics Act	39—40
4381 फ्रेंढस एनवलेव एण्ड एक्सटेंबन प्लाट हौल्डर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from the Friends Enclave and Extension Plot Holders Association, New Delhi	40—41
4382 मैसर्ज यूनिवर्सल कोलोनाईजर्स, दिल्ली द्वारा बेची गई बस्तियों को नियमित करना	Regularisation of Colonies sold by M/s Universal Coloniser, Delhi	41
4383 कानपुर आयुधकारखाने से चोरी छिपे बाहर निकाले गये हथियारों की बिक्री	Sale of Weapons smuggled out from Kanpur Ordance Factory	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4384	सेवानिवृत होने वाले शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास स्थान	Accommodation for Retiring Refugee Government Servants.	42
4385	इन्डियन ड्रग तथा फारमेस्यूटी कल्स लिमिटेड, मद्रास की असफलता	Poor Performance of India Drugs and Pharmaceutical Ltd. Madras	42—44
4386	मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली जीव विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अहमदाबाद में वायु दुषण एकक	Air Pollution Unit at Ahmedabad to Study Biological problems affecting human health ...	44—45
4387	गुजरांवाला हाऊस बिल्डिग कोआपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली	The Gujranwala House Building Cooperative Society Ltd., Delhi	45
4388	गुजरांवाला हाऊस बिल्डिग कोआपरेटिव सोसोइटी लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to members of Gujranwala house building cooperative Society Ltd., Delhi ...	45—46
4389	भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में तांबे तथा सीसे के निक्षेपों का पता लगाया जाना	Location of Deposits of Cooper and Lead in Madhya Pradesh by GSI	46—47
4390	फर्रुखाबाद जिले में भूतपूर्व सैनिकों के बसाये जाने के लिए सहकारी समिति द्वारा भूमि का अर्जन	Cooperative Society to Acquire Land for settlement of Ex-Servicemen in Farrukhabad District	47
4391	सैनिक अधिकारियों की निजी कारणों से विदेशी यात्रा	Visit by Armed Forces Officers Abroad for private reasons ...	48
4392	नौसेना पनडुब्बी परियोजना, विशाखापटनम के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Staff of Naval Submarine Project Vishakhapatnam	48—49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4393	स्थल सेना की जज एडवोकेट जनरल्स ब्रांच में भर्ती	Recruitment in Army's Judge Advocate Generals' Branch	49—50
4394	बहादुरगढ़, दिल्ली की बृहत योजना	Master Plan of Bahadur Garh, Delhi	50
4395	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सीधे भर्ती किये गये श्रेणी एक इंजीनियरों की नियुक्ति	Poisting of class I Direct recruit Engineers in C.P.W.D.	50—51
4396	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही	Steps to provide employment to Engineers in CPWD	51—52
4397	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद का दर्जा बढ़ाया	Upgradation of Post of Assistant Engineers in C.P.W.D.	52
4398	रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वाटरों में अनधिकृत रूप से रहना	Unauthorised occupation of Quarters in R.K. Puram, New Delhi	53
4399	भूतपूर्व ट्रावनकोर कोचीन के पेन्शन में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन	Representations from retired Personnel of former Travancore Cochin Forces regarding increase in pension	53—54
4400	अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा भारत में औषधि आयात हेतु वित्त देना बन्द किया जाना	Stoppage of financing of drug imports to India by United States Agency for International Development	54
4401	नई दिल्ली तथा बम्बई में आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थानों की स्थापना	Setting up of Ayurvedic Research Institutes in New Delhi and Bombay	54—56
4402	दिल्ली की श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालौनी के लिये सुविधाएं	Provision of amenities in Shyam Prasad Mukerjee Park Coloney, Delhi	55—56
4403	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक अभियंताओं को समयोपरि भत्ता	Overtime allowance to Junior Assistant Engineers in C.P.W.D.	56—57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4404	कलकत्ता तथा उसके आस पास पानी के जमा हो जाने की समस्या	Problem of waterlogging in Calcutta and its Neighbourhood	57
4405	मोइराँग (मणिपुर) में एक स्मारक स्थापना	Setting-up of Monument at Moirang (Mainpur)	58
4406	नई दिल्ली नगरपालिका मे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of posts for Scheduled Castes in NDMC	58—59
4408	विदेशी राजदूतावासों द्वारा अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint by Foreign Embassies	59
4409	भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए अभ्यार्थियों से धन की वसूली	Collection of Money from Candidates for their recruitment in IAF	60
4410	तीन मूर्ति भवन में हुए समारोह में अरब देशों के राजनयिकों की अनुपस्थिति	Absence of Arab Diplomats from Teen Murti House Ceremony on 4.11.1970	61
4411	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री का मध्य पूर्वी देशों का दौरा	Visit by Deputy Minister of External Affairs to Middle East Countries	61
4412	दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन के हथियारों की सप्लाई	Supply of U.K. Arms to South Africa	62
4413	कच्चातीबू द्वीप के मामले का निबटारा	Settlement of Kachchativu Island issue	62
4414	जुआरी एग्रो केमीकल्स लिमिटेड द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Fertiliser Plant by Zuari Agro Chemicals Ltd. in Goa ...	62
4415	मैसर्स पोद्दार की खानें	Mines owned by M/s Poddars ...	63
4416	नरैणा रहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार के अलाटी	Allottees of DDA Flats in Naraina Residential Scheme in Delhi	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4417	मौजा गोविंदपुर (पश्चिम बंगाल) में अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण	Land requisition for setting up of Hospital in Mohza Govindpur (West Bengal)	64
4418	भारत चीन सम्बन्ध	Sino- India Relations ...	65
4419	भारतीय पत्रकारों द्वारा संघीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की यात्रा	Indian Journalists visited FDR and GDR	66
4420	भारतीय व्यापारियों को केनिया छोड़ने के लिए मजबूर करना	Indian Traders forced to leave Keneya	66
4421	लीबिया से भारतीयों का निष्कासन	Ousting of Indians from Libya ...	67
4422	नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारतीयों को भेजे गये नियंत्रण पत्र	Invitation to Indians sent by Chinese Embassy in New Delhi	68
4423	रूस को शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों का निर्यात	Export of Surgical Tools to USSR	68
4424	मद्रास स्थित शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों के कारखाने के उत्पादकों को रूस से छोड़कर अन्य देशों से निर्यात करना	Export of Products of Surgical Instruments Plant, Madras to Countries other than USSR ...	69
4425	गोला बारूद इस्पात कारखाने का विकास	Development of Ammunition Steel Plants	70
4426	इस्पात की कमी के कारण कोयला उद्योग में संकट	Crisis in Coal Industries due to Steel Scarcity	70
4427	वाशिंग कोल का निर्यात	Export of Washing Coal	71
4428	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal ...	71
4429	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकौर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry against Managing Director, FACT	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4430	नागाओं द्वारा नागालैंड में चोरी छिपे घुसने का प्रयास	Rebel Nagas trying to sneak into Nagaland	72
4432	विवाह आयु का बढ़ाना	Raising of Marriageable Age Limit	73
4433	भटिण्डा (पंजाब) में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plant at Bhatinda (Punjab)	74
4434	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मुआवजा	Rights of Compensation to East Pakistan Refugees	74
4435	माले की फिल्म का विदेशों में दिखाया जाना	Malle's Film shown in Foreign Countries	75
4436	ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के बारे में भारत-ब्रिटेन वार्ता	Indo-British discussion about BBC	75
4437	ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Rural Area	76
4438	सीमा सड़क संगठन में इंजीनियरों की कमी	Shortage of Engineers in Border Roads Organisation	77
4439	मंत्रीयों के बंगलों और उनके नौकरों के क्वाटरों पर हुआ व्यय	Expenditure on Ministers Bungalows and their Servant Quarters	77
4440	उत्तरी वियतनाम का शिष्ट मंडल	North Vietnamese Delegation	77
4441	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान असैनिक विमानों का निर्माण	Manufacture of Civilian Aircraft during Fourth Plan	78
4442	नेपाल से निष्कासित भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians driven away from Nepal	78
4443	श्री जगमोहन सिंह पाकिस्तानी जेल में	Shri Jagmohan Singh in Pak. Jail	79
4444	डाक्टरों की कमी के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव	Adverse effect on family planning programme due to shortage of doctors.	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4445	परिवार नियोजन कार्यक्रम से लाभ उठाने वाली ग्राम्य जन संख्या की प्रतिशतता	Percentage of rural population covered by family Planning Scheme	81
4446	ब्रिटिश ब्रांडकास्टिंग कारपोरेशन के संबंध में विदेशी संवाददाता संघ के अध्यक्ष का अभ्यावेदन	Representation of President of Foreign Correspondents' Association regarding British Broadcasting Corporation ...	81
4447	कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के निवासियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by residents of Kotla Mubarakpur, New Delhi	81
4448	फरक्का बांध के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ अनुसचिवीय स्तर की बैठक	Ministerial level meeting with Pakistan on Farakka Barrage Issue	82
4449	प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा	P.M's visit of France ...	82
4450	दिल्ली में ईंटों की चोर बाजारी पर रोक	Curb on Black-marketing in bricks in Delhi	83
4451	काश्मीर पर पाकिस्तान को चीन का समर्थन	Chinese support to Pakistan on Kashmir	84
4452	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अधीन बने मकानों के आवंटन के नियमों में संशोधन	Amendment of Rules regarding allotment of houses built under the Industrial Housing Scheme of Kanpur	85
4453	इन्सपैक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स (गैर औद्योगिक) में फालतु कर्मचारी	Surplus staff of IGS (NI)	85
4454	उत्तर प्रदेश में पालिस्टर फाइबर प्लांट की स्थापना	Setting up of Polyster Fibre Plant in U.P.	86
4455	जनकपुरी कालोनी, दिल्ली में सार्वजनिक अस्पताल और औषाधालयों का खोलना	Opening of Public Hospitals and Dispensaries in Janakpuri Colony Delhi	87
4456	जनकपुरी कालोनी दिल्ली में औषधालय खोलने के लिए वहां के निवासियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Residents of Janakpuri Coloney, Delhi for provision of Dispensary ...	87

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4457	जनकपुरी बस्ती दिल्ली के निवासियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Allottes of Janakpuri Colony, Delhi ...	88
4458	नेवेली लिरनाइट कारपोरेशन को हुए लाभ तथा हानि	Profits Earned and losses suffered by Neyveli Lignite Corporation	88
4459	कूच बिहार अथवा हाशीमारा में सैनिक स्कूल/भर्ती केन्द्र स्थापित करना	Opening of Sainik School/Recruitment Centres at Cooch Behar or Hashimara	89
4460	भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों का पुनः खोला जाना	Reopening of Foreign Cultural Centres in India	90
4461	रोम में भिक्षुणियों के रूप में कार्य कर रही भारतीय युवतियां	Indian Girl working as Nuns in Rome	91
4462	निर्माण, आवास तथा नागरिक विकास विभाग में हिन्दी में कार्य करना आरम्भ किया	Switch over to work in Hindi in the Department of Works, Housing and Urban Development	91
4463	पाकिस्तानी जेलों में बंद जवान और अधिकारी	Jawans and officers in Pakistan Jails	92
4464	न्यूजीलैंड से कैन्बरा जैट विमानों की खरीद	Purchase of Canberra Jets from New Zeland	93
4465	सैनिक स्कूल, कपूरथला में वस्त्र संबंधी फीस	Clothing charges of Sainik School, Kapurthala	94
4466	सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्रों को जीवविज्ञान का शिक्षण	Teaching of Bilogy to the Students A Sainik school Kapurthala in Delhi	95
4467	दिल्ली में संसद् सदस्यों को मकान के प्लाटों का आवंटन	Allotment of residential plots to Members of Parliament in Delhi	
4468	पूर्वी पाकिस्तान को राहत सामग्री ले जाने वाले एक पाकिस्तानी हैलीकोप्टर को अनुमति न दिया जाना	Refusal of Permission to a Pakistani Helicopter carrying relief supplies to East Pakitan ...	96

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4469	मूलचन्द, खैराती लाल अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Moolchand Kharati Lal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi ...	96
4470	अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ, नई दिल्ली	Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, New Delhi	96
4471	इम्फाल स्थित जनरल अस्पताल में आंख नाक गला विशेषज्ञ	ENT Specialist for General Hospital Imphal ...	97
4472	मनीपुर में मुख्य क्षय रोग अधिकारी का पद	Post of Chief T.B. Officer, Manipur	98
4473	पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की लवण झील क्षेत्र के प्लाट	Calcutta's Salt Lake area plots in West Bengal	99
4474	भारत को दिये गये हथियारों का मूल्य	Value of Weapons supplied to India by USA and USSR ...	100
4475	प्रतिरक्षा उत्पादन में कमी	Fail in Defence production	100
4476	प्रमुख पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर	Quarters of Key personnel	100
4477	सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिली इमारत	Multi-storeyed building for Goverenment employees ...	101
4478	पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति	Current situation in West Asia ...	101
4479	दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के संबंध में एकरूप नीति	Uniform policy in regard to DDA plots	102
4480	दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं	Civic amenities in J.J. Colonies in Delhi	103
4481	मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों, क्लिनिकों स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा	Condition of Hospitals, Clinics and Health Centres in rural areas of district Midnapur (West Bengal)	103
4482	सरकारी उपक्रमों में श्रमिक संघों को उपलब्ध यात्रा संबंधी सुविधाएं	Free travel facilities to Union in Public Sector Undertaking ...	104
4483	दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र के निवासियों से ज्ञापन	Memorandum to President of India by Residents of Danapur Cantonment Board Area	104

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4484	एशियाई लेखकों का सम्मेलन	Asian Writers' Conference	104
4485	सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के आवंटन हेतु पंजीकरण	Registration for allotment of DDA plots to Governmeut employees	105
4486	चीन द्वारा अक्तूबर, 1970 में परमाणु विस्फोट	Nuclear explosion by China in October, 1970	106
4488	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों का औषध निर्माताओं को अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाना	High cost of imported drugs charged by State Trading Corporation from durg manufacturers	107
4489	विदेशों से भारतीय डाक्टरों का बुलाया जाना	Call of Indian doctors from abroad	107-109
4490	रांची में एक आयुध कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of an Ordnance Factory in Ranchi	109
4491	बिहार में प्रतिरक्षा उद्योग के लिए खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of mineral deposits for Defence Industry in Bihar ...	109
4492	मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन	Mineral production in Madhya Pradesh	110
4493	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत बने मकानों को किरायेदार को बिक्री के लिये मध्य प्रदेश की अनुमति प्रदान किया जाना	Permission to Madhya Pradesh for sale of houses constructed under subsidised Industrial Housing Scheme to tenants	111
4494	भारतीय विदेश सेवा 'ए' संवर्ग में रिक्त पड़े पद	Posts lying vacant in IFS (A) Cadre	111
4495	एम्पायर रूम के चिन्ह के रूप में अशोक चक्र का प्रयोग	Use of Ashoka Chakra as Emblem of 'Empire Room'	112
4496	पैट्रो केमिकल्स के लिए कच्चे माल के रूप में कच्चे तेल का आयात	Import of crude oil as Feed Stock for Petro-Chemicals	112-113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.		
4497 सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए दिये गए काम के लिए दी जाने वाली कापियां	Supply of Note Books for Home Task to Students of Sainik School, Kapurthala	113-114
4498 ताइवन प्रतिनिधि मंडल को बीजा का न दिया जाना	Visa not granted to Taiwanse Delegation	114
4500 तांबे में आत्म निर्भरता	Self-Sufficiency in Copper	114
4501 मुसलमानों द्वारा साउदी अरब का दौरा करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध	Permission sought by Muslims to Visit Saudi Arabia	115
4502 हज यात्रिओं की संख्या में वृद्धि	Increase in prices of Hajees ...	115-116
4503 धातुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of Metal	116
4504 भारत-अमरीकी वार्ता	Indo-U.S. Talks ...	116-117
4505 भारत में जनसंख्या में वृद्धि के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों का मत	Views of American expert on Population growth in India ...	117
4506 पश्चिम जर्मनी से भारत के संबंध	India's relations with West Germany	117-118
4507 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों, इंजीनियरों की नियुक्ति	Replacement of Foreign Experts/ Engineers by Indian Oil and Natural Gas Commission ...	118
4508 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने उद्घाटन समारोहों पर बड़ी धनराशि का व्यय	Expenditure by Oil and Natural Gas Commission on its Inaugural Functions	119
4509 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एकीकृत तेल कम्पनी में बदला जाना	Conversion of Oil Natural Gas Commission into Integrated Oil Company	119-120
4510 ग्रामीण क्षेत्रों में होम्यपैथिक औषधालय	Homoeopathic Dispensaries in Rural Areas	120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4511	भारत के बाहर समुन्द्र तट से दूर पट्रोलियम तथा खनिजों के विकास के लिये भारतीय प्रबन्धित कम्पनी की स्थापना	Floating of Indian managed Company for off-shore Petroleum and Mineral Development outside India	120-121
4512	रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता	Central Financial Assistance for Development of Rae Bareili U.P.	121
4513	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में खनिजों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Minerals fn Bauda District, U.P.	121-122
4514	नई दिल्ली से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय का स्थानांतरण	Shifting of Offices of National Mineral Development Corporation from New Delhi	122-123
4515	पश्चिम बंगाल सरकार को कोयला खान मालिकों द्वारा देय रायल्टी	Royalty payable by Colliery Owners to West Bengal Government	123
4516	मितव्ययिता के लिये उपायों की गुंजाईश	Scope for Economy Measures ...	123-124
4517	तैयार मकान खरीदने के लिये केन्द्रीय कर्मचारियों को ऋण	Loan to Central Government Employees for purchase of ready Built Houses	124-125
4518	नक्ली औषधियों। दवाईयों की बिक्री	Sale of Spurious Drugs/Medicines.	125
4519	सरकारी कार्यालयों के लिये टाइप-राइटरों की सप्लाई	Supply of Typewriters to Government Offices	125
4520	त्रिपुरा में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होना	Enforcement of House Rent Control in Tripura	126
4521	ए.बी.एम.एस. की डिग्री (तिब्बिया कालेज, दिल्ली)	Degree of ABMS (Tibiya College, Delhi	126-127
4522	धातुओं की रद्दी, अवशेष तथा टूट-फूट के उपयोग का अध्ययन करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee to Study Use of Scraps, Residues and Waste products from Metals	127

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4523	सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना	Settlement of Ex-servicemen in Border Areas	128
4524	रति रोग	Veneral Diseases ...	128-129
4525	प्रतिरक्षा मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सख्या	Strength of Class IV Staff in Ministry of Defence	129
4526	गृह निर्माण ऋण के भुगतान का नया तरीका	Revised mode of repayment of Housing Loans	129-130
4527	वियतनाम से अमरीकी सेनाओं का हटाया जाना	Withdrawal of US Forces from Vietnam	130-131
4528	मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme in Madhya Pradesh.	131
4529	खेतड़ी तांबा परियोजना को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Khetri Copper Project	131:132
4530	दुर्गापुर परियोजना द्वारा पश्चिमी जर्मनी की हार्ड कोक का निर्यात	Export of Hard Coke by Durgapur Project to West Germany ...	132
4531	गोआ में मेनमेड फाइबर प्लांट की स्थापना	Establishment of Man-ade Fibre Plant in Goa	132-133
4533	नायलोन धागा संयंत्र की स्थापना	Setting up of Nylon Yarn Plants ...	133-134
4534	सैनिक आदेश संख्या 12683 रेस 41/1943 के तथा अध्यादेश संख्या 36 का वापस लिया जाना	Withdrawal of Military Order No 12683/Res./41 and Ordinance No. XXXVI of 1943	134-135
4535	हाजी मस्तां को दिये गये यात्रा संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	Signatures on Travel Documents of Haji Mastan	136
4536	हाजी मस्तां को दिये गये यात्रा संबंधी दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर के बारे में जांच	Enquiry into Forged Signatures on Travel Documents of Haji Mastan	136-137
4537	पश्चिम बंगाल द्वारा आवास निधि का उपयोग न किया जाना	Non Utilisation of Housing Fund by West Bengal	137

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4538	काशीपुर गन एण्ड शेल फैक्टरी में मार्च, 1969 में हुई घटनाओं के संबंध में नियुक्त की गई जांच समिति	Enquiry Committee set up in respect of Cossipore Gun and Shell Factory happenings in March, 1969	137-138
4539	पश्चि बंगाल स्थित आयुध कारखाने से चोरी	Theft in Ordnance Factory, West Bengal	138
4540	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादों पर वजन अंकित किया जाना	Indication of Weights by Hindustan Lever Ltd. on its Products	138-139
4541	हिन्दुस्थान लीवर लिमिटेड	Hindustan Lever Ltd.	139-140
4542	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शिविर लगाये जाने वाले मैदानों से आय	Income from camping Grounds of States and Union Territories ...	140
4543	इंजीनियरी डिप्लोमा डिग्री धारियों के लिये सेनाओं में कमीशन के कुछ पदों का आरक्षित रखाना	Reservation of Seats for Diploma/ Degree Holders in Engineering for Commission in Defence Forces.	140-141
4544	सरकारी कर्मचारियों के लिये बहु मंजिले क्वार्टर	Inadequate open space in Multi-Storeyed Quarters for Government Employees	141
4545	विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश में स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना	Setting up of Health Laboratories in the country with the help of W.H.O.	142
4546	विदेशी सहायता प्राप्त कम्पनियों की तेल शोधन क्षमता का विस्तार	Expansion of Refining Capacity of Foreign Oil Comapnies ...	142
4547	परिवार नियोजन के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना	Setting up of Expert Committee on Family Planning	142-143
4548	जवानों की भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता	Educational Qualification for Recruitment of an Army Jawans	143
4550	अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग के बारे में नियमों का बनाया जाना	Codification of Rules about the Use of Water of International Rivers	144

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4551	लुसाका सम्मेलन में भाग लेने वाले देश	Countries which participated in the Lusaka Conference ...	144
4552	कलकत्ता में आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक का शिलान्यास	Laying of Foundation Stone of Azad Hind Martyrs Memorial in Calcutta	145
4554	सैनिक स्कूल कुंजपुरा के छात्रों को दिया जाने वाला भोजन	Meals served to students of Sainik School, Kunjpura	145-146
4555	पूर्ति तथा निपटान महादिशालय से व्यापारिक संबंध रखने वाले फर्मों में नियुक्ति किये ये गए कार्यालय के अधिकारियों के लड़के	Sons of officers employed in firms dealing with DGS and D ...	146-147
4556	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियोंके व्यक्ति जिन्होंने उच्चायुक्त अथवा राजदूत के पद पर कार्य किया	Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes served as High Commissioners and Ambassadors	147
4557	उड़ीसा में किरी बुरू बस्ती के लिए किरी बुरू पर्वतीय शिखर प्रदेश का विकास	Development of Kiriburu Hill top area in Orissa for Kiriburu Township	148
4548	मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के लिए सर्वेक्षण	Survey for Underground Water in Madhya Pradesh	148
4559	हिन्दुस्तान एन्टीबोयोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा बौनस की मांग	Bonus demand of workers of Hindustan Antibioties Limited...	149
4560	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Geological Survey of India	149
4561	विस्फोट पदार्थों के कारखानों में विस्फोट गोलमाल	Explosive Scandal in Explosives Factory	150-151
4562	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इमारती नक्शानविशों में असंतोष	Frustation among Architecutral Draftsmen in C.P.W.D. ...	
4563	तमिलनाडु में इलैक्ट्रोनिस के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of an Electronics Factory in Tamil Nadu ...	151

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4564	मद्रास नगर में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistants for Slum Improvement in Madras City ...	152
4565	तमिलनाडु में अनिवार्य औषधियों की कमी	Shortage of Essential Drugs in Tamil Nadu...	152
4566	नई दिल्ली में तमिलनाडु हैंडी-क्राफ्ट्स एम्पोरियम के लिये बैंक-लिपक प्लाटों का दिया जाना	Allotment of Alternate Plot for the Tamil Nadu Handicrafts Emporium in New Delhi ...	153
4567	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में में टाइप I के क्वाटरों के अलाटिओं के अभ्यावेदन	Representation from Allottees of Type I Quarters in Srinivaspuri New Delhi	153-154
4568	छावनियों में केन्द्रीय सरकार के कब्जे की गैर सरकारी सम्पति	Private Property occupied by Central Government in Cantonment	154-155
4569	सैनिक अधिकारियों के लिये छावनियों में मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Army Officers in Cantonment ...	155
4570	सरकारी गोदामों में अपरिष्कृत में पड़ी हुई आयातित डी.डी.टी.	Imported DDT lying unprocessed in Government Godowns ...	155-156
4571	महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये निधि का नियतन	Allocation of Fund for Slum Clearance in Maharashtra ...	156
4572	सोडियम साइक्लेमेट की बिक्री पर प्रतिबन्ध	Ban on sale of Sodium Cyclamate.	157
4573	पश्चिमी बगाल के देहाती क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Family Planning Centres in Rural Areas of West Bengal	157
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	158
	भूतपूर्व क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा और कष्टों के निवारण के लिये सरकार से अपील	Appeals to Government by former revolutionaries and freedom fighters for mitigation of their sufferings	158

श्री के. एन. तिवारी	Shri K. N. Tiwary	... 159
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	... 160-164
मध्यावधि चुनाव के बारे में	Re. Mid term Poll ...	... 164-166
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	167
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	168
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	168
18 वां तथा 19 वां प्रतिवेदन	Eighteenth and Nineteenth Reports	168
पश्चिमी बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम, 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. West Bengal (Prevention of Violent Activities) Act, 1970 and West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1970	169
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ...	... 169-170
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	... 171
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	... 171-174
श्री सु.कु. तापड़िया	Shri S. K. Taparhia ...	... 174-175
श्री रा.डी. भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ...	... 175-176
श्री ही.ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ...	... 177-178
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	... 178-179
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ...	179
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	... 179-181
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	... 181-182
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	... 182-184
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	... 184-187
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao ...	187
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badruduja ...	... 187-188
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ...	188
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridiv Kumar Chaudhuri ...	188-189
श्री क.ना. तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	189
भेषजों तथा औषधियों के मूल्य के बारे में चर्चा	Discussion re. Prices of Drugs an Medicines	190
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	... 190-191
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhirewar Kalita ...	... 191-192

श्री छ.म. केदरिया	Shri C. M. Kedaria	192
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	... 192-193
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	194
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	195
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	195
डा. त्रिगुणा सैन	Dr. Triguna Sen	... 195-199

लोक–सभा

LOK SABHA

सोमवार, 14 दिसम्बर 1970/23 अग्रहायण 1892 (शक)
Monday, December 14, 1970/Agrahayana 23, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at three Minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री स० यो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आप से प्रार्थना करूं कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के परिणामस्वरूप श्री चन्दगी राम तथा कुमारी संधु को बधाई दें ?
(अन्तर्बाधाएं)***

अध्यक्ष महोदय : हम सब को इस से बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पहलवान, श्री चन्दगी राम तथा कुमारी संधु ने स्वर्ण पदक जीते हैं···
(अन्तर्बाधाएं)***

अध्यक्ष महोदय : बधाई के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित्त नहीं किया जायगा ।

भारत में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के कार्यालय का पुनः खोला जाना

*692. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री रामकिशन गुप्त :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की इस प्रार्थना पर पुनः विचार कर रही है कि उसको भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) इस बारे में ब्रिटेन की सरकार भारत से सम्पर्क बनाए हुए है ।

(ख) इस मामले में कोई नया निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

Shri Meetha Lal Meena : The Question of closing down B. B. C's office in India arose before the Government as a result of screening of " oh Calcutta" film produced by Louis Malle of France. The Government of India pressed B. B. C. to stop screening of that film, the Government of India objected to its screening. But when B. B. C. refused to stop screening the film, the Government of India had to order closure of their office in India.

Which are the other countries in which these films "oh, Calcutta" have been re-screened ? Which are the countries who have screened this film and other such films and what action has been taken against such countries ?

My second question is about the Press Agency of Cuba against which many M.P.'s have given in writing that the representatives of this Press Agency are engaged in activities against the interests of India practically every week they visit Calcutta and meet Naxalites. The Government of Cuba has not agreed to our reguest about not to screen this film. In view of this what action has been taken by the Government against the Press Agency of Cuba, as also against other countries ?

Shri Surendra Pal Singh : Sir, this question has already been replied but I am prepared to repeat the same again that this film "oh, Calcutta" produced by Louis Malle has been screened at many places. It has been screened at Cuba and West Germany and possibly it may also have been screened at one or two other places. Wherever our Embassies came to know of its screening we lodged protests with the Governments of such countries through our Embassies to the effect that the screening of this film is not good. It is correct that these Governments have expressed their helplessness to stop its screening in their countries. While expressing their helplessness certain countries have printed toward their local laws and certain other have given some other reasons.

So for as the question of closure of office of the B. B. C. in India is concerned, it has already been stated that the Government of India had to order the closure of their office in India in the event of their refusal to stop screening of Louis Malle's film "oh, Calcutta". Apart from this, as the House is aware, the reporting of B. B. C. has been anti-Indian for quite some time and those reasons and the question of this film had a commulative effect. Due to all these reasons the Government of India took action against it.

With regard to Hon. Member's question about the action taken by the Government against press agencies of other countries, I have to state that those agencies do not have their offices in India so that they could be closed. B. B. C. had their office and therfore that was closed.

Shri Meetha Lal Meena : Sir, when Shri Gujral had been to England recently, there was a news item in the papers that Shri Gujral had given a statement to the effect that we would shortly allow re-opening of B. B. C. office in India. What is Government's reaction to this news-item ?

Shri Surendra Pal Singh : Sir, it is a fact that certain British officials and representatives of B. B. C. had held discussions with Shri Gujral when he recently went to England.

During those discussions it was pleaded on their behalf that B. B. C.' case may be reviewed and it was suggested that B. B. C. may be permitted to re-open its office in India. Our Minister had told them that there were many complaints against them and there were many reasons in favour of closure due to which it had to be closed down. Before we take any action in regard to its re-opening or review the position, it is necessary that we should be satisfied in this regard and necessary action taken to remove the complaints only then we shall reconsider the issue.

Shri Shiva Chandra Jha : I want to know from the Hon'ble Minister whether there were any complaints against B. B. C. prior to our ordering them to close down in India, which reached its climax with Louis Malle affair and you decided to stop them from operating in India ? Secondly, this request for rescission of the decision, a climate is being created in their favour and if you permit them to reopen their office, would you set any terms to be agreed to by B. B. C. before giving them permission to do so? If you have decided about the terms what are the details in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : We have not so far received any substantial proposal. During the course of discussions with B. B. C., it was stated by Shri Gujral that we had got many complaints with regard to the behaviour of B. B. C. and when it amends itself and after that if it makes a request to us we shall consider. Neither any proposal has so far been received nor there is any question of considering it. As yet, no permission is being granted to them. As to the complaints against B. B. C. it is difficult to give details at this moment. But it can be stated that its broadcasts during Rabat episode have been against us.

Shri Shiva Chandra Jha : My second question was, though no proposal has so far been received, would you permit its reopening or not or would you set any terms or code of functioning in this regard ? Hon'ble Minister can very well reply to this point whether they have thought of imposing certain conditions or not ?

Shri Surendra Pal Singh : We have not drawn up any terms or conditions. We have only stated that we have been receiving a number of complaints against B. B. C. and then this action was taken. Now the suggestion should come from B. B. C. or British Government as to how they would remove the course of complaints, so that such things do not happen in future, then we shall consider.

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उपमंत्री ने बताया कि भारत में बी० बी० सी० कार्यालय बन्द करने का कारण उन की भारत विरोधी कार्रवाईयाँ थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि किसी कार्रवाही से भारत विरोधी निर्धारित करने का मानदंड क्या है और क्या उन सभी समाचार एजेन्सियों या प्रसारण निकायों को भी, जिनकी कार्यवाईयाँ भारत-विरोधी थीं या हैं, बन्द कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे देशों के दूतावासों एवं समाचार एजेन्सियों को बन्द नहीं किया गया था, जो भारत के युद्ध में भारत के प्रतिपक्षी की अर्थात चीन तथा पाकिस्तान ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जैसा कि सदन को पता है हम विश्व-प्रेस एवं भारतीय प्रेस को भारत के संबंध में प्रकाशनों में पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं । मैंने केवल इतना कहा था कि बी० बी० सी० के विरुद्ध इस अवसर पर कारवाई इस कारण की गई कि उन्होंने अपने टेलीविजन-प्रबन्ध पर लुई माल की फिल्म दिखलाई थी और इस विषय में अन्तिम निर्णय पहिले ही हो चुका है । उनके द्वारा लुई में माल की फिल्म के दिखाये जाने को हम उचित नहीं मानते और हम समझते हैं कि हमारे देश को बदनाम करने के विचार से ऐसा किया गया था । हम प्रेस को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेंगे लेकिन उसके साथ ही उन लोगों को भी हमारे देश को

बदनाम करने तथा हमारे देश के संबंध में गल्त बातें कहने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए। विदेशी प्रेस को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने तो समाचार एजेंसियों या प्रसारण निकायों की भारत विरोधी कारवाइयों का निर्धारण करने के मानदंड के संबंध में पूछा था।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वस्तुतः उस प्रश्न का मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मैं इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं बतला सकता। परन्तु मैं कह सकता हूं कि मानदंड सामान्यता इस प्रकार से है कि यदि कोई विदेशी संवाददाता या विदेशी एजेंसी जान बूझ कर भारत को बदनाम करने का प्रयास करती है या इसकी सूचनाओं का रुख हर समय भारत-विरोधी रहता है तो हमारे देश के संबंधित अधिकारी आवश्यक रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

Shri Madhu Limay : I am a supporter of freedom of speech and freedom of Press and I therefore do not want any curb in India on any Radio or any News Agency. But it pains us when we find that Government has taken action against B. B. C. but Government keeps mum when Radio Moscow or Tashkant Radio indulge in criticising certain parties or leaders of this country. Perhaps the Government feels that that party is not a part of this country or it does not come at par with their party. It can be its own thinking. But other people and other parties are also belong to this country. Therfore whether it is Tass or Tashkant Radio or B. B. C. or any other Agency, as a matter of policy everybody should have felt liberty. If they commit some mistake, people of this country understand that. In the circumstances would the hon'ble Minister make such an announcement so that the misunderstanding being created in the world that dictatorship is being established in the country or some restrictions are being imposed, could be cleared ?

Shri Surendra Pal Singh : I can only say the Government is not taking any such action which may create the impression that certain restrictions are being imposed on foreign press Representatives or that they do not have freedom to work. We also believe that they should have freedom of work. But when any Representative writes such articles as are against our country we have to take action. The hon member has mentioned Radio Moscow also. On earlier occasions also it has been referred.....

Shri Madhu Limaye : I do not want any restrictions on it.

Shri Surendra Pal Singh : Everybody has got freedom. But whenever there have been such broadcasts on Radio Moscow we have told them that this is not good and it should not happen. But action has been taken against B. B. C. due to the fact that it had an office functioning here. Radio Moscow and Radio Peace and Progress do not have any office here. We have drawn the attention of the Soviet Government towards this and protested against it. They have replied to our communication and assured us that such things would not recur.

श्री अनन्त राव पाटिल : जहाँ तक विदेशी समाचार एजेन्सी तथा रेडियो एवं टेलीविजन एजेन्सियों द्वारा प्रचार तथा प्रसार का संबंध है सरकार को इस पर कड़ी नजर तथा नियन्त्रण रखना चाहिये। परन्तु अचम्भे की बात यह है कि हमें प्रतिदिन दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त से इस प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक, दुर्भावना पूर्ण होता है और उसमें भारत विरोधी सामग्री होती है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कारवाई करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह किस संबंध में है ? पाकिस्तान के विरुद्ध ?

श्री अनन्त राव पाटिल : हाँ, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । यह प्रश्न नहीं उठता । इस समय तो बी० बी० सी० पर विचार हो रहा है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : No body can deny that B. B. C. has been continuously engaging itself in anti-Indian activities. It is a separate issue whether any action should be taken against it or not and what action should be taken ? But we find that it has become a mission with B. B. C. to endulge in anti-Indian propoganda. I want to know whether it is a fact that B. B. C. has sought our permission to work in this country during the period of visit of British Prime Minister to India ? If they have sought this permission what is Governments reaction in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : It is a fact that B. B. C. had sought permission to send their correspondent to cover the visit of the the British Minister's visit to India. In the beginning they had sought permission for one individual. About that individual we replied that there were many complaints against him. As such permission would not be granted in his case, but if they want to send any other person on that occassion this Government would not have ony objection to that.

कानपुर के प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान खाली करने के नोटिस

*693. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में बनाई गई श्रमिक कालोनियों में रहने वाले 4,000 प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान खाली करने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उन कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे चाहें तो उन क्वार्टरों को खरीद सकते हैं ;

(ग) क्या सैकड़ों मजदूर अपने आवेदनपत्र पहले ही भेज चुके हैं ; और

(घ) सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कर्मचारियों से मकान खाली कराने से रोका जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचनानुसार 34,00 रक्षा कर्मचारी कानपुर के इन मकानों में रहते हैं । मोटे तौर से ये कर्मचारी 3 वर्गों में आते हैं । प्रथम तो वे कर्मचारी हैं जिन्हें राज्य सरकार ने ये मकान तब अलाट कर दिये गए थे, जब पात्र व्यक्ति उन्हें लेने के लिए आगे नहीं आए ; दूसरा वर्ग उन किरायेदारों के अलाटियों का है ; तीसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्होंने इन मकानों पर

उस समय जबरदस्ती कब्जा कर लिया था जब कि ये मकान राज्य सरकार के श्रम विभाग को सौंपे भी नहीं गए थे। इन मकानों के अलाटमेंट के नियमानुसार राज्य सरकार ने गैर कानूनी कब्जे वालों को इन मकानों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिये।

(ख) से (घ) : इस मंत्रालय ने कई बार यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है और उनसे अनुरोध किया है कि खाली कराने की कार्रवाही को बचाने के लिए कोई हल खोजा जाए। राज्य सरकार ने बताया है कि वे उन लोगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाने को तैयार है जिन्हें ये मकान सीधे अलाट किये गए थे अथवा प्राधिकृत अलाटी द्वारा दिये गए थे, लेकिन वे उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने निर्माण एजेंसी मकानों की राज्य सरकार को सोंपने से पूर्व ही उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। दूसरे वर्ग की संख्या 305 है।

उत्तर प्रदेश सरकार को यह सलाह दी गई थी कि राज्य सरकार इन मकानों को निम्न आय आवास योजना के अन्तर्गत ले ले। राज्य सरकार ने इन मकानों को किराया-खरीद आधार पर देने के लिए पूछताछ की, यद्यपि उक्त सलाह उन्हें मान्य नही थी। डी०जी०ओ०एफ० संगठन ने भी उन लोगों की सख्या के बारे में पूछताछ की जो किराया-खरीद पद्धति पर इन मकानों को खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन, इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि मकान इस आधार पर उपलब्ध होंगे। आगे और पूछताछ होने पर काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस किराया-खरीद आधार पर मकानों को खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंत्रालय के प्रस्ताव को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि जिस संघठित योजना के अन्तर्गत इन मकानों को बनाया गया था, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी उससे तब भी बाहर रहते हैं, यदि फैक्टरी अधिनियम 1948 में दी गई श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत भी आते हों। इस मंत्रालय ने कई बार यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया है कि श्रमिकों को बेदखल न किया जाए। मामला निर्माण, आवास और शहरी विकास और वित्त (रक्षा विभाग) की सलाह से रक्षा मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। यह बताया गया है कि जब तक उक्त मामले का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता, राज्य सरकार द्वारा और बेदखली नहीं की जाएगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी सूचना यह है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों की संख्या 4000 है, जबकि इस विवरण में उनकी संख्या 3600 बताई गई है। विवरण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस मंत्रालय का प्रस्ताव इस कारण से स्वीकार नहीं किया कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी उस योजना के विस्तार में नहीं आते जिस स्वीकृत योजना के अधीन ये मकान बनाए गए थे चाहे वे कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार श्रमिकों की श्रेणी में भी आते हों। औद्योगिक आवासन योजना के अधीन वे सभी श्रमिक हैं। यह विशिष्ट योजना स्वर्गीय पंडित नेहरु के अनुरोध पर 1956 में बनाई गई थी जब वह कानपुर के दौरे पर गए थे और लोगों को गन्दी बस्तियाँ जलाने को कहा था। अब हम सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के बीच भेदभाव देखते हैं। आज के आधुनिक युग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हमें बताया है कि उन्होंने नियमों में संशोधन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के निर्माण, आवास मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हर समय जानकारी देते हैं। प्रश्न पूछने का यह उचित ढंग नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस विषय पर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता रहा हूँ...

अध्यक्ष महोदय : परंतु इस सब का उल्लेख करने का यह अवसर नहीं है। उन्हे सीधा प्रश्न पुछना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा गैरसरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच भेदभाव समाप्त करने के विचार से उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय नियमों में संशोधन करने के लिए इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को पहले ही लिखा है और यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जगजीवन राम : राज्य सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवासन योजना गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है न कि राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए। जब राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवासन योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण किया गया था तब यह मकान लोकप्रिय नहीं थे, अतः ये मकान असैनिक प्रतिरक्षा अर्मचारियों को अंबटित कर दिए गए थे . . .

श्री स० मो० बनर्जी : इनका निर्माण प्रतिरक्षा भूमि पर किया गया था।

श्री जगजीवन राम : मेरे ध्यान में यह मामला उस समय आया जब मैं कानपुर जा रहा था और मैंने तत्काल इस पर ध्यान दिया और यह घोषणा की कि जब तक इस विषय को अंन्तिम रूप नहीं दिया जाता तब तक किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। इस विषय की जाँच की जा रही है। मुझे विश्वास है कि हम कुछ ऐसा प्रबन्ध कर लेंगे जिसके ननुसार यह मकान उन लोगों को किराया-खरीद आधार पर आबंटित कर दिए जायें जो इन्हें खरीदने के लिए सहमत हैं या जो किराया दे रहे होंगे उन्हे उन मकानों में रहने की अनुमति दे दी जाए। परन्तु इस संबध में ब्यौरा निश्चित करने में कुछ समय लगेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि विवरण के अन्तिम भाग में यह बताया गया है कि जब तक इस विषय में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार शायद बेदखली की कार्यवाही न करे। परन्तु यह शब्द शायद मेरे मन में सन्देह उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि ऐसा नहीं किया जायेगा। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे अपने सहयोगी श्री के० के० शाह के साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि नियमों में संशोधन हो ? उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया है और वे कहते हैं कि नियमों में संशोधन करना केन्द्रीय सरकार का काम है। मैं जानना चाहता हूं कि मामले को अंतिम रूप देने के लिये क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस मामले को निर्माण तथा आवास मंत्रालय के साथ उठा लिया है ?

श्री जगजीवन राम : मैं नियमों में संशोधन के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि किसी विशेष बस्ती के लिये नियम संशोधित नही किये जा सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है ।

श्री जगजीवन राम : हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मामला भेजा हो । लेकिन यह योजना अखिल भारतीय योजना है और इसकी छानबीन इसी दृष्टि से करनी है । जैसा कि मैंने कहा अंतिम निर्णय तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जायेगा ।

Shri Chandrika Prasad : Will you give preference to those armed personnel who have good careers and have also housing problem but belong to backward and neglected areas?

Mr. Speaker : How has this question cropped up. This question pertains to Kanpur You should atleast see the question.

सिक्किम सरकार के सहयोग से दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों से ताँबे का निकाला जाना

*694 **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनन निगम ने सिक्किम सरकार के सहयोग से दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों से नाथ बंगाल कापर फैक्टरी नामक एक नई परियोजना के अन्तगत ताँबा निकालना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र से ताँबा निकालने के लिए विस्तृत योजना क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सैन) (क) हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किसी कम्पनी ने एक नई प्रायोजना के अधीन, जो कि उत्तरी-बंगाल ताम्र फैक्टरी के रूप में विहित है, सिक्किम सरकार के सहयोग से दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में ताम्र-निष्कर्षण प्रारम्भ किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय के उत्तर को समझना बहुत मुश्किल काम है और यह समझना भी मुश्किल है कि हम किस भाग को ठीक मानें क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ बोलती है और यहाँ मंत्री महोदय कुछ और ही बोलते हैं । मेरे पास रिपोर्ट है और मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं···

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अपना प्रश्न पूछने दीजिये । कोई भूमिकाएं आदि न बाँधे, जिन्हें मैं नहीं मानूंगा :

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं इसी मामले के बारे में पूछ रहा हूं और मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधा प्रश्न पूछने दीजिये ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं इस मद की सूचना पश्चिम बंगाल सलाहाकार समिति की बैठकों की कार्यावली के लिये 1968 से देता आ रहा हूं जब की वहाँ राष्ट्रपति शासन था और इसकी बैठक के लिये यह सूचना अब भी दी गयी है । राज्य सरकार के उत्तर में कहा गया है कि :—

भारत तथा सिक्किम सरकार द्वारा सांझे तौर से शुरु की गयी ताँबे की एक छोटी सी खान को छोड़कर यह सिद्ध नहीं हो सका कि दार्जिलिंग ज़िले का सारा क्षेत्र ताँबे, कोयले तथा चूने के मामले में समृद्ध है । कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं लेकिन इन सब धातुओं के लिये गहरी खोज ज़रुरी है" ।

यह स्पष्ट है···

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद नहीं होना चाहिए । सूचना प्राप्त करने लिये प्रश्न पूछिये ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : पश्चिम बंगाल सरकार के वकतव्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि भारत तथा सिक्किम सरकारों ने मिलजुल कर दार्जीलिंग तथा उत्तरी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में तांबा निकालने की योजना शुरु की है । लेकिन मंत्री महोदय यहां कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते ।

क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सन् 1945 तथा 1946 के दौरान दार्जीलिंग क्षेत्र तथा उत्तरी बंगाल क्षेत्र में तांबा तथा अन्य धातुओं को निकालने के सम्बंध में समुचित भूवैज्ञानिक खोजें की गयी हैं । उस बात को ध्यान में रखते हुऐ तावां निकालने के लिये उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण सम्बंधी एक योजना तैयार की गयी । दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद कुछ नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे अपना प्रश्न पूछेंगे या नहीं ?

श्री बे० कृ० दास चौधरी : इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुऐ मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस क्षेत्र में तांबे, चूने आदि धातुओं का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिये सहमत हैं ?

डा० त्रिगुण सैन : माननीय सदस्य ने प्रश्न को उलझा दिया है । प्रश्न यह था कि क्या भारतीय खनन निगम ने तांबा निकालने का काम शुरु कर दिया है । मैंने कहा कि हमारे पास ऐसी कंपनी के बारे में कोई सूचना नहीं । वास्तव में हमारे पास सम्बंधित मंत्रालय से सूचना है कि उस क्षेत्र में तांबा निकालने सम्बंधी कोई योजना नहीं हैं । दार्जीलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों से तांबा मिलने के कोई संकेत नहीं मिले । इन्होंने इसे सिक्किम खान निगम नामक दूसरी योजना से जोड़ दिया है, जिसे भारत सरकार के सहयोग से शुरु किया गया है । यह उत्तरी बंगाल कंपनी, जो मौजूद नहीं, से बिलकुल भिन्न है ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मंत्री महोदय से मेरा यही निवेदन है कि तांबा, जस्ता आदि धातुओं के लिये वे भूविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करवायें ।

डा० त्रिगुण सैन : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था इस क्षेत्र में सर्वेक्षण करती आ रही है । दार्जीलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में तांबे की खान के कोई लक्षण नहीं मिले । लेकिन वे भारत के सभी भागों का सर्वेक्षण कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिक्किम के सहयोग से चलने वाली उत्तर बंगाल तांबा कारखाने की इस योजना का क्या बना । मैं श्री दास चौधरी की इस बात से सहमत हूं कि भूविज्ञान सम्बंधी कुछ सर्वेक्षण हुऐ थे। यह आश्चर्य की बात है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान भारत सरकार इस सम्बंध में निश्चित उत्तर नहीं दे सकती । इन पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तरी बंगाल की हमेशा उपेक्षा होती रही है । यह बात बहुत अच्छी होगी यदि मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि बहुत शीघ्र भूविज्ञान सम्बंधी सर्वेक्षण किये जावेंगे ।

डा० त्रिगुण सैन : जैसा मैंने पहले कहा और अब भी कहता हूं कि भारतीय खनन निगम नामक कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्पष्ट ही था लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा रहा है ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : प्रश्न यह था कि क्या कोई भूविज्ञान सर्वेक्षण कराया जावेगा ? इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है ।

नेपाल में भारत विरोधी प्रचार

*695. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :

श्री दण्डपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में भारतीय माल के बहिष्कार के लिए भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत-नेपाल व्यापार संधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भारत से कपड़ा, नमक और मिट्टी के तेल की सप्लाई नहीं होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गलत धारणा को दूर किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका कहाँ तक प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : नेपाल के कुछ अखबार इस आशय की खबर छापते रहे हैं कि नई सन्धि न होने की सूरत में भारत अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई बन्द कर सकता है । काठमांडू

स्थित हमारा राजदूतावास, जहाँ कहीं जरूरत होती है, गलत खबरों का खण्डन करने के लिए कदम उठाता रहा है और इसका वाँछित प्रभाव भी पड़ा है। हालाँकि बातचीत का अन्तिम दौर स्थगित कर दिया गया और 1960 की संधि की बैधता की तारीख समाप्त हो गई, फिर भी भारत सरकार ने माल का सामान्य रूप से आना-जाना और व्यापार यथावत रखा। इस बात के लिए नेपाल सरकार और वहाँ के लोगों द्वारा सराहना की गई।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बिगाड़ने के लिये अब तक काफी कुछ हुआ जो अब पुनः नहीं होना चाहिये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि व्यापार वार्ता पहले दो बार स्थगित की गयीं और आज तीसरी बार स्थगित हुई। कोई भी समाधान नज़र में नहीं आ रहा। वैदेशिक कार्य-मंत्री श्री स्वर्णसिंह ने कहा है कि नेपाल अपनी सही माँगों को पूरा कर सके, इसके लिये भारत कभी-कभी पीछे भी मुड़ा है। इस सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि नेपाल-भारत के बीच संधिवार्ता के रास्ते में क्या बुनियादी बाधाएं थीं और किस ढंग से, किस क्षेत्र में भारत नेपाल की सहायता के लिये पीछे मुड़ा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा प्रयोग किये गये असली शब्दों की मुझे कोई भी जानकारी नहीं लेकिन यह बात सच है कि हमने नेपाल की सहायता के लिये यथा सम्भव प्रयत्न किये हैं। वास्तव में कई मामलों में तो हम इस मामले में अन्तराष्ट्रीय जरूरतों से भी आगे बढ़ गये। मुझे बातचीत की मौजूदा स्थिति तथा नेपाल सरकार के साथ हो रही वार्ता की कोई जानकारी नहीं यह सच है कि बातचीत हो रही है और कुछ कठिनाईयाँ खड़ी हो गयी हैं और दोनों पक्ष इन्हें दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री देवकीनंदन पाटोदिया : कठिनाईयाँ क्या हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अगर मैं गलत नहीं, तो कहूंगा कि दो मुख्य बातों पर ही वार्ताएं विफल हुई हैं। एक नेपाल की जर्मन के रास्ते पाकिस्तान जाने की माँग है। हमने इन्हें समुद्र का रास्ता दिया है हमने उन्हें समुन्द्र का दूसरा रास्ता देना भी स्वीकार कर लिया है लेकिन राधिकापुर होकर अपना माल भेजने का उनका एक ऐसा आग्रह है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और जिससे कठिनाई पैदा हो रही है। दूसरी कठिनाई व्यापार का निक्षेप है, जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों को पहले ही है ···।
खुली सीमा होने के कारण नेपाल में कुछ चीजें जा रही हैं जिनका वहाँ से पुनः निर्यात होता है और नेपाल इनकी बिक्री से विदेशी मुद्रा कमाता है जिस पर हमें आपत्ति है। हम उन्हें कह रहे हैं कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे व्यापार के इस निक्षेप को रोका जा सके।

इन दो मुख्य बातों पर ही वर्तमान वार्ता चल रही है। वर्तमान स्थिति की मुझे जानकारी नहीं लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अभी मौजुदा संबन्ध लागू हैं। नेपाल को सब माल जा रहा है और किसी भी पक्ष को कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मूल करार 31 अक्तूबर को समाप्त हो गया है, जो अब भी पहले की तरह चल रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार नये करार कब तक बनायेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वर्तमान करार को दिसम्बर 1970 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। अब भी बातचीत चल रही हैं और हमें आशा है कि उस समय तक ये सारे मामले सुलझ जावेंगे और हम नेपाल के साथ संधि कर चुके होंगे।

श्री ई० के० नायनार : नेपाल के वाणिज्य मंत्री ने कल काठमाँडु में कहा है कि चार-पाँच मामले सुलझाने के लिये हैं। उन्होंने हाल में यह भी कहा है कि नेपाल उस समय तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक भारत उन सुविधाओं को न दे जो आजकल दी गयी हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या उनका वक्तव्य ठीक है ? वे वर्तमान सुविधाएं क्या है जिन्हें भारत सरकार ने अस्वीकार किया है ? वे चार-पाँच मामले क्या हैं जो अभी सुलझाने को हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा मैंने पहले कहा यह मामला मेरे मंत्रालय से सम्बंधित नहीं और मेरा उन चार-पाँच बातों से कोई सम्बन्ध नहीं जो उठाई गयी हैं लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि ये बातें दो से अधिक हैं और चार-पाँच भी हो सकती हैं। मुझे ब्यौरे की जानकारी नहीं लेकिन नेपाल की यह शिकायत ठीक नहीं कि उन्हें वे सुविधाऐं नहीं दी जा रहीं जो पहले दी जाती रही हैं। जो कुछ हम पहले करते रहे, वह अब भी करने को तैयार हैं। लेकिन वे कुछ और सुविधाऐं चाहते हैं जिन्हें देना हमारे लिये कठिन है।

श्री ई० के० नायनार : ये कहते हैं कि इन्हें मालूम नहीं वाणिज्य मंत्री कहाँ हैं ? वह इसका उत्तर दे दें।

श्री मती इलापाल चौधरी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रचार के कारण 'भूतेनून' नामक चीन का नमक नेपाल के बाजारों में काफी मात्रा में आ गया है ? नेपाल को नमक के निर्यात से हमें काफी आय होती है। मैं जान सकता हूं कि क्या 'भूतेनून' नामक नमक जो भारतीय नमक से सस्ता है, । को नेपाल के बाजारों में आने से रोकने के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह कहना मेरे लिये काफी कठिन हैं कि नेपाल को कौन सी वस्तु अधिक मात्रा या कम मात्रा में जा रही है। जो वस्तुएं पहले जाती थीं वे अब भी नेपाल को जा रही है। मुझे पता चला कि नेपाल में मिट्टी के तेल की कमी है। हमने नेपाल को भेजे जाने वाले मिट्टी के तेल के मासिक कोटे को बढ़ा दिया है ताकि उनकी माँग पूरी हो सके।

Shri Prakash Vir Shastri : We are not only having political relations but also cultural relations with Nepal and these relations became closer due to the efforts of late Lal Bahadur Shastri. But unfortunately these relations are deteriorating for sometime back. There has been tension in the Indo-Napalese relations after Nepal developed contacts with China. May I know whether the Government ever considered in the context of making efforts at non-official level, besides official level with a view to mantain the cultural traditions of the two countries? Will some efforts be made in this behalf if the same have not been made so far ?

Shri Surendra Pal Singh : We had very cordial relations with Nepal and Nepal Government we had been wishing for their betterment and we had been trying for their betterment. Efforts in this direction are being made both at official and non-official levels.

Shri Prakash Vir Shastry : Mr. Speaker, my question was: has the External Affairs Ministry considered to develop relations at non-official level, besides official level, by sending delegations and representatives of some organisations to Nepal with a view to develop contacts with the masses there ?

Shri Surendra Pal Singh : This is a good suggestion. Our border is open. Anybody intending to go there may do so with great pleasure and meet the people.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं कि इन व्यापार करार वार्ताओं को, जो विफल हो गई हैं, नेपाल सरकार अधिवेशन के मेज से गलियों में ले आई है ? यदि हाँ तो क्या यह इस कारण है कि नेपाल सरकार चीन की वस्तुओं को भारत की वस्तुओं से अच्छा समझती हैं और यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य के लिये यह कहना उचित नहीं कि नेपाल सरकार ने इन वार्ताओं को गलियों में पहुंचा दिया है। प्रेस की कुछ खबरें भारत के पक्ष में और कुछ भारत के विरुद्ध हैं। लेकिन हम इसके लिये नेपाल सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वार्ता सरकारी स्तर पर चल रही है और संतोषजनक ढ़ंग से चल रही हैं। हमें आशा है कि इसके परिणाम ऐसे होंगे जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा।

Shri Madhu Limaye : Discussions were held with Nepal many times this year and these were held recently also which failed every time. Since this trade pact is closely related with our economy and industrial development, has the Minister of Foreign Trade taken a definite decision in this behalf in consultation with the Reserve Bank, Minister of Finance and Minister of External Affairs ? Will there be no reply ? I am asking him I cannot understand as to how the Foreign Trade Ministry is initiating these discussions. Do you agree that these discussions have nothing to do with Finance Ministry, Foreign Exchange and Foreign Trade Ministry ? If so, some coordinated policy should be adopted for this purpose. I wanted to know whether any such policy has been formulated or not ?

Shri Surendra Pal Singh : It is very difficult to say as to on what levels these discussions were held and whether any policy was formulated. But so far as I think it is not possible for Foreign Trade Ministry to hold discussion without consulting these Ministeries.

Shri Madhu Limaye : Do you know ?

Shri Surendra Pal Singh : I have no idea about it .

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you kindly protect our rights. He say that it is impossible but these people are not in the picture. Shri L. N. Mishra is holding these discussions arbitrarily. So, I want to know whether the matter was discussed with the Reserve Bank, Finance Ministry and Ministry of Industry ? You are not in the picture but some policy should at least be formulated after consulting these three Ministeries. . .

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, what reply can I give ? Discussions might have been held. You may euquire from the Ministry of Foreign Trade.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, let the Prime Minister reply to these questions. This question is connected with four Ministeries. . .

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत लम्बा चौड़ा है। मंत्री उसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है जो उसके मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

Shri Madhu Limaye : You may give ruling, you may give directions. Prime Minister is absent. She should come. . . (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

Shri Madhu Limaye : Have we any right in this House ? Should the replies to the questions come or not ? Have I talked a worng question ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न को तो वैदेशिक कार्य मंत्री से पूछ रहे हैं और मुझ से कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री यहाँ नहीं हैं ।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, you have misunderstood it. Mr. Madhu Limaye is asking whether they have formulated some policy when they are sitting with them for negotiations ? Their reply is not complete.

Shri Surendra Pal Singh : So, for as External Affairs Ministry is concerned, I can say that Ministry of Foreign Trade have discussed the matter with the Ministry of External Affairs.

I cannot say whether there have been any talks with the Reserve Bank or the Finance Ministry. I can only say that some talks must have been held.

श्री नाथपाई : आपने एक ही अनुपूरक प्रश्न के लिये बारह मिनट दे दिये हैं । परन्तु आप किसी और को समय नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । ऐसी आपकी आदत ही है । मैंने पहले ही अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री नाथ पाई : मैं आपको समझा लूं । यदि आप संतुष्ट हों, तो आप मंत्री महोदय से कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय को संबोधित है और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है ।

श्री रंगा : आपेक्षित सूचना सम्बद्ध मंत्रालयों से एकत्र करके एक विवरण के रूप में सभापटल पर रखना मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया विशेष प्रश्न है । इस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदयप्र : प्रश्न बातचीत के टूट जाने और जो प्रचार किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में क्या सरकार ने गलत धारणाओं को दूर कर दिया है ?

श्री नाथपाई : यह मामला कुछ करोड़ रुपयों का ही नहीं है । नेपाल ने हमारे देश पर नया साम्राज्यवादी देश होने का आरोप लगाया है, जोकि बहुत गम्भीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नेपाल के साथ वार्ताएं भंग होने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको वैदेशिक व्यापार मंत्री को सम्बोधित करना होगा । ऐसे प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्री को सम्बोधित नहीं किये जा सकते ।

हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक बेड़ा

*696 **श्री हरदयाल देवगुण : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर में रूसी नौसैनिक जहाजों की संख्या कोई मामूली नहीं है और रूस सरकार का हिन्द

महासागर में एक विशेष बेड़ा है जिसमें प्रक्षेपणास्त्र से लैस 20 जहाज वैज्ञानिक अनुसंधान (जासूसी) जहाज और परमाणुपनडुब्बियां भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि हिन्द महासागर के तटों से न लगने वाले देशों के नौसैनिक बेड़े की हिन्दमहासागर में उपस्थिति अनावश्यक है और उस से तनाव पैदा होने की संभावना है । तदपि, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सभी देशों के (युद्धपोतों सहित) पोतो को किसी देश के जलीय क्षेत्रों से बाहर खुले सागर में विचारने की स्वतन्त्रता प्राप्त है ।

Shri Hardayal Devgun : Sir, I want to know from the hon. Minister as to what is the navel strength of soviet Russia in the Indian Ocean ? We are getting infromation in this regard from various sources. Is it insignificant or substantial ?

Shri Jagjivan Ram : The Russian ships as well as the ships of other countries have been moving in the Indian ocean. The number of Russian ships were slightly on the high side and we tried to gather information. They said that they kept their ships to see their space craft and also to watch the chinese inter-continental bellastic missles. But the fact is that the number of their ships have been more than what ought to have been in normal times.

Shri Hardayal Devgun : Secondly, you stated in your reply that the maintinance of ships of these countries, which are not directly connected with Indian ocean, is not a good thing and it creates tension. In view thereof has the Government protested to Russia that there is fear by their presence in Indian ocean that it would create tension in the area and that they should remove their ships from here and not to create tension ?

Shri Jagjivan Ram : I have stated in the second part of my reply that beyond our territorial waters the ships of any nation, including war ships, can move freely. That is beyond the power of any country. There is no justification in our protesting in the matter. The House is aware that a decision was arrived at in Lusaka conference that Indian ocean should be made an area of peace and all the powers should jointly endeavour in this regard. It is hoped that all powers of the world would endeavour to lessen the tension.

Shri Hardayal Devgun : I want to know whether you have asked the Russian Government to let the Indian ocean remain an area of peace as Shri Sumer Sen asked to Britain in United Nations not to build any military bases there ? Have you asked Russia about this or not or are you going to tell it or not ?

Shri Jagjivan Ram : I have given a reply. You mentioned about a protest. I stated in the reply that beyond our territorial waters the foreign ships can move about freely and it is against the international conventions to lodge a protest. I have said that it was decided in Lusaka and Russia in is the know of it.

श्री रंगा : मेरे मित्र ने खुले समुन्द्र की सामान्य स्थिति बतायी है । क्या लुसाका सम्मेलन के अनुसार विश्व की महान शक्तियों से कहा गया है कि वे खुले समुन्द्र में वर्तमान

स्वतन्त्रता से लाभ उठाते हुए हिन्द महासागर में भारी नौ सेना न रखें। रूसी सरकार द्वारा इंगलैंड के हिन्द महासागर में अड्डे स्थापित करने पर प्रकट किये गये असंतोष को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार रूसी, ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों से लुसाका सम्मेलन के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहेगी कि वे अपने नौसैनिक पोत भारी संख्या में हिन्द महासागर में न भेजें क्योंकि उनकी ऐसी क्रिया इस देश तथा हिन्द महासागर के साथ लगे अन्य देशों के प्रति आक्रमण का कार्य है।

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने बताया है लुसाका सम्मेलन का निर्णय संसार की बड़ी शक्तियों को सूचित किया जायेगा ताकि विभिन्न देशों के भारी संख्या में जहाज हिन्द महासागर में तनाव न पैदा करें।

श्री रंगा : क्या हम बड़ी शक्तियों को हिन्द महासागर के बारे में विशेष रूप से लिख रहे हैं।

श्री जगजीवन राम : हम अंतराष्ट्रीय अभिकरणों को लिखते हैं।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में दो महत्वपूर्ण बातें बतायी हैं। एक यह कि अंतराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार विदेशी शक्तियां खुले समुद्र में रह सकती हैं। दूसरे यह कि रूस के जहाज अन्य देशों की अपेक्षा अधिक समय तक वहां रहे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार किसी देश के जलपोत, विशेषतः नौसैना के, खुले समुद्र में अधिक समय तक रहते हैं तो क्या इससे उस देश की सुरक्षा एवं प्रभुसत्ता को खतरा नहीं है ! क्या वे उस देश में अपने जहाज वापस बुलाने को कहेंगे ? यदि अन्य देशों की तुलना में रूसी जहाज अधिक समय तक रहे, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे कितने अधिक थे और कितने समय तक वे वहां रुके और कौन कौन से जहाज खुले समुद्र में ठहरे।

श्री जगजीवन राम : उन्होंने ऐसी बात कही है जो मैंने नहीं कही। मैंने इन दो बातों में से कोई बात नहीं कहीं है। मैंने तो यह कहा था कि रूसी जहाजों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा कुछ अधिक थी।

श्री स० कुन्दू : कितनी अधिक थी ?

श्री जगजीवन राम : यह मैं प्रकट नही कर सकता।

ENQUIRY INTO REPORTED SHORTAGES OF UREAS TOCKS IN FERTILIZER FACTORY, GORAKHPUR

***698. Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and mines and metals** be pleased to state :

(a) Whether orders for instituting an inquiry in regard to the shortage of 35 thousand sacks and eight thousand tons of Urea worth rupees sixty lakhs in the stock of the Fertilizer Factory, Gorakhpur have since been issued by the Minister concerned as reported in the 'Poorvi Sandesh' of the 2nd November, 1970;

(b) Wether Government have received the interim or final report of the said inquiry; and

(c) If so, the details thereof and the action being taken in the matter ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) (क) : सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि गोरखपुर उर्वरक कारखाने में 45,000 बोरियों और 8,000 मीटरी टन यूरिया की कमी थी। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायत भारतीय उर्वरक निगम को भेजी गई है। इस बारे में निगम से कोई अन्तिम रिपोर्ट नहीं मिली हैं और, अत: इस मामले में इस समय कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Molahu Prashad : Sir, I would like to know from the hon. Minister as to on which date the complaint was received by the Government of India and on which date the Government passed it on to the Fertiliser Corporation of India and to which officer the corporation entrusted the responsibility and by when the Interim report is likely to be submitted ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है शिकायत 27-11-70 को उर्वरक निगम के पास भेजी गई थी और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अब शिकायत में दो तीन अधिकारियों के नाम लिये गये हैं। श्री नागराजन मुख्य उत्पादन इंजीनियर, श्री डी० एन० कपूर मुख्य पर्सनेल अधिकारी तथा आई० डी० पंत मुख्य सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध क्षेत्र में माल की कमी पैदा करने के नहीं अपितु सामान्य ढंग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्ध में मामला भारतीय उर्वरक निगम को सौंपा गया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस समय मंत्रालय के पास उत्तर देने के लिये कोई जानकारी नहीं है।

Shri Molahu Prashad : I have asked as to when the complaint was received by the Government and when was it referred to the Fertiliser Corporation of India and by when the Interim report is expected and if since received would it be placed on the table of the house ?

श्री दा० रा० चव्हाण : शिकायत प्राप्त होने की तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री मोलहू प्रसाद : सम्भावित तिथि ही बतला दें।

श्री दा० रा० चव्हाण : शिकायत 28-11-70 को भारतीय उर्वरक निगम को भेजी गई थी तथा उसके कुछ समय पूर्व प्राप्त हुई थी। जब इस कमी की जांच करेंगे तो वे हमें रिपोर्ट देंगे और मुझे आशा है कि वे जल्दी ही प्राप्त होगी।

An hon. Member : Who is investigating the matter ?

श्री दा० रा० चव्हाण : हमें इसकी जानकारी निगम से प्राप्त नहीं हुई। यह सूचना उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक से माँगी गई है। वास्तव में गोरखपुर उर्वरक कारखाने के महा प्रबन्धक इसके प्रभारी हैं। इस लिए सूचना निगम से माँगी गई है और जानकारी मिलने तक अभावी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Molahu Prashad : If the final report has not been received, interim report might have been received.

श्री दा० रा० चव्हाण : हमें कुछ जानकारी आँतरिक लेखा परीक्षा से प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कमी 78 टन की थी

और वर्ष 1969-70 में कमी 1627 टन की हो गई और शिकायत में कहा गया है कि कमी 8000 टन की है। इसलिए इस अन्तर को स्पष्ट करने के लिए उर्वरक निगम को लिखा गया है।

Production, distribution and popularisation of liquid and gas fertilizers

***707. Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the direction of production, distribution and popularisation of liquid and gas fertilisers;

(b) whether gas fertilizers being the cheapest and the liquid and solid fertilizers occupying the second and third places respectively, so far as the cost of production is concerned, the gas and liquid fertilizers are very popular in foreign countries ; and

(c) if so, the difficulties being faced by Government in this regard ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण : (क) तरल अमोनिया के रूप में तरल उर्वरक का मिट्टी में प्रयोग परीक्षणों के प्रारम्भिक चरण में है। गैस उर्वरक का हवाला, तरल अमोनिया से अनुमानित है, जो (जब मिट्टी प्रयुक्त होती है) मिट्टी द्वारा समाहृत होने से पूर्व गैसीय अवस्था में तबदील होता है।

(ख) ठोस उर्वरकों की तुलना में तरल अमोनिया का उत्पादन सस्ता होगा। परन्तु इसके परिवहन, स्टोरेज और मिट्टी में प्रयोग के लिए विशेष उपकरण की लागत को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं को इसके लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा इस बारे में कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) परीक्षणों के परिणामों को ध्यान में रखा जा रहा है।

Shri Mahraj Singh Bharati : The hon. Minister thinks that there is no fertilizer like gas Ammonia Liquid. Ammonia is converted into gas. It is not so. Gas is different, liquid is different and solid is different. I have seen in other countries that they use gas far deep root plants like cotton otherwise liquid and where that eannot be used, solid fertilizer is used. Taking in view these facts, would the Government give attention to make use of it in future ? At least the hon. Minister should be in a position to give that much assurance.

श्री दा०रा० चव्हाण : तरल अमोनिया के प्रयोग का धरती पर परीक्षण किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने नाइट्रोजन के रूप में गैस के प्रयोग में भेद दिखलाया है। यदि तरल अमोनिया पर बल दिया जाता है तो वह तरल रहता है, और यदि बल हटा दिया जाता हैं तो वही गैस बन जाता है। कई प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं। हमें उनके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है कि विदेशों में कई जगह तरल अमोनिया का सीधे रूप में धरती में प्रयोग किया जाता है। यदि उसका सीधे उपयोग किया जाये तो उर्वरक संयंत्र लगाने की

लागत बच जायेगी। हमें इस बारे में किये जा रहे परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अल्प-सूचना प्रश्न। श्री शशिभूषण—अनुपस्थित।

श्री ए० श्रीधरण—अनुपस्थित।

श्री अमृत नाहाटा : उन्हें चोट लग गई है। अतएव उन्होंने मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें चोट लगने का दुःख है। परन्तु मैं प्रक्रिया में ढील नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ननकाना साहिब को वेटीकन का दर्जा दिया जाना

*691. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि सिखों का एक प्रतिनिधिमडल पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मिला है और उन्हें एक ज्ञापन दिया है जिसमें ननकाना साहिब को पाकिस्तान में वैटिकन का दर्जा प्रदान किये जाने तथा वहाँ से भारतीय सीमा तक एक मार्ग की व्यवस्था किये जाने की माँग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

'सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल' का एक प्रतिनिधिमंडल 13-11-1970 को नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें मांग की गई थी कि ननकाना साहिब को वेटिकन का दर्जा दिया जाए जिससे कि इस पवित्र स्थान की व्यवस्था और देखरेख का कार्य गुरु नानक के अनुयायी निर्विघ्न रूप से कर सकें।

(ग) जी नहीं। सरकार यह नहीं समझती कि पाकिस्तान के साथ यह प्रश्न उठाने से कोई उपयोगी कार्य सधेगा।

चन्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

*697. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कुछ मकान बनाना आरम्भ किया था, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) वास्तव में कितने मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष मकानों के बनने में कितना समय लगेगा; और

(ग) चन्डीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिये चौथी योजना में कुल कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां; 358 मकान ।

(ख) 132 मकानों का पहले ही निर्माण हो चुका है । शेष 226 मकानों के दिसम्बर, 1971 तक पूरे होने की आशा है ।

(ग) 226 ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा घाना से बिना तराशे हीरों की खरीद

*699. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में घाना से 1 करोड़ रुपये के मूल्य के बिना तराशे हुए हीरे विश्व बाजार मुल्य से बहुत अधिक मूल्य पर खरीदे थे; और

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, उन हीरों को बेचने में असफल रहने पर, उन्हें विवश होकर भारत में हीरों के निर्यातकर्ताओं को, आयात सम्बन्धी रियायतें आदि देकर, बेच दिया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने घाना से बिना तराशे हुए हीरे खरीदे हैं । वर्तमान समय में उस पर विस्तृत विवरण बताना वाणिज्यिक हित में नहीं है ।

(ख) हीरे अभी तक क्रय के लिये प्रस्तुत नही किये हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

*700. **श्री मयावन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भारत ने विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भी भारत के मत का समर्थन किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) भारत ने सिद्धान्त रूप से किसी वृद्धि का विरोध नहीं किया, परन्तु संयुक्त राष्ट्र के व्यावसायिक कर्मचारियों के विद्यमान वेतनों में 8 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के बारे में वह मौन रहा ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के सिविल कर्मचारी, पहले ही से दुनिया के सिविल कर्मचारियों की अपेक्षा सबसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहें हैं और संस्था की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ।

(ग) भारत ने 18 सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा जिसमें संयुक्त राष्ट्र के वेतन, भत्तों तथा अन्य संबद्ध विषयों के बारे में दीर्घकालीन-सिद्धान्तों और कसौटी की सम्यक् समीक्षा करने के लिये सरकारी विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति बनाने का सुझाव है ।

कच्छतिवु द्वीप पर श्रीलंका का दावा

*701. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छतिवु द्वीप के मामले को सुलझाने के लिये अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और अगली बैठक कब और कहां होगी; और

(ख) क्या श्रीलंका ने यह तर्क दिया है कि यह द्वीप अब तक उसके प्रभावशाली नियंत्रण में रहा है इसलिए यह उसका ही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कच्छतिवु द्वीप की प्रभुसत्ता के प्रश्न पर भारत एंव श्रीलंका सरकार के बीच राजनयिक सूत्रों के माध्यम से एंव सरकारी स्तर

पर समय-समय पर बातचीत चलती रही है। फिर भी, जब भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों ने इसे तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं की बातचीत से हल करने का निर्णय किया था तब इस कार्य के लिये कोई विशेष बैठकें बुलाने का इरादा नहीं।

ईरान के साथ भारत के सम्बन्ध

*702. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की जनता तथा सरकार में भारत के प्रति निकटता की भावना बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या ईरान की सरकार भारत के साथ आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की इच्छुक है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारत और ईरान के मध्य विद्यमान सद्भावना तथा अच्छे सम्बन्धों को और दृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : भारत सरकार को विश्वास है कि ईरान की सरकार व जनता भारतके साथ मैत्री सम्बन्ध और निकट आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाने के लिये हमारी ही तरह इच्छुक है।

(ग) पिछले दो वर्षों में वाणिज्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में भारत-ईरान के सम्बन्ध काफी सुदृढ़ एवं वैविध्यपूर्ण हैं। दो देशों में परस्पर आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत-ईरान संयुक्त आयोग की मैत्री स्तर की तीसरी बैठक शीघ्र ही तेहरान में होगी। हम ईरान को परमाणु ऊर्जा, रेल साँख्यकी, क्षय रोग चिकित्सा विज्ञान और सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ईरानी विद्यार्थियों को इंजीनियरी, चिकित्सा आदि की पढ़ाई के लिये विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में भी दाखिला दिया गया है।

विशाखापत्तनम में जस्ता प्राद्रावक संयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव की क्रियान्विति

*703. **श्री नारायणन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में स्थापित किये जाने वाले जस्ता प्रद्रावक संयंत्र का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए वित्त और खान तथा धातु मंत्रालयों को निदेश दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो वे कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे ; और

(ग) उक्त निदेश दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) : विशाखापत्तनम के पब्लिक सेक्टर में एक नया जस्ता प्रद्रावक स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, चूंकि यह प्रयोजना चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में मूलत सम्मिलित नहीं की गई थी अत: वित्त मंत्रालय के परामर्श से उसके वित्त प्रबन्ध के स्त्रोत का प्रश्न परीक्षाधीन है। इस विषय में शीघ्र अन्तिम विनिश्चय लिये जाने की सम्भावना है।

Anti-Indian Broadcasts by B. B. C.

*704. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the B. B. C. has again made anti-Indian broadcasts in the context of cyclone victims of East Pakistan;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of Government thereto;

(d) whether Government propose to abandon the talks being held with the B. B. C. at present in view of its propaganda against India; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):
(a) No, Sir.

(b) to (e) : Do not arise.

दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन द्वारा हथियार बेचने के मामले पर पुनर्विचार

*705. **श्री शशि भूषण :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका को हथियार बेचे जाने पर छः वर्ष से चली आ रही रोक को समाप्त करने की जो घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की है, उसका अनेक राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा घोर विरोध किये जाने के फलस्वरुप क्या ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का कोई संकेत दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : दक्षिण अफ्रीका को हथियार फिर सप्लाई करने के यू० के० सरकार के इरादे का भारत सहित अधिकाँश राष्ट्रमंडल देशों ने सख्त विरोध किया है। इस सम्बन्ध में इस बात का स्मरण किया जाएगा कि यू० के० सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस मामले में अन्तिम निर्णय राष्ट्रमंडल से परामर्श कर लेने के बाद लिया जाएगा। इस मामले में यू० के० सरकार क्या अंतिम निर्णय लेगी इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाए जाने के बारे में अमरीका की नीति

*706. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका ने हाल ही में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र महा सभा में 'एक चीन, एक ताईवान' सिद्धान्त का तर्क दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि द्वारा किये गए भाषण को सरकार ने देखा है।

(ख) भारत सरकार ने हमेशा यह रवैया अपनाया है कि चीन लोक गणराज्य सरकार ही चीन का वैध प्रतिनिधि है, और इस प्रकार 'दो चीन' अथवा 'एक चीन, एक ताईवान' के सिद्धान्त से सहमत नहीं है।

कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

*708. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापि करने का आग्रह किया है।

(ख) यदि हाँ, तो आग्रह कब किया गया था; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस उद्योग समूह के लिये कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)

(क) जी हाँ ।

(ख) नवम्बर, 1970 में ।

(ग) जी हाँ—एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । यह मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मस्तिष्क शल्य-चिकित्सा के लिये कम कीमत के वाल्व

*709. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के लिये कम कीमत का वाल्व बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण, कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस वाल्व के बनाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने का है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारतीय उद्योग विद्या संस्थान, नई दिल्ली के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मस्तिक शल्य-चिकित्सा के लिये कम कीमत का एक वाल्व बनाया गया है ।

(ख) मस्तिष्क शल्य-चिकित्सा में उपयोग किये जाने वाले विदेशी वाल्व भारत में तैयार नहीं किये जाते थे और उन्हें आयात किया जाता था । प्रत्येक वाल्व की कीमत 75 डालर से लेकर 150 डालर तक है ।

अब इस संस्थान में बनाये जा रहे वाल्व में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री सिलास्टिक (सिल्कोनाइज्ड रबर) है और यह भारत में उपलब्ध नही होती तथा इसकी लागत लगभग 20 रुपये प्रति वाल्व बैठेगी । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हिसाब से भारत में 5,000 से 10,000 तक वाल्वों की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार जब सम्पूर्ण आवश्यकता

को पूरा करने के लिए देश में ही इसका निर्माण होने लगेगा तो 5,000 वाल्वों की आवश्यकता होने पर मोटे तौर पर 37,000 से 75,000 डालर और 10,000 वाल्वों की आवश्यकता होने पर 75,000 से 1,50,000 डालर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

(ग) आविष्कार वर्धन मण्डल इस विषय पर विचार कर रहा है ।

भारत में पश्चिम जर्मनी के राजदूत द्वारा एक दावत का बहिष्कार ।

*710. **श्री रवि राव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पश्चिम जर्मनी के राजदूत ने, बोन में नियुक्त किये जाने वाले नये भारतीय राजदूत श्री केवल सिंह के सम्मान में श्री टी० एन० कौल द्वारा दी गई दावत का बहिष्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) विदेशी सचिव ने विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम), श्री केवल सिंह की विदाई के अवसर पर, 19. 11. 1970 को एक स्वागत-समारोह का आयोजन किया था । जर्मन संघीय गणराज्य के राजदूत, जो इस स्वागत समारोह में निमंत्रित थे, हैदराबाद हाउस के उस प्रवेश द्वार पर आए, जहां स्वागत-समारोह की कार्यवाही चल रही थी, किन्तु उन्हें जब यह मालूम हुआ कि इस स्वागत-समारोह में जर्मन जनवादी गणराज्य के प्रधान कोंसल भी उपस्थित हैं, तो वे लौट गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि इस समारोह का आयोजन, विशेष रूप से जर्मन संघीय गणराज्य के "मनोनीत राजदूत" श्री केवल सिंह के सम्मान में किया गया है ।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) के रूप में श्री केवल सिंह की विदाई के अवसर पर इस स्वागत-समारोह का आयोजन किया गया था, न कि जर्मन संघीय गणराज्य के मनोनीत राजदूत के रूप में । सचिव (पश्चिम) की हैसियत से जिन मिशन-प्रमुखों के साथ उन्होंने काम किया वे सब इस समारोह के लिए निमंत्रित थे ।

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सिर की चोट के कारण एक बच्चे की कथित मृत्यु

*711. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक बच्चे की सर की चोट का एक्स-रे लेने में लापरवाही करने के कारण 14 नवम्बर, 1970 को उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, क्या सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) !

(क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

13-11-1970 को 8.50 बजे सांय शर्षा नामक नौ वर्षीय बालिका को कैज्यूल्टी में लाया गया और यह मोटर कार दुर्घटना का मामला बतलाया गया । उक्त रोगी को 9 बजे सांय विकलांग आपात अनुभाग (वार्ड 27) यूनिट-2 में दाखिल किया गया । बांये टांग के एक्स-रे से पता चला कि इस टांग की दोनो हड्डियां टूट गई हैं । बालिका को टांग की विवृत्त-अस्थि-भंग (कम्पाउण्ड फ्रेक्चर) का आपरेशन किया गया । आपरेशन करने के पश्चात् 14-11-1970 सांय चार बजे तक रोगी की हालत स्थिर रही और तत्पश्चात् उसकी हालत बिगड़ने लगी ।

रोगी को विकलांग, तन्त्रिकाशल्य विज्ञान तथा बाल रोग विभागों के डाक्टरों ने देखा था । तन्त्रिकाशल्य चिकित्सकों ने यह देखा कि रोगी में तन्त्रिकाशल्य सम्बन्धी कोई गड़बड़ी नहीं थी और बाल रोग शल्य चिकित्सक ने यह पाया कि रोगी का उदर फूला हुआ था किन्तु हालत इतनी दुर्बल थी कि उदर के अन्दर कोई जांच नहीं की जा सकती थी । 15-11-1970 के प्रातः 1.15 बजे रोगी की मृत्यु हो गई । शव परीक्षा करने पर पता चला कि न तो बालिका के कपाल में अन्दरूनी चोट थी और ना ही उदर में । सम्भवतया मृत्यु का कारण सदमा था ।

चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र

*712. **श्री बे० अमात** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी सरकार के कब्जे में भारतीय क्षेत्र को वापिस लेने के लिए कोई राजनार्यक प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) भारत सरकार की नीति इन प्रदेशों को शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा वापस लेना है । लेकिन, इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

सैनिक सेवा कोर में मितव्ययिता

*713 **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक सेवा कोर ने गत वर्ष मितव्ययिता अभियान चलाय अपनेथथाताा कार्य की विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के कर्मचारियों को प्रतिरक्षा आयोजन से संबंद्ध करने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : यह प्रयास संक्रियात्मक आवश्यकताओं से संगत रक्षा व्यय में अधिकाधिक बचत निष्पन्न करने के लिए रक्षा सेवा ओंद्वारा सम्मिलित प्रयत्न का एक अंश है । रिजर्वों के ढंग में युक्तीकरण, सेविवर्ग की कम नियुक्तियों, कई यूनिटों में पशुओं में कमी, तथा विभिन्न मदों के वितरणों के मानक में तदर्थ कमियों द्वारा ए० एस० सी० द्वारा एक वर्ष में 2 करोड़ रुपये की बचतें निष्पन्न की गई हैं ।

(ग) जी नहीं । रक्षा प्रयोजन रक्षा विभाग में आयोजन निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, कि जिस में रक्षा मामलों और प्रयोजन में आवश्यक पृष्ट-भूमि सहित अफसर शामिल हैं, और उसके प्रस्ताव सेवाओं के मुख्यालयों से गहरे विचार विमर्श के पश्चात् तैयार किये जाते हैं, ताकि सेवाओं के लिये आवश्यक आयुधों इत्यादि के अभिकल्पन के देशीय आधार, विकास और उत्पादन से संगत तीनों सेवाओं की इष्टतम आवश्यकताएं पूर्ण हो पाएं । यह रक्षा संगठन के अन्दरप्राप्य विशेषता पर आधारित है और सुरक्षा की आवश्यकताओं को समक्ष रखते जब और जैसे आवश्यक होता है बाहरी एजेंसियों से सलाह भी करता है ।

FIRE IN ORDNANCE CLOTHING FACTORY, SHAHJAHANPUR.

*714. **Shri Jaganath Rao Joshi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether fire broke out in the textile godown of the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur on the 29th September, 1970, as a result of which Government suffered heavy losses;

(b) whether Government got any enquiry conducted into the whole matter through the Central Bureau of Investigation; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of state Defence Production in the Ministry of Defence (Shri P.C. Sethi): (a) : It is not a fact that fire broke out in the textile godown of Ordnance Clothing Factory,

Shajahanpur on 29th September, 1970. Howevere, six cloth bales were found to be on fire at the Railway siding platform of Receipt Bond Section of the Factory on 29th September, 1970. The loss suffered on this account is estimated at Rs. 24.07 only

(b) and (c) : The matter was reported to the local Police for investigation and the local Police seems to have called some officials of the Intelligence Bureau also. Their report is still awaited. In the meanwhile, an enquiry was conducted by a Board of Enquiry consisting of two officers of the Factory. Responsibility could not, however, be fixed on any individual (s).

बालासौर के सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यरो द्वारा जांच

*715. **श्री स० कुन्दू :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर, उड़ीसा, के प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल विभाग रक्षा उत्पादन मंत्रालय के कुछ सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यरो द्वारा कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो यह जाँच कितने अधिकारियों के विरुद्ध की गई ; और

(ग) क्या अधिकारियों को कोई दण्ड दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) श्री प्र० चं० सेठी : (क) जी हाँ।

(ख) तीन सेवाओं के और एक असैनिक अफसर अंतर्ग्रस्त थे ।

(ग) एक सैनिक अफसर निंदित किया गया था, दो सैनिकों को सैनाध्यक्ष की भारी अप्रसन्नता प्राप्तहुई थी, और एक असैनिक को सावधान किया गया और ऐसा उसके सेवाभिलेख में उल्लेख किया गया था ।

तामिलनाडू में इंडियन कैमिकल्स इंडष्ट्री के सहयोग से पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना

*716. **श्री मूरासोली मारन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडू सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इंडियन केमिकल्स इंडस्ट्री के सहयोग से तामिलनाडू में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना की जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम तथा रसायनऔर खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हाँ । प्रस्ताव विचाराधीन है।

टाटा बंधुओं की मीठापुर उर्वरक परियोजना में फेर-बदल

*717. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा बंधुओं से मीठापुर उर्वरक परियोजना में फेर-बदल करने को कहा है;

(ख) क्या इस संबंध में अनुमति देने में विलम्ब का कारण एकाधिकार आयोग द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब किया जाना है;

(ग) क्या टाटा बन्धुओं ने सरकारी प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियाँ की हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण): (क) सरकार ने टाटा-बन्धुओं को मीठापुर उर्वरक परियोजना, जिसके लिये 25-7-1970 को एक आशय पत्र मंजूर किया गया था, में फेर-बदल करने को नहीं कहा है । लेकिन, पार्टी को अपनी उर्वरक परियोजना के लिये फोस्फोरिक एसिड के निर्माण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा गया है, बजाये इसके कि इसे आयात किया जाये ।

(ख) मीठापुर परियोजना के बारे में मोनोपलीज़ एण्ड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टसिज एक्ट, 1969 की धारा 21 या धारा 22 के अन्तर्गत समवाय कार्य विभाग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । क्योंकि, केवल मोनोपलीज एण्ड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टसिज एक्ट के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र ही, सरकार की इच्छा पर, मोनोपलीज एण्ड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टसिज कमीशन को जाँच पडताल तथा रिपोर्ट के लिये भेजे जाते हैं, इस मामले को कमीशन को भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : सरकार ने टाटा-बन्धुओं से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं किया है जिसमें सरकारी कार्यप्रणाली पर आपत्तियाँ की गई हों ? किन्तु उन्होंने अभ्यावेदन दिये हैं जिन में उन्होंने अपने प्राप्त कानूनी परामर्श से इस बात का समर्थन किया है कि टाटा कैमिकल्स की मीठापुर उर्वरक परियोजना, मोनोपलीज एण्ड रेसट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टसिज एक्ट के अध्याय ३ के उपबन्धों से प्रभावित नहीं है ।

अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर पुनः बमवर्षा आरम्भ किया जाना

*718. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका ने वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर बमवर्षा पुनः आरम्भ कर दी है जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिति अधिक खराब हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राज्य सरकार ने स्वयं यह घोषणा की कि उसकी वायु सेना ने नवम्बर में कई बार वियतनाम लोक गणराज्य पर बमवारी की।

(ख) सरकार इसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम समझती है जो शान्तिपूर्ण समाधान की दिशा में होने वाली प्रगति को धीमा ही कर सकती है। उसने संबद्ध सरकारों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

जाम्बिया में भारत मूलक लोगों के हितों की रक्षा

*719. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति कौंडा की इस आशय की घोषणा की ओर आकर्षित किया गया है कि गैर-जाम्बिया वासियों, जिनमें अधिकाँश भारतीय हैं, के खुदरा तथा थोक व्यापार के लायसेंसों का वर्ष 1972 के आरम्भ के बाद नवीकरण नहीं किया जायेगा ;

(ख) जाम्बिया के लिए संयुक्त उपक्रमों प्रथा अन्य प्रकार के उपक्रमों में पूंजी लगाने के लिए सरकार द्वारा अभी हाल ही में स्वीकार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने लुसाका के हाल ही के अपने दौरे में जाम्बिया में रहने वाले भारतीयों के हितों के बारे में किसी प्रकार की बातचीत की थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (राष्ट्रपति काउण्डा ने नवम्बर, 1970 में यह घोषणा की कि "पहली जनवरी, 1972 से सारे जाम्बिया में सभी प्रकार के फुटकर व्यापार जाम्बियाइयों द्वारा किए जाएंगे, अर्थात् सहकारी समितियों, राज्य कम्पनियों

और जाम्बिया की सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा । उसी तारीख से, अर्थात पहली जनवरी, 1972 से, थोक व्यापार भी जाम्बिया के व्यापार और राज्य कम्पनियों तक ही सीमित रहेगा ।" व्यापार और वाणिज्य के प्रगतिशील जाम्बियायीकरण के लिए उनकी सरकारी योजनाओं के अनुपालन में यह कार्यवाही की गई थी जो कि स्पष्टतः घरेलू अधिकार क्षेत्र का मामला है ।

(ख) हाल में संयुक्त उद्यमों के लिए किसी भी परियोजना पर स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ग) भारतीय समुदाय के कल्याण-कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा जिसमें हमारी प्रधान मंत्री को सितम्बर, 1970 में अपनी लुसाका यात्रा के दौरान हस्तक्षेप करना पड़ता ।

औषध (मूल्य नियंत्रक) आदेश के लागू होने के बाद औषध निर्माता फर्मों में छंटनी

*720. **श्री चेंगल राया नायडू :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

क्या **पेट्रोलियन तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता फर्मों ने हाल ही में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में मैडिकल प्रतिनिधियों को नौकरी से हटा दिया है;

(ख) क्या सरकार को इससे प्रभावित मैडिकल प्रतिनिधियों की ओर से कोई अध्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तथा मैडिकल प्रतिनिधियों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (ली दा० रा० चव्हाण) :(क) जी नहीं ।

(ख) कुछ आकस्मिक अध्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ग) इस मामले के बारे में संबंधित नियोक्ताओं को लिख दिया गया है : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957 की धारा 2 (एस) में दी गई "कर्मकार" की परिभाषा में मैडिकल प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने के सामान्य प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता

अ० सू० प्र० 6. श्री शशि भूषण :

श्री ए० श्रीधरण :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया को भवन-निर्माण तथा उसके सुचारु कार्यकरण के लिए कुछ राशि दी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा भी प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया को कुछ धन दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा उसे दी गई राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया ने उक्त राशि का दुरुपयोग किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) से (ग): सरकार ने प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया को 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में अपना भवन बनाने के लिए 55 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया है। सरकार की अनुमति से प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया ने इसी प्रयोजन के लिए बैंक आफ़ इंडिया, बम्बई से भी 25 लाख रुपए का ऋण लिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रेस ट्रस्ट आफ़ इडिया के जनरल मैनेजर तथा ठेकेदारों एंव आर्किटेक्टों के विरुद्ध धन का दुरुपयोग करने के कुछ आरोप लगाए गए हैं। मामला विचाराधीन है।

———

विशाखापत्तनम में जिन्कस्मेल्टर कारखाना

4374. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के सलाहाकार कान्ट्रोजैप द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन में विशाखापत्तनम में प्रस्ताविक जिन्क स्मैल्टर कारखाने पर 24 करोड़रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है तथा उक्त परियोजना के अलाभप्रद होने के कारण योजना आयोग इस योजना के पक्ष में नही है;

(ख) सरकार ने कांन्ट्रोजैप पर अब तक कितनी राशि खर्च की है तथा उनके व्यवहार्यता प्रतिवेदन सम्बन्धी कुछ प्रमुख बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने योजना आयोग के मत को स्वीकार नहीं किया है तथा इसके आर्थिक पहलुओं पर अपने विशेषज्ञों को पुनः जाँच करने को कहा है ;

(घ) क्या इस अनिश्चितता की स्थिति के कारण एक गैर सरकारी यूनिट कोमिन्को बिनानी की विस्तार संबंधी योजनायें रुक गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम रूप से कब निर्णय किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : (क) पोलैंड के परामर्शदाताओं, मैसर्स सैंट्रोजैप ने, जिन्होंने विशाखापत्तनम के प्रस्तावित जस्ता प्रद्रावक संयत्र के लिए प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की थी, प्रायोजना की लागत का मूलतः प्राक्कलन 27.15 करोड़ रुपए किया था। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में रिपोर्ट के परीक्षण के फलस्वरूप, मैसर्ज सैंट्रोजैप के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के सबंधित मंत्रालयों के परामर्श से 21.24 करोड़ रुपये तक लागत संशोधित की गई थी जिसमें से विदेशी मुद्रा अवयव 1.45 करोड़ रुपये होगा। यह विनिश्चय किया गया है कि प्रायोजना को कार्यान्वित किया जाये तथा इसी समय परियोजना के वित्त-प्रबन्ध का यर्थाथ स्त्रोत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) पोलैंड के अभिकरण के साथ की गई संविदा के अनुसार विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट (इंजीनियरी सेवाओं के सहित) तैयार करने के लिये मैसर्स स्ट्रोजैप को 25.67 लाख रुपये क कुल राशि का संदाय किया गया है जो विशेषज्ञों के भ्रमणों आदि पर हुए व्यय के अतिरिक्त है। प्रायोजना की प्रमुख विशेषताएं यह हैं :—

(1) जस्ता धातु के 30,000 मैट्रिक टन तथा जस्ता धूल के 1,500 मैट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन ;

(2) उपोत्पाद-गंधकीय अम्ल (45,500 मैट्रिक टन) सीसा धातु (2,130 मैट्रिक टन) तथ कैडमीयम धातु [115 मैट्रिक टन]।

(3) प्रायोजना मुख्यतः आयातित जस्ता सान्द्रों (वार्षिक लगभग 55,000 मैट्रिक टन) एवं 16.17% जस्ता धातु का अंतर्विष्ट करने वाला अवपंक पर आधारित है जो देश के वर्तमान जस्ता प्रद्रावकों से उपलब्ध हो सकेगा तथा अवपंक संयत्र से ही उत्पन्न हो जाएगा।

(4) प्रायोजना के काम में आने वाले उपकरण अधिकतर देश में ही बनाए जाएगें तथा प्रद्रावक के विस्तृत इंजीनियरी और परिनिर्माण में देश में उपलब्ध तकनीकी योग्यताओं का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। यह भी निश्चय किया गया है कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1970 के अधीन उनके द्वारा आवश्यक अभांग अभिप्राप्त करने के पश्चात मैसर्स कोमिनको बिनानी जिंक लिमिटेड के वर्तमान जस्ता प्रद्रावक के विस्तार के लिए 'आशय पत्र' दे दिया जाए।

सम्पत्ति और फ्लैटों के स्वामित्व के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा एक माडल विधेयक तैयार किया जाना।

4375. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम ने न्यूयार्क तथा आस्ट्रेलिया की पद्धति पर सम्पत्ति तथा फ्लैटों के स्वामित्व के लिये कानून के आधार पर एक माडल विधेयक का मसौदा तैयार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि लोगों को फ्लैटों का स्वामित्व प्राप्त करने तथा मकानों का ऊंचाई की दिशा में विस्तार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त विधेयक विभिन्न राज्यों की सरकारों के पास भेजा गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो वह विधेयक किन-किन राज्यों को भेजा गया तथा उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने राज्य सरकारों को उनकी आवास योजनाओं के लिये पूरी सहायता देने का वचन दिया है बशर्ते कि ऐसी योजनाएं किसी प्रमुख सहकारिता एजेन्सी के माध्यम से पेश की जाएं ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमाल घोष) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जीवन बीमा निगम के कानून के मसौदे का मूल उद्देश्य फ्लैटों के स्वामियों को स्वामित्व का स्पष्ट और अन्यसक्राम्य अधिकार देना है जिससे वे जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ) :

कानून का मसौदा केवल महाराष्ट्र सरकार के लिये है, जहाँ फ्लैटों के स्वामित्व की प्रथा आम है । महाराष्ट्र सरकार ने जीवन बीमा निगम सुझावों के आधार पर अपेक्षित कानून का मसौदा तैयार किया है ।

(ङ) और (च) :

हाल ही में, जीवन बीमा निगम ने राज्य आवास बोर्डों आदि के अपेक्षाकृत बड़े आवास कार्यक्रमों में पूंजी लगाने में पहले से अधिक रुचि दिखाई है ।

मंत्रियों से संबन्धित बिजली के बिलों की अदायगी

5376 **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम अप्रेल, 1970 के बाद प्रत्येक मँत्री के निवास स्थान के बिजली के बिलों की कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)

प्रत्येक मँत्री द्वारा उनके रिहायशी वास के बारे में 1 अप्रेल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक का अदा किये गये बिजली के बिल की राशिका एक विवरण सभापटल पर रखा हैं । (ग्रान्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4565/70)

ईरान की शाही सशस्त्र सेनाओं के चीफ आफ सुप्रीम कमान्डर्स स्टाफ जनरल जाम द्वारा भारत का दौरा

4377. **श्री बाबू राम पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1970 में ईरान को शाही सशस्त्र सेनाओं के चीफ आफ सुप्रीम कमान्डर्स स्टाफ, जनरल एफ० जाम, को भारत के प्रतिरक्षा संस्थान देखने के लिये 8 दिवसीय दौरे पर आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो जनरल एफ० जाम के अतिरिक्त उनके साथ आये जिन सदस्यों को प्रतिरक्षा संस्थान दिखाये गये उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ग) उन लोगों ने किन-किन प्रतिरक्षा संस्थानों का दौरा किया ;

(घ) क्या भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को भी ईरान के प्रतिरक्षा संस्थानों का अध्ययन करने को न आमंत्रित किया गया था ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तथा उन सदस्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से ईरान का दौरा किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) : शाही ईरानी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमाँडर्ज स्टाफस के मुख्य जनरल एफ० जाम रियर एडमिरल अबुल फतह असदालान, कर्नल तैंदी, कर्नल नियामत उल्लाह मोतोमेदी और ले० कर्नल मोहाघ सहित 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1970 तक हमारे सेनाध्ययक्ष के निमन्त्रण पर भारत के सद्भावना भ्रमण पर भारत में थे । दल ने राष्ट्रीय रक्षा कालिज नई दिल्ली, गोरखा प्रशिक्षण स्कूल देहरादून, भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून, इन्फेंन्ट्री स्कूल महौ, राष्ट्रीय रक्षा एकादमी खड़कवासला और विलिंग्टन के रक्षा सेवाओं के स्टाफ कालेज का भ्रमण किया था ।

(च) और (ङ) : जनरल पी० पी० कुमारमंगलम ने जो उस समय सेनाध्यक्ष थे मेजर जनरल वी० एन सरकार, ब्रिगे० एस० एम० हस्नेन, और ले० कर्नल प्रेम चन्द्र ने इससे पहले 12 से 20 जून, 1268 तक जनरल बी० आर्पाना के निमन्त्रण पर कि जो उस समय शाही ईरानी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमाँडर्ज स्टाफ मुख्य थे, ईरान का भ्रमण किया था।

ईरान के सैनिक अधिकारियों का भारत का दौरा

4378 **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईरान को स्थल सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना के उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत वर्षों में भारतीय प्रतिरक्षा संस्थानों का अध्ययन करने के लिये भारत का दौरा किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम : गत तीन वर्षों में निम्न ईरानी अफसरों ने भारत का भ्रमण किया था। यह सद्भावना भ्रमणों की किस्म के थे।

(क) शाही ईरानी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमाँडर्ज स्टाफ के मुख्य जनरल वी० आर्याना ने० ले० जनरल अली मुहम्मद रोहानी, मे० जनरल अबुल ग्रासिम सोहरावपुर, ब्रि० जनरल मँसूर निगाहवानी और कर्नल मुस्तफा इब्तेहाज सहित फरवरी 1968 के दौरान भारत का भ्रमण किया।

(ख) एडमिरल ए० एफ० फातमी शाही ईरानी नौ सेना के उपाध्यक्ष ने दो शाही ईरानी पोतों सहित जनवरी 1970 के दौरान भारत का भ्रमण किया।

(ग) ले० जनरल हस्न तुफ़ानियान ने मे० जनरल मुस्तफा अम्दगादी मे० जनरल नदजैनिजाद और रियर एडमिरल अबुल फतह आर्दलान सहित फरवरी, 1970 में भारत का भ्रमण किया।

(घ) जनरल एफ० जाम, शाही ईरानी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर्ज स्टाफ के मुख्य ने रियर एडमिरल अबुल फतह आर्दलान, कर्नल तौदी, कर्नल नियमत उल्लाह मोतोमेदी और ले० कर्नल एस० महोग्री सहित नवम्बर, दिसम्बर, 1970 में भारत का भ्रमण किया।

आई० यू० सी० डी० कार्यक्रम

4379. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 तथा 1969-70 में कितनी महिलाओं ने आई० यू० सी० डी० लूप का प्रयोग किया तथा इस अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई और इस अवधि में आई० यू० सी० डी० कार्यक्रम पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या लूप का प्रयोग करने वाली महिलाओं को भारी मात्रा में खून बहने जैसे कष्टमय तथा खतरनाक परीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार आई० यू० सी० डी० कार्यक्रम को पूर्णता त्यागने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० सू० मूर्ति (क) 1968-69 और 1969-70 में क्रमशः 4,78,731 तथा 4,58,726 महिलाओं को लूप पहनाए गए।

अधिकांशतः आम शिकायत रक्त-स्राव की है जोकि 39.7 प्रतिशत मामलों में हुआ। 8.7 प्रतिशत मामलों में दर्द तथा 6.3 प्रतिशत मामलों में श्वेत आस्राव हुआ। लूप कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते। तथापि राज्य सरकारों और दूसरी एजेंसियों को मुआवजे तथा दूसरे खर्च के भुगतान के लिए प्रति मामला 11 रुपये दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। रक्तस्राव के अधिकांश मामलों में लूप पहनाने के बाद करीब एक सप्ताह तक मामूली धब्बे से लगते रहते हैं तथा इस पर मामूली इलाज से काबू पा लिया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां लूप इस्तेमाल करने के बाद उपयुक्त नहीं समझा जाता है, इसे निकाल दिया जाता है तथा गर्भनिरोध के अन्य तरीके इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। गर्भाशयी गर्भरोधक गर्भनिरोध का एक आसान, प्रभावकारी, परिवर्तनीय तथा सुरक्षित साधन सिद्ध हुआ है और इस लिए इसे त्यागने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषध तथा क्रान्तिवर्धक सामग्री अधिनियम का उल्लंघन

4380 **श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्टूबर, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में औषध तथा क्रान्ति-वर्धक सामग्री अधिनियम के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस अवधि में पकड़ी गई नकली औषधियों, गोलियों, कैपसूलों तथा अन्य क्रान्ति-वर्धक सामग्री की, राज्य-वार, कुल मात्रा कितनी है तथा उसका मूल्य क्या है;

(ग) इस अधिनियम का उल्लंघन करते पाई गई फर्मों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नकली क्रान्तिवर्धक सामग्री के उत्पादन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (च) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।.

फ्रेंड्स एन्क्लेव एण्ड एक्सटेंशन प्लाट होल्डर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा दिया गया ज्ञापन

4381. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंड्स एन्क्लेव और एक्सटेंशन प्लाट होल्डर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली के सदस्यों ने उनकी अपनी कालोनियों जैसे फ्रेंड्स एन्क्लेव और एक्सटेंशन प्लाट होल्डर्स 1, 2 और 3 को नियमित करने के बारे में एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उनको कोई उत्तर भेजा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, कि क्षेत्र पर निर्माण नहीं हुआ है; क्षेत्र का निर्धारित भूमि-उपयोग 'हरा' है और इसलिए इसके नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार द्वारा मामले का विचार किये जाने के बाद उत्तर भेजा जायगा ।

मैसर्ज यूनिवर्सल कोलोनाईजर्स, दिल्ली द्वारा बेची गयी बस्तियों को नियमित करना

4382. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनिवर्सल कोलोनाइजर्स द्वारा 1958-59 में चीला सरोदा बांगर, कोटला तथा किचरीपुर में बेची गई बस्तियां बृहत दिल्ली बृहत योजना की सीमा में आती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन बस्तियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (परिमल घोष) (क) और (ख) यदि संदर्भ फ्रेंड्स एनक्लेव और फ्रेंड्स एनक्लेन एक्सटेंशन की भूमि से है तो यह स्पष्ट किया जाता है, कि क्षेत्र का निर्धारित भूमि उपयोग 'हरा' है, अतएव उसके नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानपुर आयुद्ध कारखाने में चोरी-छिपे बाहर निकाले हथियारों की बिक्री

4383. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री कानपुर आयुद्ध कारखाने से हथियारों के चोरी छिपे बाहर ले जाने के बारे में 5 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख). जी हाँ । 5 अगस्त 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में आवश्यक सूचना पर सम्मिलित एक पूर्ति विवरण संसदों कार्यों के मंत्री द्वारा 11 दिसम्बर 1970 को लोक सभा पटल पर रख दिया गया था ।

सेवानिवृत्त होने वाले शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास-स्थान

4384 **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन शरणार्थियों को बने बनाये मकानों का आवंटन करने के कोई प्रस्ताव हैं जिन्हें वरीयता/अन्य प्रक्रिया के अधीन सरकारी मकान आवंटित किये गये थे और जो अब सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं तथा सरकारी मकान खाली कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा उसे किस तारीख से लागू किया जाएगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार का विचार उन शरणार्थियों को मकान देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है जो सरकारी सेवा से निवृत होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसे कोई उपाय विचाराधीन नहीं हैं ।

इन्डियन ड्रग तथा फारमेस्यूटीकल्स लिमिटेड, मद्रास की असफलता

4385. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता से मद्रास में स्थापित इन्डियन ड्रग एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड अपने कार्य में असफल सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या इसे चालू रखने के लिये कोई क्रयादेश नही मिला और इस वर्ष के आरम्भ में 21 लाख रुपया के उत्पादों की सप्लाई करने वाले देश रूस ने संकेत दिया है कि अगले वर्ष के आरम्भ से वह भारत में आयात और भी अधिक बढ़ाएगा; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्राप्त सभी क्रयादेशों की पूर्ति के लिये यह संयंत्र अपनी क्षमता का केवल 35 प्रतिशत उत्पादन कर सकेगा ;

(घ) क्या उसके उत्पादों की देश में माँग बहुत ही कम है ।

(ङ) यदि हाँ, तो उनकी अनुमानित वार्षिक माँग कितनी है और इतने कम प्रतिशत माँग होने के क्या कारण हैं ; और

(च) इसे सफल सरकारी प्रतिष्ठान बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय औषध और भेषज लि० ने रूस को नवम्बर, 1970 तक 21.61 लाख रुपये के मूल्य के औजारों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कम्पनी ने जनवरी-अप्रैल, 1971 के दौरान प्रेषण के लिये 23.96 लाख रुपये के मूल्य के 2.50 लाख औजारों के एक निर्यात-आर्डर का भी ठेका किया है । आगामी आर्डरों के लिए बातचीत हो रही है । कम्पनी ने रूस को प्रतिवर्ष 70 लाख रुपये तक निर्यात को बढ़ाने की भी पेशकश की । इस समय औजारों के लिये देशीय आर्डर 3.02 लाख रुपये के हैं ।

(ग) जी नहीं । प्राप्य आदेशों से 4-5 महीनों के लिए उत्पादित क्षमता का पूर्णतया इस्तेमाल होगा ।

(घ) सन्यन्त्र के मूल उत्पाद सम्मिश्र में कई डिजाईनों के लिये तुरन्त मार्किट उपलब्ध न होने से देश की माँग को ध्यान में रखते हुए, सन्यन्त्र के उत्पाद-सम्मिक्ष का उत्तरोत्तर संशोधन किया गया है । पहले से ही 65 नये डिजायनों का विकास किया गया है और उनका व्यापारिक तौर पर उत्पादन किया जा रहा है ।

(ङ) परिवार नियोजन के औजारों, छोटे और बीच के आकार वाले सर्जिकल औजार कारखानों से कुट्टित इस्पात (कोर्जड ब्लैक्स) की बिक्री, चीरा-फारी के औजारों, कृत्रिम अंग संघटकों और हल्के इन्जीनीयरिंग कार्य-आदेशों को शामिल करते हुए, घरेलू मार्किट में सर्जिकल औजारों के लिए वार्षिक माँग 15-20 लाख रुपये अनुमानित है ।

(च) सन्यन्त्र के कार्यकरण के वित्तीय परिणामों में सुधार करने के लिये देशीय और विदेशीय मार्किटों में प्रर्याप्त आदेशों को प्राप्त करने हेतु, विक्रय प्रयासों का विस्तार किया जा

रहा है ताकि लाभप्रद अर्थक्षमता स्तर पर निरन्तर परिचालन सुनिश्चित हो। उत्पादों के क्रम का व्यपवर्तन करने के लिये औजारों तथा उपभोक्ता मदों की नई लाईनों का विकास किया जा रहा है। सर्जिकल औजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्य-आदेशों को हाथ में लिया जा रहा है।

मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली जीव विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अहमदाबाद में वायु दूषण एकक

4386. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुमुखी दूषण की समस्याओं का मुकाबला करने के लिये तुरन्त ही कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का विचार मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाली जीव-विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन हेतु वायुदूषण सम्बन्धी एक एकक स्थापित करने का विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति). (क) और (ख) : देश में जलदूषण की एंव वायु दूषण की समस्याओं के बारे में सरकार सजग है। जलदूषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत विधेयक बनाया है तथा "जलदूषण निवारण विधेयक 1969" नामक यह विधेयक 22 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त-समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। देश में वायु-दूषण की आम समस्या को हल करने के लिये सरकार ने वायु दूषण नियंत्रण विषयक एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के निर्देश-पद 30 नवम्बर, 1970 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर में पहले ही सभा पटल पर रख दिये गये हैं। इस समिति द्वारा तद्विषयक अपनी रिपोर्ट तथा एक कानून का प्रारूप शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोऔपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली

4387. **श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के बारे में 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1967-68 के दौरान सोसाइटी में हानि होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त संख्या के रिकार्ड में सन्देहास्पद दिखाई गई एक लाख रुपये से अधिक की राशि के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 1965-66 में हानि का मुख्य कारण ब्याज, वेतन, कानूनी खर्चों का भुगतान तथा राष्ट्रीय रक्षा निधि में अंशदान, इत्यादि था तथा 1967-68 में सदस्यों की जमा-राशि पर ब्याज था ।

(ख) और (ग) : सोसाइटी के अनुसार उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है । चूंकि मामला न्यायाधीन है, मामले के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के सदस्यों को प्लाटों का आवंटन

4388. **श्री प० मु० सईद** :क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के बारे में 6 अप्रेल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सोसाइटी ने अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर ली है तथा उसका विकास कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या शेष 63 सदस्यों को भी अपेक्षित आकार के प्लाटों का आवंटन करने के बारे में विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें संभवत: कितना समय लगेगा तथा इस समय उसकी स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष): (क) जी, नहीं । सोसाइटी को आवंटन के लिये प्रस्तावित भूमि का एक भाग अभी रोकादेश के अधीन है ।

(ख) सोसाइटी द्वारा अतिरिक्त भूमि-भाग प्राप्त कर लेने तथा उसका विकास पूरा करने के बाद उन्हें प्लाट आवंटिक करने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) रोकादेश समाप्त होने के बाद, उन्हें अतिरिक्त भूमि का कब्जा दे दिया जायेगा । मामला उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है ।

भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में ताँबे तथा सीसे के निक्षेपों का पता लगाया जाना ।

4389 **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में मध्य प्रदेश में ताँबे तथा सीसे के आशातीत एवम् विश्व भर में सर्वाधिक निक्षेप का पता लगाया है ।

(ख) क्या आगे की खोज तथा खनन कार्य को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस बारे में खेतरी परियोजना जैसी किसी परियोजना पर विचार किया जायेगा ; और यदि हाँ, तो यह काम पूरी गति से कब आरम्भ किया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री नीतिराज सिंह चौधरी**) (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये जा रहे प्रारम्भिक समन्वेषण के परिणाम स्वरूप बालाघाट जिले के मालाझखंड क्षेत्र में आशाजनक ताम्र अयस्क पिण्ड होने के संकेत मिले हैं। जबलपुर जिले में सलीमानाबाद-इमालिया-कारुआक्प बालाघाट जिले में मालाझखंड, होशगाबाद जिले में जोगा, बस्तर जिले में मुण्डाटोकरा तथा सुरमुजा जिले में मेलाई कुदारटीला, घोरपुर क्षेत्रों से ताम्र-सीसा-जस्ता की उपस्थिति की सूचना मिली है।

(ख) इन निक्षेपों के और समन्वेषण कार्य पर गम्भीरता एवं प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उच्च प्राथमिकता के आधार पर पहले ही समन्वेषण के क्रमबद्ध कार्यक्रम को कार्यान्वयन कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सितम्बर1970 तक समन्वेषण सत्र के दौरान पहले ही 1818 मीटर व्यधन-कार्य कर लिया है। 1970-71 कार्यक्षेत्र सत्र के लिये 2500 मीटर का व्यधन-कार्य प्रस्तावित है।

(ग) चूंकि अन्वेषण कार्य प्रगति पर है, अतः इन निक्षेपों की समुपयोजन पद्धति के बारे में विनिश्चय करना समयपूर्व होगा।

फर्रूखाबाद जिले में भूतपूर्व सेनिकों के बसाये जाने के लिए सहकारी समिति द्वारा भूमि का अर्जन।

4390. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फर्रूखाबाद जिले में एक ऐसी सहकारी समिति के गठन के मामले में सहायता देने के लिए तैयार है, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिहायशी मकानों के लिये भूमि अर्जित करेगी; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि फर्रूखाबद एक बड़ा सैनिक केन्द्र रहा है और भूत-पूर्व सेनिकों के आवास की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) फरूखाबाद फतेहगढ़ के पास है, कि जहाँ एक रेजिमेन्टल केन्द्र स्थित है। भूतपूर्व सैनिक सेवा से विमुक्ति के पश्चात् अपने घर जाते हैं, और इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए वास्य भवनों का प्रश्न सामान्य तौर पर उठता ही नहीं है।

सैनिक अधिकारियों की निजी कारणों से विदेश यात्रा

4391. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत छः महीनों में सशस्त्र सेनाओं के कितने अधिकारी छुट्टी लेकर निजी कार्य से विदेशों में गये थे ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा यह देखने के लिये यदि कोई पूर्वोपाय किये जाते हैं तो वे क्या हैं कि ऐसे अधिकारी विदेशों में अपनी छुट्टियाँ न बढ़ाते रहें तथा वे पारिवारिक कारोबार में न लगे रहें ;

(ग) गत छः से आठ महीनों में यदि कोई ऐसे मामले हुए हैं जिनसे ये अधिकारी भारत तथा बिदेशों में पारिवारिक कारोबार में लगे हुए पाये गये तो वे कितने हैं ; और

(घ) उपरोक्त दोषपूर्ण मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जहाँ तक नौ सेना और वायु सेना का संबंध है पिछले छः महीनों के दौरान 27 अफसर निजी कारणों वश विदेश छुट्टी पर गये । इस अवधि के दौरान विदेशों का भ्रमण करने के लिये 153 सेना अफसरों को सुरक्षा निर्वाधिता प्रदान की गई थी ।

(ख) और (ग). विदेश में बिताई जाने वाली छुट्टी प्रदान करने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पर मैरिट के अनुसार विचार किया जाता है, इस से पहले कि छुट्टी स्वीकृत की जाए । छुट्टी स्वीकार करने वाला अधिकरण उसे बढ़ाने की तभी अनुमति देता है कि जब वह संन्तुष्ट हो जाए कि आवश्यकता वास्तविक है । छुटटी के दौरान भारत या विदेश में उनके पारिवारिक कारोबार में अफसरों के प्रवृत होने की कोई घटना पिछले 6-8 मासों के दौरान सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नौसैना पनडुब्बी परियोजना, विशाखापत्तनम के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

4392. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना प्राधिकारियों ने अपने विशाखापतनम स्थित नौ-सेना पनडुब्बी परियोजना में नियुक्त असैनिक कर्मचारियों के लिये अब तक श्रेणी-वार कितने स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया है ;

(ख) इन क्वार्टरों में बसाये गये कर्मचारियों की श्रेणीवार प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) इस परियोजना में लगे सभी असैनिक कर्मचारियों को बसाने के लिये श्रेणी-वार कितने और क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा तथा कब तक किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नौ सैनिक प्रायोजना के असैनिक कर्मचारिगण के लिए विशाखापतनम में अब तक 94 क्वार्टर बनाए गए हैं और उनके वर्ग इस प्रकार हैं :--

टाइम दो क्वार्टर	28 सख्या में
टाइम तीन क्वार्टर	66 संख्या में

(ख) और (ग) : यह विस्तार सहज प्राप्त नहीं है और उनका पता लगाया जा रहा है।

स्थल सेना के जज–एडवोकेट जनरल ब्रांच में भर्ती

4393. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यस बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना की जज-एडवोकेट जनरल्स ब्रांच में अधिकारियों का कमी के कारण नौसेना तथा वायु सेना के इसी संगठन से अनेक अधिकारी यहां ले लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया से गत तीन वर्षों में कितने रिक्त स्थान भरे गये तथा स्थल सेना में जाने के बाद इसमें से कितने लोगों को अगले पद पर पदोन्नतियां मिलीं ;

(ग) ऐसे रिक्त स्थानों को स्थल सेना के ही उपयुक्त अधिकारियों को लेकर न भरने के क्या कारण है ;

(घ) क्या स्वयं नौसेना तथा वायु सेना भी अपने जज एडवोकेट सगठनों में ऐसे अधिकारियों की कमी अनुभव कर रहे हैं तथा उनके कार्य में बाधा पड़ रही है ; और

(ड) यदि हां, सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में और उनके कमानों में सभी रिक्त स्थानों के भरने लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ड) : केवल एक नौसैनिक अफसर को सेना के जज एडवोकेट जनरल के विभाग में अन्तरित किया गया था। वह सेना में उसी के पद पर लिया गया था पर बाद में नियमों के अन्तर्गत उसे कार्यवाहक ले० कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। उसे तब रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए लिया गया था कि जब सेना के सभी अफसर कि जो स्वेच्छ थे और उपयुक्त समझे गए थे खपा लिये गये श्रे नौसेना और वायु सेना के एडवोकेट जनरल के विभागों में कोई कमी नहीं है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए किसी प्रकार के विशेष पग उठाए जाने का, इस लिए प्रश्न ही नहीं उठता।

बहादुरगढ़, दिल्ली की बृहत योजना

4394. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक उप-नगर बहादुरगढ़ की बृहत् योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष): (क) और (ख) :

बहादुरगढ़ हरियाणा में है, तथा शहर की बृहत योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व हरियाणा सरकार का है। उस सरकार ने शहर की एक प्रारंभिक विकास योजना तैयार की थी, तथा इसे जनता की आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया था। उन्हे कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं तथा वे उनकी जांच कर रहे हैं।

केन्द्रीय लोक निमा ण विभाग में भर्ती किये गये श्रेणी एक इन्जीनियरों की नियुक्ति

4395. **श्री एस० डी० सोमसुन्ररम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सीधे भर्ती किये श्रेणी एक के इंजीनियरों को रख-रखाव कार्य (मेंटीनेंस) पर तथा डिप्लोमा-इंजीनियरों को बड़े निर्माण कार्यों पर लगाने के क्या कारण हैं और स्नातक इंजीनियरों को रख-रखाव, सर्वेक्षण, स्टोर्ज़ आदि के कार्यों से न हटाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (परिमल घोष) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को, चाहे वे श्रेणी-I के सीधी भर्ती वाले हों अथवा डिप्लोमाधारी हों, आवश्यकताओं के अनुसार अनुरक्षण, निर्माण, आयोजना मंडलों आदि में लगाया जाता है। यह भी विभाग के सभी प्रकार के कार्यों का उन्हें अनुभव देने के लिए किया जाता है। अतः स्नातक इंजीनियरों को अनुरक्षण आदि मंडलों से हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही

4396. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरों की बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्तियाँ न करने, लोगों को 55 बर्ष की आयु में सेवा निवृत न करने, मना किये बिना इंजीनियरों को उदारता से छुट्टियां न देने, तथा ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों की इंजीनियरों की भर्ती करने के लिये बाध्य न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) देश में इंजीनियरों की बेरोजगारी का सरकार को ज्ञान है।

(ख) (i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हुई रिक्तियाँ, सिवाये कतिपय रिक्तियों के भरने में लगने वाले कुछ समय के, यथासंभव शीघ्र ही भर दी जाती हैं, किसी पद को बिना भरे नहीं रखा जाता।

(ii) कुछ वर्गों को छोड़कर, सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की निवर्तन आयु 58 वर्ष है, और हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की 55 वर्ष की आयु हो जाने पर सामान्यता सेवा-निवृत नहीं कर सकते, जब तक कि सरकार द्वारा निवर्तन-आयु को कम करने का सामान्य निर्णय नहीं लिया जाता।

(iii) कभी-कभी, सेवा की आवश्यकताओं के कारण छुट्टी मना कर दी जाती हैं, अन्यथा जब कभी छुट्टी के लिए निवेदन किया जाता है, इंजीनियरों की छुटटी स्वीकृत की जाती है।

(iv) मार्च, 1969 में ये आदेश जारी किये गये थे कि ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे :

(क) एक स्नातक इंजीनियर, जब किये जाने वाले निर्माण कार्य की लागत 5 लाख रुपये से अधिक हो ;

(ख) एक योग्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी (ओवरसीयर) जब किये जाने वाले कार्य की लागत 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम हो।

उपर्युक्त उपबंध को लागू करने के उद्देश्य से ठेके के फार्म में उचित संशोधन कर दिया गया है। उसमें यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि किसी मामले में ठेकेदार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने में असफल रहता है, तो उसे स्नातक इंजीनियर के मामले में ऐसा न करने पर प्रतिमास 2,000 रुपये और डिप्लोमाधारी के मामले में ऐसा न करने पर 2,000 रुपये प्रतिमास की राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इन्जीनियर के पद का दर्जा बढ़ाना

4397. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती नियमों के विरुद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भरती किये गये 38 सहायक इंजीनियरों को बिना लिखित परीक्षा लिये केवल इंटरव्यू के आधार पर सहायक कार्यवाही इंजीनियर के पदों पर पदोन्नतियाँ देने का विचार कर रही है ताकि निचले पदों से पदोन्नत सहायक इंजीनियरों द्वारा पेश की गई रिट याचिका को निष्क्रिय बनाया जा सके ; और
(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रहना

4398. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रामाकृष्णपुरम के सेक्टर दो के चतुर्थ श्रेणी के अधिकाँश क्वार्टरों में गैर-अलाटी रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विशेषकर क्वार्टर संख्या 640 से 680 तक की कोई जाँच करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं । तथापि, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर II में सरकारी क्वार्टरों की उप-किरायेदारी के बारे में कुछ शिकयतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) :

सारे इलाके का एक सामान्य सर्वेक्षण आवश्क नही समझा गया, क्योंकि समय-समय पर आवधिक जाँच/पूछ-ताछ की जाती हैं ।

भूतपूर्व-ट्रावनकोर-कोचीन के सैनिकों की ओर से पेंशन की वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन

4399. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व ट्रावनकौर कोचीन के सेवा निवृत्त सैनिकों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाकर भारतीय सेना के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बराबर कर दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) ट्रावनकौर कोचीन राज्य की सेनाओं के सेविवर्ग को सर्वप्रथम पैन्शन की स्वीकृति उनकी सेवा निवृत्ति के समय उन पर लागू आदेशों के अन्तर्गत की गई की थी। इन दरों में संशोधन करना शक्य नहीं है। तदपि, अक्तूबर 1965 से जीवन लागत के बढ़ जाने के कारण भारतीय सेना के पेन्शनरों के लिए समय समय पर पेंशन में अस्थायी तथा तदर्थ वृद्धियों के लिए वह अधिकारी बना दिये गये थे। 1 मार्च 1970 से भूतपूर्व रियास्तों की सेनाओं सहित सशस्त्र सेना पेन्शनरों की कम से कम पेन्शन (अस्थायी वृद्धि और तदर्थ वृद्धि समेत) बढ़ा कर 40 रुपये मासिक कर दी गई है।

अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा भारत में औषधि के आयात हेतु वित्त देना बंद किया जाना

4400. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भारत में सभी प्रकार की औषधियों के आयात हेतु वित्त देना तुरन्त बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

नई दिल्ली तथा बम्बई आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थानों की स्थापना

4401. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थय तथा परिवार नियोजन और निर्माण' आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद में अनुसधान करने और उपयोगी तथा सिद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली तथा बम्बई में आयुर्वेदिक संस्थानों की स्थापना के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब० सू० मूति (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में 1970-71 और 1971-72 के दौरान चार आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन संस्थानों में से एक संस्थान दिल्ली में स्थापित करने का विचार हैं । शेष संस्थानों के लिये स्थाननिर्धारण विभिन्नि राज्यों में उपलब्ध अपेक्षित सुविधाओं पर विचार करने के पश्चात किया जाएगा ।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :--

(क) विभिन्न रोगों की रोक-थाम तथा उपचार के लिये अच्छी, सस्ती तथा प्रभावकारी औषधी का पता लगाना ।

(ख) भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद के अधीन चल रहे विभिन्न अनुशंधान एककों के तकनीकी श्रमिकों को प्रशिक्षण देना;

(ग) विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले 'इलाज के दावों की सार्थकता का पता लगाना; और

(घ) कुछ दु:साध्य रोगों के उपचार के लिए प्रसिद्ध पंचकर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण तथा जलुक-अवकर्ण जैसे चिकित्सा-विज्ञान के वैज्ञानिक आधार का निर्धारण करना । तात्कालिक आवश्यकता इन तकनीकों को पुराने आयुर्वेदिक काय-चिकित्सकों से प्राप्त करने तथा उन्हें उचित ढंग से विकसित करने की है ।

प्रस्तावित संस्थानों में से प्रत्येक निम्नलिखित अनुभाग होंगे :--

(क) अनुसंधान अनुभाग
(ख) अस्पताल अनुभाग
(ग) प्रयोगशाला अनुभाग
(घ) औषध-निर्माण अनुभाग
(ङ) प्रशासनिक अनुभाग

दिल्ली की श्यामाप्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी के लिये सुविधाएं

4402. **श्री ए० एन० श्रीधरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी (स्वीकृत भाग) को सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बस्ती के निवासियों को ये सुविधाएं कितने समय तक उपलब्ध कर दी जायेंगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार मुकर्जी पार्क स्थित दिल्ली विद्युत् प्रदाय के उपकेन्द्र से दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूल तक एक सम्पर्क सड़क भी बना देने का है जिसके आभाव में वहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय किया है कि इस कालोनी में मकानों के बनाने की अनुमति दी जा सकती है तथा विकास-प्रभार की वसूली के उपरान्त मकानों के नक्शे अनुमोदन के लिए स्वीकार किये जा सकते हैं। जल पूर्ति, मल निष्कासन नालियों तथा सड़कों आदि की व्यवस्था में रह रही जैसी कमियों को पूरा करने की लागत विकास-प्रभार में सम्मिलित होगी। प्लाट मालिकों से पर्याप्त विकास प्रभार वसूल कर लिये जाने पर नगर निगम इस कालोनी में इन सेवाओं की व्यवस्था करेगा।

इस समय इस कालोनी में पहले से ही बिजली की व्यवस्था है और भावी उपभोक्ताओं को औपचारिक रूप से अर्जी देने तथा सामान्य औपचारिकतायें पूरी किये जाने पर बिजली कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(ग) इस कालोनी के प्लाट मालिकों से पर्याप्त विकास प्रभार वसूल हो जाने पर विद्युत-सब-स्टेशन और नगर निगम प्राथमिक पाठशाला के बीच की सड़क का भी निर्माण किया जाएग।

केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग में कनिष्ट सहायक अभियन्ताओं का समयोपरि भत्ता

4404. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ट अभियन्ता समयोपरि भत्ते के इस-लिए हकदार नहीं हैं कि उनका कार्य पर्यवेक्षण का है जब कि उन्हें निर्धारित कार्यालय समय से अधिक कार्य करना पड़ता है; और

(ख) कनिष्ट अभियन्ताओं को समयोपरि भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार पर्यवेक्षी तथा फील्ड स्टाफ समयोपरि-भत्ते का पात्र नहीं हैं, इस दृष्टि से कन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर

इन्जीनियर (सेक्शनल ओफिमर) जो मूलत: पर्यवक्षी तथा फील्ड स्टाफ हैं, समयोपरि-भत्ता दिये जाने का पात्र नहीं है।

कलकत्ता और उसके आस-पास पानी के जमा हो जाने की समस्या

4404. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों ने कलकत्ता तथा उसके आस-पास जमा होने वाले पानी की समस्या के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी ;

(ख) क्या गुजरात सरकार की भाँति पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण लिये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला ; और

उक्त परियोजना के लिए किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने अपने कलकत्ता के दौरे के समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बाढ़ नियन्त्रण उपायों, जिनमें कलकत्ता में पानी के जमा होने की समस्या भी सम्मिलित है, के तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर विचार विमर्श किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). विचार विमर्श मुख्यत: चौथे आयोजन में पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियत्रण के लिए धन नियतन के बारे में हुआ। यह पता चला कि चौथे आयोजन में बाढ़ नियंत्रण संबंधी प्रमुख उपायों को पूरा करने के लिये लगाया लगभग 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार बाढ़ नियन्त्रण के लिए अधिक धन का नियतन कर सकती है और केन्द्रीय सरकार भी समान रुप से धन की व्यवस्था करने के बारे में विचार करेगी।

चौथे आयोजन में कलकत्ता महानगर जिले में कलकत्ता तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 2951.44 लाख रुपये की लागत वाली 26 योजनाएं शुरु करने का विचार है। इन योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय अनुदान समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जा रही है।

मोहरांग (मणिपुर) में एक स्मारक की स्थापना

4405. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर राज्य में मोइरांग के स्थान पर जहाँ भारतीय स्वाधीनता का प्रथम ध्वज फहराया गया था तथा जहाँ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन अस्थायी भारत सरकार का अग्रिम मुख्यालय स्थापित किया गया था, एक स्मारक निर्मित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह स्मारक कब पूरा हो जाएगा तथा उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). मार्च, 1968 में एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय का निर्माण तथा उद्घाटन हो चुका है । मोइरांग में जहाँ भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम ध्वज फहराया गया था, सिंगापुर में आ ई० एन० ए० के स्तूप की ग्रेनाइट प्रतिकृति का निर्माण कर दिया गया है ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा के लिए एक चबूतरा निर्माणाधीन है, और जनवरी, 1971 के चौथे सप्ताह में नेताजी की प्रतिमा स्थापित की जानी है ।

नई दिल्ली नगरपालिका में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

4406. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित किये जाते है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन वर्गों में कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू मूर्ती) : (क) जी हाँ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका में प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या का उनके प्रतिशत के साथ एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
श्रेणी I	43	X	X
श्रेणी II	104	2	1.92%
श्रेणी III	3095	114	3.68%
श्रेणी VI	1835	232	12·64%
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)			
सफाई कर्मचारी/सीवर कर्मचारी	1600	1600	100%

विदेशी राजदूतावासों द्वारा अखबारी कागज का आयात

4408. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों में अमरीका, रूस, पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, पाकिस्तान और चीन के राज दूतावास द्वारा अखबारी कागज या अन्य कागजों का कुल कितनी मात्रा में भारत में आयात किया गया ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत स्थित विदेशी मिशन जिन अखबारी काग़जों या अन्य काग़जों का आयात करते हैं उनकी कुल मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए अभ्यार्थियों से धन की वसूली

4409. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में भारतीय वायु सेना के भर्ती अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर एम० डी० मनढ़कर ने कुछ अभ्यार्थियों से उनको भारतीय वायु सेना में भर्ती कराने का वचन देकर बड़ी मात्रा में धन की वसूली की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस भर्ती अधिकारी से कुल कितना धन बरामद किया गया ;

(ग) क्या इस मामले में कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे ; और

(घ) सरकार का भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (घ). आई० ए० एफ० बंगलौर के भर्ती अफसर स्कवाड्रन लीडर एम० डी० मंढ़कर ने कई व्यक्तियों से इस आश्वासन पर राशिएं इक्ट्ठी की कि वह उन्हें आई० ए० एफ० में भर्ती कर देगा। एक असैनिक न्यायालय द्वारा उन पर अभियोग चलाया गया था, उसे दोषी पाया गया था और तीन वर्षो के लिए कड़े कारावास और 1000 रुपये का उस पर जुर्माने का दण्ड दिया गया था या जुर्माना न देने की दशा में 6 मास की अवधि के लिए और अधिक कड़ा कारावास। कुछ असैनिक भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त थे। उन्हें भी दोषी सिद्ध पाया गया था और कारावास की विभिन्न अवधियों के लिए उन्हें दन्डित किया गया था।

ऐसे मामलों की आगे रोकथाम के लिए निम्न पग उठाए गए हैं :

(1) भर्ती कर्मचारी गण की टैन्योर घट कर 3 वर्ष करा दी गई है।

(2) परीक्षा-पत्रों तथा अन्य परीक्षण द्रव्यों की सुरक्षा भर्ती अफसरों के स्थान पर स्टेशन कमाँडरों को सौंपी गई है।

(3) भर्ती केन्द्रों में स्टेशन कमाँडरों को परीक्षापत्रों और चैन पत्रों को रोटेट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, कि जो उम्मीदवारों को दिए जाते हैं।

(4) मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय को कहा गया है कि वह परीक्षापत्रों और चैन-पत्रों का बार बार संशोधन करते रहें कि उनका भेद खुल न पाए।

तीन मूर्ति भवन में हुए समारोह में अरब देशों के राजनयिकों की अनुपस्थिति

4410. **श्री वि० नरसिन्हा राव :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर 1970 को तीन मूर्ति भवन में हुए समारोह में जब राष्ट्रपति ने यहूदी मेनु इनको नेहरु पुरुस्कार प्रदान किया था, अरब देशों के राजनयिक सामुहिक रूप से अनुपस्थित रहे ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके अनुपस्थित होने के क्या कारण हैं ? और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) व (ग). अल्जीरिया, मोरक्को, सऊदी अरब, सूड़ान और सीरिया के राजदूतों ने सूचित किया था कि वे समारोह में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे रमजान का रोजा तोड़ने से पहले समारोह से वापस नहीं आ सकेगें । संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत ने सूचित किया था कि एक पूर्व निश्चित सरकारी काम के कारण वह भाग लेने में असमर्थ रहेंगे । अन्य अरब मिशनाध्यक्षों के संबंध कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अरब राजनयिकों द्वारा समारोह के वहिष्कार के किसी निर्णय की सरकार को जानकारी नहीं हैं । इन बातो को देखते हुए सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री का मध्य पूर्वी देशों का दौरा

4411. **श्री वि० नरसिन्हा राव :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैदेशिक कार्य के उप मंत्री ने हाल ही में मध्य पूर्वी देशों का दौरा किया था ; और

(ख) क्या दौरे के निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति का विशेषकर फिलिस्तीनी छापामारों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में कोई अनुमान लगाया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ, । उप विदेश मंत्री ने 12 से 21 सितम्बर, 1970 के बीच इराक, सीरिया और साइप्रस की यात्रा की ।

(ख) जब 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 242 पारित हुआ था उसके लगभग तीन वर्षो के बाद विरोधी शक्तियों के बीच जो गतिरोध है उसमें इस बीच शान्ति के लिए की गई किसी भी कार्रवाई को स्वीकार करने के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़े । भारत सरकार का अभी भी यह दृढ़ मत है कि उक्त सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के सम्पूर्ण क्रियान्वयन से ही इस प्रदेश में न्यायोचित एवम् स्थायी शान्ति स्थापित होने की आशा है।

दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटेन के हथियारों की सप्लाई

4412. **श्री इसहाक संभली** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार करना आरम्भ कर दिया है और उस देश के साथ एक प्रतिरक्षा संबन्धी करार किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन को विरोध पत्र भेजा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है यूनाइटेड किंगडम सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार करना कभी बन्द नहीं किया था ।

हाल में यू० के० सरकार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि दक्षिण अफ्रीका के चारों ओर समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए, दक्षिण अफ्रीकी शासन के साथ पुराने सहयोग सबंधी प्रबन्धों को फिर चालू करने के उद्देश्य से, 1955 के साइमन्सटाउन करार को लागू किया जाए ।

(ख) भारत सरकार ने यू० के० सरकार से इस बात के लिए तीव्र विरोध प्रकट किया है जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को फिर हथियार देने की इच्छा जाहिर की है ।

कच्चातीवू द्वीप के मामले का निबटारा

4413. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री दंडपाणि** :
श्री मायावन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में श्रीलंका तथा भारत में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कच्चातीवू द्वीप के मामले में भारत के विरुद्ध भारी रोष व्यक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस मामले को सुलझाने में और अधिक विलम्ब करने से दोनों देशों के संबंधो में भारी तनाव पैदा होगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ । सरकार ने अखबारों में इस तरह की खबरें देखी हैं ।

(ख) और (ग). कच्चातीवू द्वीपसमूह की प्रभुसत्ता के प्रश्न पर अभी भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, भारत और श्रीलंका दोनों ने ही इसे तथा अन्य संबंधित मामलों को मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से तय करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारत सरकार को विश्वास है कि जब तक इस प्रश्न पर निर्णय करने में यह भावना बनी है तब तक दोनों देशों के संबंधों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता।

जुआरी-एग्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा गोआ में उर्वरक कारखाने की स्थापना

4414. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दंडपाणि :**
श्री मयावन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुआरी-ऐग्रो कैमिकल्स लिमिटेड की 58 करोड़ रुपये की लागत वाली उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य, जिसे 1972 में पूरा होना था; संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं कर रहा है तथा इसके निर्माण कार्य में एक वर्ष का और विलम्ब हो जाएगा।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिडलाओं को कहा है कि वे कारखाने की स्थापना में विलम्ब न करें तथा निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा करें; और

(ग) इसको 1972 तक पूरा करने के लिए सरकार क्या सहायता देने पर सहमत हो गई है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य-क्रम के अनुसार प्रगति पर है। पूर्व अनुमानित कोई देरी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्य के लिए कोई विशेष सहायता की सहमती नहीं हुई है।

मैसर्स पोद्दार की खानें

4415. **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स पोद्दार की मैसूर राज्य में तथा शेष भारत में कितनी खानें हैं; और

(ख) प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी की अपेक्षा की गयी है और वह सभा पटल पर रखी जाएगी ।

नरेणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार के एलाटी

4416. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3913 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों के कुछ एलाटियों को, जिन्हें नरेणा में दूसरे लाट में फ्लेट अलाट किए गए थे, चार महिने से अधिक ब्याज मुक्त अवधि दी गई थी जब कि कुछ अन्य दिल्ली विकास प्राधिकार की बस्तियां जैसे सफदरजंग में, कुछ अलाटियों को ब्याज की छूट दी गई थी और कुए अलाटियों को कई महीने पश्चात् ब्याज मुक्त धनराशि जमा करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सरकार से ऋण प्राप्त होने में कठिनाई को देखते हुए सरकार उन अलाटियों के मामले में पुन: विचार करेगी जिन्हें नरेणा में पहले लाट में फ्लेट अलाट कर दिए गए थे और उनके मामले में ब्याज जो बहुत अधिक है माफ कर देगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को मामले पर पुन: विचार करने के लिए कहा जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मौजा गोविन्दपुर (पश्चिम बंगाल) में अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण

4417. **श्री देवेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजा गोविन्दपुर, पुलिस स्टेशन आसनसोल, जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष, 1961 में अस्पताल का निर्माण करने के उद्देश्य से लगभग 68.78 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली थी (बर्दवान, पश्चिम बंगाल के अधिग्रहण मामला संख्या (5 आर०) । 1960-61 के अनुसार) और उसे अपने अधिकार में ले लिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भूमि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिये किया गया है जिसके लिए यह अधिग्रहित की गई थी तथा अधिकार में कर ली गयी थी ;

(ग) क्या भूमि के मालिकों को उनकी भूमि को इस प्रकार अधिग्रहित करने तथा अपने अधिकार में करने के कारण कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ।

(घ) यदि नहीं, तो क्या भूमि के मालिकों को कोई फसल क्षतिपूर्ति तब तक के लिए दी गई है जब तक कि भूमि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है ; और

(ङ) उस क्षेत्र में प्रति बीघा भूमि का मूल्य चार हजार रुपये है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रारम्भ में 68.78 एकड़ भूमि मार्च, 1961 में पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक अस्पताल की स्थापना के लिए अधिग्रहीत की गई थी । तत्पश्चात राज्य सरकार ने 40.82 एकड़ भूमि राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए एक अस्पताल के निर्माण के हेतु श्रम विभाग को तथा 27.96 एकड़ भूमि एक नगर का निर्माण करने के लिये आवास विभाग को आवंटित करने का निर्णय किया है । राज्य सरकार ने 11-4-1966 को पश्चिम बंगाल भूमि (अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1948 (1948 के ग्यारहवां) की धारा स (1- ए) के अधीन नोटिस जारी किया था ।

(ग) और (घ). भूमि अर्जन की लागत तथा भूमि की अधिग्रहण अवधि की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अनुमान अब सरकार को प्राप्त हो गए हैं तथा वर्दवान के कलक्टर को इस काम में लाने के लिये धन देने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा पश्चिम बंगाल सरकार के आवास विभाग से धन मिलने के उपरान्त सम्बन्धित पार्टियों को कलक्टर द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

भारत-चीन सम्बन्ध

4418. **श्री समर गुह :**

श्री लखनलाल कपूर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारने तथा पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को दृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहा है जैसा कि अक्टूबर दिवस के मास्को को भेजे गये संदेश से तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पेकिंग की यात्रा से संकेत मिलते हैं ;

(ख) क्या कुछ समय शांत रहने के पश्चात् चीन ने फिर भारत के विरुद्ध प्रचार बढ़ा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो चीन ने भारत के विरुद्ध जो हाल में आलोचनाऐं करनी आरम्भ की हैं, वे किस प्रकार की हैं ; और

(घ) चीन के रूस और पाकिस्तान के साथ राजनयिक विचार विमर्श के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया है ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (घ) : अन्य देशों के साथ चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है ।

(ख) और (ग) . कुछ समय तक मौन रहने के बाद चीन ने भारत विरोधी प्रचार पुनः आरम्भ कर दिया है । इन भारत विरोधी समाचारों में दलाईलामा का समर्थन करने और ताईवान के तथाकथित सम्पर्क के बारे में निराधार आरोप लगाए जाते हैं और नेपाली समाचार पत्रों से उद्धरण देते हुए नेपाल-भारत व्यापार और परिवहन संधि के प्रश्न पर भारत को नेपाल की ओर "विस्तारवादी" बताया जाता है और भारत में होने वाले प्रदर्शनों और हड़तालों के समाचारों को बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाता है ।

भारतीय पत्रकारों द्वारा संघीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य और जर्मनी लोकतंत्रीय गणराज्य की यात्रा

4419. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीय पत्रकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने संघीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकारों के निमंत्रणों पर जनवरी, 1968 और अक्टूबर 1970 के बीच में उन देशों की यात्राएं की थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारतीय व्यापारियों को केनिया छोड़ने के लिए मजबूर करना

4020. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल मूल भारतीय व्यापारियों को केनिया में अपना व्यापार बन्द करने के लिये और देश छोड़ने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों की संख्या क्या है तथ इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जून, 1970 में कीनिया सरकार ने घोषित किया कि जिन गैर नागरिक व्यापारियों को किसी निश्चित तारीख तक अपना-अपना व्यापार बन्द करने के लिये पहले अल्पकालिक व्यापार लाइसेंस जारी किये गए थे, और वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी और उन्हें अपना व्यापार वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति पर बन्द कर देना होगा और यह आदेश तत्काल लागू होगा। प्रभावित व्यक्तियों को देश छोड़ने के लिए कहने के सम्बद्ध आदेशों की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) अनुमान है कि भारतीय मूल के लगभग 300 व्यापारियों पर इस घोषणा का प्रभाव पड़ने की संभावना है जो कीनिया के नागरिक नहीं हैं। इन व्यक्तियों में अधिकतर व्यक्ति ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं।

कीनिया सरकार ने ये कदम, व्यवहार और व्यापार का अफ्रीकी करण करने की अपनी घोषि तनीति के अनुसार अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकार के अधीन उठाए हैं। भारतीय मूल के जो प्रभावित व्यापारी स्थायी आवास के लिए भारत आना चाहेंगे, उन्हें भारत सरकार द्वारा उदार सीमाशुल्क और आयात नियंत्रण रियायतें दी जाऐंगी।

लीबिया से भारतीयों का निष्कासन

4421. **श्री ई० के० नायनार :**

श्री देवन सेन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंचे वेतन पाने वाले 12 भारतीयों को लीबिया से निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) लीबिया के राज्य प्रमुख कर्नल मुअम्मर एल क्वथाफी ने 5 सितम्बर, 1970 को बंघाजी में अपने भाषण में यह कहा कि लीबिया में प्रवर पदों पर काम करने वाले 735 विदेशियों की सविदाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिनमें 12 भारतीय हैं। सरकार को प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार अब तक लिबियाई सरकार द्वारा नियोजित 11 भारतीयों की संविदाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) विदेशियों के स्थान पर लिबियाई राष्ट्रिकों को लाना' लिवियाई सरकार का अरबीकरण नीतियों का अंग है । सरकार के लिये यह उचित होगा कि वह इस संबंध में कोई औपचारिक कार्यवाही करे, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि खास भारतीयों के साथ ही यह भेद-भाव अपनाया जा रहा है ।

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारतीयों को भेजे गये निमंत्रण पत्र

4422. **श्री प्र० के० देव : क्या वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारतीयों को दिए जाने वाले सभी निमंत्रण पत्र नियमानुसार उनके मंत्रालय के माध्यम से जाने चाहिए ;

(ख) क्या चीनी दूतावास इस नियम का कठोरता से पालन कर रहा है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1970 के "स्टेट्समैन" समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ). गैर राजनयकों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजने की अपेक्षा केवल इसलिए होती है जिससे की चीनी राजदूतावास की उचित सुरक्षा सुनिश्चित हो सके । ऐसे गैर-राजनयकों को चीनी राजदूतावस में प्रवेश करने से पूर्व, जाँच करने के लिये विवेकानुसार कदम उठाए जाते हैं ।

(ग) जी हाँ ।

रूस को शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों का निर्यात

4423. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री सामिनाथन् :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों के लिए एक क्रियादेश दिया है ; और

(ख) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) और (ख). जी हां। रूस ने 23,96,100/- रुपये मूल्य के 15 किस्मों के 2,57,000 औजारों के लिये एक पक्का आर्डर दिया है जिसका जनवरी-अप्रेल 1971 की अवधि के दौरान प्रेषण किया जाना है। इस बारे में 11 नवम्बर, 1970 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह 21,61,155 रुपये मूल्य के 2,47,800 औजारों के आर्डर के अलावा है जिसकी कार्यान्विति चालू वर्ष में कार्यक्रम के दो महीने पहले ही की जा चुकी है।

मद्रास स्थित शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के कारखाने के उत्पादों को रूस को छोड़कर अन्य देशों को निर्यात करना

4424. **श्री सामिनाथन् :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के कारखाने ने रूस को छोड़ कर अन्य देशों को भी अपने उत्पादों क निर्यात किया है ;

(ख) क्या इस कारखाने को बड़ी संख्या में प्राप्त हुए क्रयादेशों को देखते हुए सरकार इस कारखाने का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ। इस यूनिट ने अपने कुछ उत्पादों का दूसरे देशों, अर्थात बर्मा, नेरोबी, सीरिया, हीवोनन, उगेन्डा, लंका, जारडन, अरब गणराज्य, पश्चिम जर्मनी तथा बेल्जियम, को भी निर्यात किया है।

(ख) जी नहीं। संयंत्र की बर्तमान क्षमता निर्यात आर्डरों को पूरा करने के लिए प्रर्याप्त समझी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोला-बारूद इस्पात कारखाने का विकास

4425. **श्री महेन्द्र माझी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोला बारूद इस्पात करखानें का विकास करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना में कितनी धनराशि लगेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी हाँ । सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कानपुर में सम्मिश्र धातु तथा विशिष्ट फौलादों के लिए संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता स्वीकार कर ली है ।

(ख) संयंत्र को लगभग 16400 टन प्रति वर्ष तैयार खंडों जैसे कि टिकानों, छोटे और मंझौले खंडों, चादरों, पट्टियों इत्यादि के उत्पादन की क्षमता होगी । संयंत्र उसकी स्वीकृति से लगभग 5 वर्षों के अन्दर स्थापित किया जाना प्रत्याशित है ।

(ग) प्रस्तावित संयंत्र पर लगभग 40 करोड़ रुपये के स्तर का खर्च होगा ।

इस्पात की कमी के कारण कोयला उद्योग में संकट

4426. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में लगभग अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) क्या संरचनात्मक स्टील, फ्लैट्स, चादरे और राड्स विशेष रूप से खुले बाजार सेलुप्त हो गया है और इन वस्तुओं की झरियाँ कोयले की खानों में चोरबाजारी हो रही है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कई लोहे तथा इस्पात के अभिकरण इस षड़यंत्र में सम्मिलित हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्य वाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस समय इस्पात के समस्त वर्गो का अभाव है और समस्त उद्योग प्रभावित हुए है । कोला उद्योग ने भी शिकायत की है कि वह भी अभाव से प्रभावित हुआ हैं ।

(ख) से (घ) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस समय इस्पात का कोई वैधानिक मूल्य नियत नहीं है। लोहे और इस्पात की वितरण प्रणाली को पहले ही सरल और कारगर बना दिया गया है और खुले बाजार में प्रकटन की गुंजाइश पर्याप्त कम हो गई है। वर्तमान अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये वास्तविक उपभोक्ता - अनुज्ञप्तियों के द्वारा इस्पात सामग्री के आयात को उदार बना दिया गया है। अब उपभोगता अपनी गत वर्ष की खपत के 50 प्रतिशत की अपूर्ति वाले इस्पात के कतिपय वर्गों के आयात के लिए स्वच्छन्दतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक उपभोगताओं में वितरण हेतु प्लेट, शीटों और टिन-प्लेटों जैसी दुर्लभ वस्तुओं का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जापान को किए जा रहे 5 करोड़ रुपये से अधिक के कच्चे लौहे के निर्यात से सी० आर सी० ए० शीटों, एम० एस० प्लेटों, एच० आर० कुण्डलियों का प्रर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है।

वाशिंग कोल का निर्यात

4427. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने प्रक्षालित कोयला (वाशिंग कोल) का निर्यात शुरु कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात किन देशों से किया गया है और उससे कितनी आय हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, परीक्षण आधार पर।

(ख) केवल जापान। अब तक विदेशी मुद्रा के रुप में उपार्जित राशि लगभग 151,000 डालर (रु० 11,32,500.00) है।

नेपाल को सहायता

4428. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल अधिकारियों के साथ, नेपाल में चौथी पंचवर्षीय

बयोजना की कार्यान्विति के लिए भारतीय सहायता की राशि निश्चित करने के लिए ातचीत की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्या किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4429. **श्री एस० श्रीधरन :**

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों पर की जा रही जाँच के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागाओं द्वारा नागालैंड में चोरी-छिपे घुसने का प्रयास

4430. **श्री दंडपाणि :**

श्री चपलाकाँत भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 से अधिक विद्रोही नागाओं द्वारा, जो नागालैंड में चोरी-छिपे घुसने का प्रयास कर रहे हैं, बर्मा के उत्तर में, कोचीन क्षेत्र में तम्बू गाड़े जाने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनके प्रवेश को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस संबंध में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें देखी हैं। किन्तु, इन रिपोर्टों को प्रमाणित करने का कोई सबूत नहीं है, यद्यपि कुछ संकेत मिले हैं कि भूतपूर्व नागा दलों के बचे हुए कुछ व्यक्ति अभी बर्मा में है और भारत में प्रवेश करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) राज्य सरकार तथा सुरक्षा सेनाएं, सीमा के आर-पार गुप्त आवागमन को रोकने में समर्थ हो गई हैं। बेहतर आसूचना व्यवस्था तथा ग्रामीणों के सहयोग से इस काम में बहुत सुविधा मिली है।

विवाह आयु का बढ़ाना

4432. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** **श्री दण्डपाणि :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विवाह योग्य आयु को बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों से भी इस संबंध में सलाह ली गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) कानूनी : रूप से विवाह योग्य आयु बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रही है। राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है और उनमें से अधिकांश सरकारें वर्तमान न्यूतनम आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं। राज्य सरकारों और जन साधारण के विचारों को दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर आगे विचार किया जा रहा है।

भटिण्डा (पंजाब) में उर्वरक कारखाने की स्थापना

4433. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापन के सहयोग से भटिण्डा (पंजाब) में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से भटिण्डा, सरहिन्द में एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव अक्टूबर, 1970 के अन्त में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव परीक्षाधीन है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मुआवजा

4434. **श्री समर गुह :** **श्री रामगोपाल शालवाले :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1970 को पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार नेहरू-लियाकत अली समझौता अभी विद्यमान है और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ;

(ख) क्या इस समझौते के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान के अल्प संख्यकों को अपनी सम्पत्ति को बेच या हस्तान्तरित कर सकते है तथा यदि वे ऐसा चाहें तो उसे मिले धन को भारत ला सकते हैं तथा उन्हें पूर्वी पाकिस्तान तथा भारत आने जाने की पूरी स्वतन्त्रता है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने इन सभी शर्तों को पूरी तरह भुठला दिया है तथा पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसख्यकों तथा शरणार्थियों की सम्पत्ति को पाकिस्तान सरकार ने छीन लिया है ;

(घ) क्या वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों अथवा वहाँ रह रहे अल्प-संख्यकों को नेहरू - लियाकत अली समझौते का बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिला ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मुआवजे का अधिकार देने की संभावना के संबंध में फिर से नए रूप से विचार विनिमय करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ। पुनर्वास राज्य मंत्री के यथा तथ्य वक्तव्य सदन के रिकार्डो में उपलब्ध है।

(ख) नेहरू-लियाकत करार के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि "धर्म का ध्यान किए बिना नागरिकता की पूर्ण समानता रहेगी और जीवन, संस्कृति, सम्पत्ति और वर्ग सम्मान के मामले में पूर्ण सुरक्षा रहेगी ; व्यवसाय करने, भाषण देने और पूजा करने की तथा कानून एवं नैतिकता के अधीन उन्हें एक दूसरे देश में आने जाने की स्वतन्त्रता रहेगी।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर, पाकिस्तान सरकार ने कई मामलों में, नेहरू-लियाकत करार के अन्तर्गत दिए गए अपने परम-पावन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है।

(ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

'माले' की फिल्म का विदेशो में दिखाया जाना

4435. **श्री दे० अमात : श्री हिम्मतसिंहका**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'माले' की फिल्म (पश्चिम बंगाल के जन जीवन पर बी० बी० सी० द्वारा) किन-किन देशों को टेलीविजन पर दिखाई गई है : और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : हमारी सूचना के अनुसार फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नार्वे, जर्मन संघीय गणराज्य और आस्ट्रिया में। हमने प्रत्येक बार इसके दिखाए जाने पर आपत्ति की है।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के बारे में भारत-ब्रिटिश वार्ता

4436. **श्री रवि राय : श्री मीठा लाल मीना :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ब्रिटिश डअंर सेक्रेट्री आफ स्टेट श्री एन्थानी रायल से उनके लन्दन स्थित कार्यालय में भेंट की ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन विवाद पर चर्चा की ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने आपसी हित के मामलों पर बातचीत की थी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बी० बी० सी० का मामला भी शामिल था।

(ग) ऐसी गोपनीय बातचीत का ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं है।

SHORTAGE OF DOCTORS IN RURAL AREAS

4437. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of doctors in the hospitals in the rural areas;

(b) if so, whether any propasal to absorb the unemployed doctors in the rural areas is under consideration of Government; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy : (a) There is shortage of doctors in the hospitals in rural areas particularly if Primary Health Centres are also taken into account. At present about 400 Health Centres are without doctors and in many others there is only one doctor as against two required. In District Sub-Divisional and Taluk/Tehsil hospitals also there is shortage of doctors particularly of specialists in the District Hospitals.

(b) and (c) : Since there is an over all shortage of doctors, there ought to be no unemployment. However, because of reluctance on the part of doctors to serve in the rural areas, the medical graduates may be finding it difficult to seek employment in urban areas. Suitable remedial measures are being taken to encourage doctors to serve in rural hospitals and dispensaries. Increased emoluments by way of special allowance, better facilities of living and working accommodation with adequate drinking water, sanitary arrangements and all weather approach roads to Primary Health Centres or Sub-Centres are contemplated. The Minister for Health, Family Planning, Works, Housing and Urban Development has also issued an appeal to the doctors in the country to render their services to the rural areas.

Shortage of Engineers in Border Roads Organisation

4438. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether there is a great shortage of engineers in the Border Roads Organisation;

(b) if so, whether any proposal to absorb the unemployed Engineers in the above organisation is under consideration of Government; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) : Owing to the nature of work and climatic condition in border areas, the incidence of wastage is somewhat on the high side. As on 30th September 1970, the deficiency was of the order of 10%. Requisitions for making up the deficiency have been placed on the UPSC.

मंत्रियों के बंगलों और उनके नौकरों के क्वाटरों पर हुआ व्यय

4439. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में, अलग-अलग मंत्रियों के बंगलों और उनके नौकरों के क्वाटरों पर कितना धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : वाँछित सूचना नीचे दी जाती है :—

1968-69	14,91,527 रुपये
1969-70	13,83,882 रुपये

North Vietnamese Delegation

4440. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affair** be pleased to state :

(a) whether a delegation from North Vietnam came to India for sight seeing;

(b) if so, whether the leader of the delegation, Mr. Trandang Kho stated in a Press Conference at Jullundur on the 25th October last that his country can be helpful in solving the dispute between India and China on the basis of Panchsheel; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) A delegation from North Vietnam was recently in India to attend the Presidential Committee Meeting of the World Peace Council.

(b) Government have seen Press reports in this regard.

(c) Government are of the view that the improvement of relations between India and China is primarily a bilateral problem.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान असैनिक विमानों का निर्माण

4441. **श्री शंकर राव माने :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में असैनिक विमानों के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) श्री प्र० चं० सेठी : (क) और (ख). एच० ए० एल० असैनिक उड़ान क्लबों के लिए पुष्पक विमान का निर्माण करता रहा है और० एच एस०-748 परिवहन विमान का भी जो कि इंडियन एयर लाईन्ज के प्रयोग में है । एच० ए० एल० कृषि कार्यों के लिए एक विमान का अभिकल्पन और विकास भी हस्तगत कर रहे हैं ।

नेपाल से निष्कासित भारतीयों को पुनर्वास

4442. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **वैदेशक-कार्य** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उकना ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों भारतीयों को नेपाल से निकाल दिया गया है ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उक्त लोगों में से लगभग दो हजार लोग गौरखपुर जिले में निचल्खी के निकट दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको पुनः बसाने की सरकार ने कोई परवाह नहीं की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : सरकार को मालूम है कि नेपाल के कंचनपुर जिले से भारतीय मूल के लगभग 3000 लोगों को निकाला गया है जो आजकल उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में रह रहे हैं । भारतीय मूल के लगभग 150 व्यक्तियों का एक छोटा-सा दल इस वर्ष के आरम्भ में भारत लौटा था जो नेपाल के नवल-परासी जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में काम कर रहा था और अब निचलील, जिला गोरखपुर के निकट

रह रहा है। बताया जाता है कि इन भूमिहीन मजदूरों में कुछ लोग आजकल पठलहवा नहर पर काम कर रहे हैं तथा अन्य भारतीय क्षेत्र के अन्दर खेती करने लगे हैं नेपाल सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है।

श्री जगमोहन सिंह पाकिस्तानी जेल में

4443. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्तरह वर्षीय बालक जगमोहन सिंह स्यालकोट (पाकिस्तान) की जेल में है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को उसके माता-पिता से पहला पत्र कब प्राप्त हुआ था श्रोर उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या उसकी सजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे नहीं छोड़ा है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कितने पत्र किन-किन तिथियों को लिखे हैं ; और पकिस्तान सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्री जगमोहन सिंह की माँ द्वारा भेजी गई सूचना और भारत के समाचार-पत्रों के अनुसार श्री जगमोहन सिंह पाकिस्तान में नज़रबन्द हैं। लेकिन, इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है।

(ख) 15 अप्रेल 1969।

इसलामाबाद स्थित अपने हाई कमीशन के माध्यम से हम श्री जगमोहन सिंह की रिहाई और देश प्रत्यार्वतन के लिए हर सम्भव उपाय कर रहे हैं।

(ग) हमें अब तक पाकिस्तान सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) अब तक इसलामाबाद स्थित हमारे हाई कमीशन ने कुल मिला कर 12 पत्र पाकिस्तान सरकार को लिखे हैं जो क्रमशः 18 अप्रैल 1969, 4 जून 1969, 29 जुलाई 1969, 23 अगस्त 1969, 23 सितम्बर 1969, 29 अक्टूबर 1969, 16 जनवरी 1970, 9 अप्रैल 1970, 6 मई 1970, 10 जून 1970 सितम्बर 1970 और 2 नवम्बर 1970 को भेजे गऐ थे।

अभी तक कोई जवाव नहीं आया।

ADVERSE EFFECT ON FAMILY PLANNING PROGRAMME DUE TO SHORTAGE OF DOCTORS

4444. **Shri Meetha Lal Meena :**

Shri Shankar Rao Mane :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) shortage of doctors likely to be felt during the Fourth Five Year Plan;

(b) whether the family planning programme is likely to be affected adversely due to the shortage of doctors; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to meet the shortage of doctors on the family planning front ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The estimated requirement of doctors and lady doctors by the end of Fourth Plan will be 11293 and 8506 respectively. At present 3322 doctors and 2727 lady doctors are in position.

(b) and (c) It is expected that, by and large, the Family Planning Programme will be able to recruit the reqired number of male doctors through shortage of female doctors may persist. To the extent female doctors are not available, male doctors are recruited, so that the work is not hampered. The following steps have been taken to meet the shortage of doctors:

(1) Ten medical colleges will be added during the Fourth Plan.

(2) Stipends of Rs. 100/- per month are offered to lady medical students on the condition that they bond themselves to serve the Family Planning Programme for a minimum period equivalent to the period for which the stipends are paid to them during the course of medical education.

(3) A Central Family Planning Corps of doctors has been constituted with attractive emoluments for serving the States experiencing shortage of doctors.

(4) Steps are being taken to provide residential and working facilities and other incentives to attract doctors to work in the rural areas.

(5) With a view to partially offsetting the shortage of doctors in the rural areas, Mobile Service Units have been set up in all districts for carrying the services to the rural areas with the help of doctors in the urban areas.

(6) Special service camps are organised in the rural areas where the help of doctors from various medical and health institutions is obtained.

(7) Cooperation of the Private Medical Practitioners, including practitioners from Homoeopathy and Indigenous Systems of Medicine, wherever they are willing to supplement the motivational and services efforts for Family Planning Programme, is being enlisted.

(8) For I. U. C. D. insertions, experienced and willing nurses, after necessary training, are being utilised wherever possible under the supervision of the doctors.

Percentage of Rural Population Covered by family Planning Scheme

4445. **Shri Meetha Lal Meena :** Will be Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Developmcnt** be pleased to state the percentage of rural population covered by the Family Planning Scheme ?

The Minister of State in the Minister of Health of Family Planning and Work, Housing and Urban Development Shri B. S. Murthy : Since intensification of the Family Planning Programme in 1966 till 1969-70 (inclusive) about 7.7% of the rural couples in the reproductive age group have been covered. A statement showing progress of sterilisation I.U.C.D. insertions and other methods under the Family Planning Scheme is attached. [*Placed in the Library Sec.* L. T. No. 4566/70]

ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन के सम्बन्ध में विदेशी संवाददाता संघ के अध्यक्ष का अभ्यावेदन

4446 **श्री मीठा लाल मीना :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी समाचार पत्र संवाददाता संघ, नई दिल्ली, के अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन के कार्यालय को बन्द किए जाने तथा उनके संवाददाता की मान्यता समाप्त किए जाने पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख) : विदेश प्रेस संवाददाता संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ने 23 अगस्त, 1970 को इस विषय पर विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा था । इस पत्र को लिखने के फौरन बाद ही संघ ने नए अध्यक्ष और नई कार्यकारी समिति का चुनाव किया । इस विषय पर उनसे विचार विमर्श हुआ है और आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ?

कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के निवासियों द्वारा प्रदर्शन

4447. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में कोटला मुबारकपुर के 2000 निवासियों ने हाल ही में उनके निवास स्थान के सामने अच्छे रहन-सहन की माँग करते हुए प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार कोटला मुबारिकपुर के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं देना चाहती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक सुविधाएं दी जाएंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) (क) जी हाँ। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे सभी दक्षिण दिल्ली के निवासी थे।

(ख) और (ग) : दिल्ली विकास प्राधिकरण कोटला मुबारिकपुर क्षेत्र का एक विस्तृत पुनर्विकास प्लान बना रहा है। इसी बीच में प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था पर, 2 लाख रुपये खर्च किये हैं। सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कोई निश्चित तिथि नियत नहीं की जा सकती। तथापि, प्राधिकरण मामले पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही कर रहा है।

फरक्का बाँध के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ अनुसचिवीय स्तर की बैठक

4448. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1970 के रेडियो पाकिस्तान के इस प्रसारण की ओर दिलाया गया है कि भारत फरक्का बाँध के मामले पर अनुसचिवीय स्तर की बैठक बुलाने संबंधी पाकिस्तानी पत्रों का उत्तर नहीं दे रहा ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार पाकिस्तान की टिप्पणी पर प्रकाश डालेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) ! (क) जी हाँ।

(ख) यह पाकिस्तान की प्रचार करने की एक चाल है।

प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा

4449. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री 12 नवम्बर, 1970 को पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मिली थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों के बीच किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बातचीत हुई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है : और

(घ) उक्त बात-चीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के बीच होने वाले विचार-विमर्श का ब्योरा बताने की प्रथा नहीं है।

दिल्ली में ईंटों की चोर बाजारी पर रोक

4450. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] क्या सरकार से दिल्ली सहकारी मकान निर्माण, समितियों के संघ ने यह शिकायत की है कि दिल्ली प्रशासन ईंटों की चोर बाजारी रोकने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान भट्टा-मालकों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों ; तथा सहकारी संस्थाओं को नए भट्टे लगने के लिये लाइसेंस देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) ऐसी कोई शिकायत अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन की नीति ईंटों के लिए नए भट्टों के खोलने को प्रोत्साहन देने तथा इस बारे में सभी आवेदकों, व्यक्तियों, सहकारिताओं या अन्य संस्थाओं को

दिल्ली ब्रिक फील्डज़ रूल्ज़ की आवश्यकताओं के स्वाभावतः पूरा करने पर खुले तौर पर लाइसेंस जारी करने की है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर पर पाकिस्तान को चीन का समर्थन

4451. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री सीता राम केसरी :**
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति याह्या खाँ की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में चीन ने काश्मीर तथा गंगाजल विवाद के संम्बन्ध में पुनः पाकिस्तान का समर्थन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 14 नवम्बर, 1970 की चीन-पाक संयुक्त विज्ञप्ति में काश्मीर से सम्बन्धित अंश इस प्रकार है :

"अपनी राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पाकिस्तान के लोगों ने निरन्तर जिस धैर्य एवं उत्साह का प्रदर्शन किया है, उसकी हृदय से प्रशंसा करते हुए, पाकिस्तान के लोगों द्वारा अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की सुरक्षा और सभी प्रकार के बाह्य आक्रमण या विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध किये गए संघर्ष और काश्मीर के लोगों द्वारा आत्म निर्णय के अपने न्यायोचित अधिकार के लिए किए गए संघर्ष के प्रति चीन ने अपना दृढ़ समर्थन पुनः दोहराया। जम्मू और काश्मीर के लोग आत्म निर्णय के अधिकार को पूर्ण स्वतन्त्रता से अमल में ला सकें, इसके लिए सेनाएं हटाने के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रस्ताव के प्रति चीन ने काफी रुचि दिखाई और इसे अनेक देशों से समथन प्राप्त करने योग्य माना। पाकिस्तान ने चीन के समर्थन के लिए कृतज्ञता प्रकट की।"

गंगा के पानी के बारे में उसी विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि :

"राष्ट्रपति ने गंगा के पानी के वितरण के विवाद के बारे में चीन के नेताओं को अवगत कराया। चीन ने इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढग से समाधान करने के पकिस्तान के रवैये की प्रशंसा की और इस समस्या पर शीघ्र समझौता हो जाने की आशा व्यक्त की। "

(ख) पाकिस्तान एंव चीन के बीच अवसरवादी सहयोग का यह एक और उदाहरण है, परन्तु इस प्रकार का प्रयत्न, स्थिति के बुनियादी तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता हैं।

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अधीन बने मकानों के आवंटन के नियमों में संशोधन

4452. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अधीन बनी श्रमिक बस्तियों में प्रतिरक्षा के तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कमचारी रह रहे हैं ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने निर्माण तथा आवास मंत्रालय को नियमों में ऐसा संशोधन करने के लिए कहा है, जिससे कि उसमें प्रतिरक्षा तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कमचारी भी सम्मिलित हो सकें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में अंतिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) अगस्त, 1970 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2838 रक्षा कर्मचारी तथा 399 अन्य केन्द्रीय सरकारी कमचारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में बने मकानों के दखल में थे।

(ख) और (ग) :

रक्षा मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि रक्षा कर्मचारियों को सहायता प्राप्त औद्योगिक विकास योजना के लिए," औद्योगिक कर्मचारियों का दर्जा दिया जाय। इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया, क्योंकि यह योजना केवल ऐसे औद्योगिक कर्मचारियों के लिये है जो फैक्टरी एक्ट, 1948 की धारा 2(1) के अन्तर्गत आते हैं, तथा खानों में काम करने वाले लोगों के लिए हैं, जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(एच) में आने वाली कोयला तथा अभ्रक की खानों से भिन्न हैं। अन्य किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए योजना के क्षेत्र के विस्तारण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इन्सपैक्टरेट आफ जनर्ल स्टोरस (गैर औद्योगिक) फालतु कर्मचारी

4453. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सपैक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स (गैर औद्योगिक) नई दिल्ली में 46 दूरवीक्षवों (व्यूवर्स) नवम्बर, 1970 को फालतू घोषित किए गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अधीक्षकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों में से किसी को भी फालतू घोषित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्य में कोई कमी तो नहीं आयी ; और

(घ) यदि हाँ, तो इन दूरवीक्षवों को फालतू घोषित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हाँ ।

(ख) कुछ सूपरवाईजरी स्टाफ अर्थात फोरमैन / सहायक फोरमैन और तकनीक सूपरवाइजर सिब्बन्दी के लिए फालतू हो गए हैं, परन्तु, उन्हें या तो उसी सिब्बन्दी में वैकल्पिक रिक्त स्थानों के विरुद्ध समंजिद कर लिया गया हैं या डारेक्टोरेट जनरल इंसपेक्शन के अन्तर्गत अन्य सिब्बन्दियों पें ।

(ग) जी नहीं । वास्तव में आई जी एम, नई दिल्ली में कार्यभार में कमी हुई है ।

(घ) संबंधित प्रेक्षक, वित्त मंत्रालय को स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट द्वारा सिब्बन्दी के निरीक्षण के परिणाम के आधार पर सिब्बन्दी में कमी के कारण फालतू घोषित किए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में पोलिस्टर फाइवर प्लांट की स्थापना

4454. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पालिस्टर फाइवर प्लाँट की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रोजगार क्षमता क्या है ; और

(ग) उप्पादन आरम्भ होने की कब तक सम्भावना है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पोलिस्टर तन्तु संयन्त्र की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसैन्स जारी किया गया हैं । इस सयन्त्र से अभी उत्पादन करना है ।

(ख) इसमें 321 व्यक्तियों को नौकरी मिलने की आशा है।

(ग) 1972 के अन्त तक।

Opening of Public Hospitals and Dispensaries in Janakpur Colony, Delhi.

4455. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Janakpuri Colony, constructed by the Delhi Development Authority, is the biggest colony throughout Asia but there are no hospitals or dispensaries for the residents of this colony even within a radius of serveral miles;

(b) if so, whether Government propose to open any public hospital or dispensary there; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development): Shri B. S. Murthy : (a) Janakpuri Residential Scheme is proposed to accommodate about 90,000 of population when fully developed. This is one of the major projects of the Delhi Development Authority. In this scheme one site measuring about 18 acres has been reserved for a hospital. Land for a number of health centres is being reserved in community centres, district centres or residential planning area centres as per standards given in the Delhi's Master Plan.

A Central Government Health Scheme Dispensary is functioning in Nangal Raya and the Central Government employees residing in blocks C-3, C-5A, C-5B, C-6B and D Block of Janakpuri have been attached to this dispensary.

(b) The Delhi Administration is opening a 54 bed hospital in Hari Nagar near Tihar very shortly. This place is also near Janakpuri colony.

(c) Does not arise.

Memorandum from Residents of Janakpuri Colony, Delhi for Provision of Dispensary.

4456. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Work, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he received any memorandum from the residents of Blocks C-5 and C-3 in Janakpuri that they should also be covered by the benefits from the dispensary recently set up in Block 'D' in Janakpuri; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family planning and works, Housing and Urban Development : Shri B. S. Murthy : (a) A letter from the Pankha Road Residents welfare Association was received in the Directorate Genral of Health Services on 8.7.1970 and a deputaiion of the Central Government Employees residing in

Blocks C-3, C-5. A and C-5.B of Janakpuri Colony met an officer of the Directorate General of Health Services desiring the coverage of these three blocks under the Central Government Health Scheme Dispensary, Nangal Raya (No. 58).

(b) Blocks C-3, C-5. A and C-5. B have since been brought within the Scope of C. G. H. Scheme Dispensary, Nangal Raya (No. 58).

MEMORANDUM FROM ALLOTTEES OF JANAKPURI COLONY, DELHI

4457. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he had toured Janakpuri Colony constructed by the Delhi Development Authority on the 30th August, 1970;

(b) whether it is also a fact that a memorandum was presented to him by the allottees of Janakpuri Colony; and

(c) if so, the contents thereof and the details of the further action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The points raised in the memorandum related mainly to the non-provision of basic amenities, such as water, electricity etc., and substandard construction work.

The position is that water has already been provided. The Health authorities of the Municipal Corporation of Delhi have certified it fit for human consumption. Internal wiring has been provided in the houses by the Delhi Development Authority who have also deposited funds with the Delhi Electric Supply Undertaking for electrification. The latter have already taken up the work of provision of electricity in hand. Sewerage arrangements have been provided by the Delhi Development Authority. The Authority have reported that the houses are structurally sound. The minor defects in construction pointed out by the allottees are being rectified.

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुए लाभ और हानि

4458 **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने जब से कार्य आरम्भ किया है तब से उसे कोई लाभ हुआ है और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ ;

(ख) 1969–70 तक निगम को हुई 23.89 करोड़ रुपये की संचित हानि के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या श्रमिक असंतोष तथा दंगों आदि के कारण इस परियोजना को कभी हानि हुई है ; और यदि हां, तो इसके आरम्भ होने के समय से प्रति वर्ष ऐसी कितनी हड़ताल हुई और कितने श्रम-दिवस बेकार हुए तथा उनके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) केवल 1965–66 वर्ष में नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने 22 लाख रुपयों का लाभ उपार्जित किया ।

(ख) विभिन्न उपभोगी एककों को अनुकूलतम स्तरों पर परिचालित करने हेतु लिग्नाइट की अपेक्षित मात्राओं की अनोपलब्धता और उर्वरक संयंत्र में संक्रियात्मक और प्रक्रियागत बाधाओं के कारणों से निगम को हानियां होती आ रही हैं ।

(ग) जुलाई 1967 और मई 1970 में निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल का आश्रय लिया विस्तृत विवरण निम्नलिखित है ।

कालावधि	कर्मकारी घंटों की क्षति	कारण
(1) 17 जुलाई 1967 के 10 बजे अपरान्ह से और 19 जुलाई, 1967 के 6 बजे पूर्वान्ह तक ।	19639	बोनस, छुट्टी, मंहगाई भत्ता और कतिपय अन्य सुविधाओं के संबंध में कर्मकारों की सम्पूर्ण मांगों को मान लेने में निगम के प्रबन्धकों की असमर्थता ।
(2) 1/2-5-1970 के 12 बजे अर्धरात्रि से 6-5-1970 के 6 बजे पूर्वान्ह तक ।	68800	इस प्रकार का कोई भी चार्टर प्रबंधों को नहीं दिया गया । कर्मकारों ने 20-3-70 को प्रबन्धकों के साथ हुए मजदूरी व्यवस्थापन की कतिपय शर्तों के पुनरीक्षण की मांग की ।

कूच बिहार अथवा हाशीमारा में सैनिक स्कूलों में भर्ती केन्द्र स्थापित करना

4459. **श्री बं० कु० दास चौधरी** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कूच बिहार अथवा हाशीमारा में, जहां अधिक संख्या में सैनिक नियुक्त किए जाते हैं, एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर बंगाल के लोगों की सेना में भर्ती होने के लिए प्रर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती, क्या उनका मंत्रालय सैनिक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ साथ उत्तर बंगाल के जिलों के जिला मुख्यालयों मैं अधिक भर्ती केन्द्र खोलने के बारे में भी विचार करेगा जैसा कि पंजाब और हरियाणा के ग्राम क्षेत्रों मैं किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : कूच विहार या हाशिमारा में कोई सैनिक स्कूल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । पश्चिम बंगाल में पुरूलिया में पहले से एक सैनिक स्कूल है । सैनिक स्कूल राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर शुरू किया जाता है। पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

जलपैगुरी में भर्ती कार्यालय शाखा कूच बिहार, दारजीलिंग पश्चिम दीनाजपुर और जलपैगुरी के जिलों में कार्य करती है । भर्ती अफसरों को निदेश दिए गए हैं कि वह अपनें क्षेत्रों के अन्दर जाए उत्तरी बंगाल के लिए भर्ती के लिए वर्तमान प्रबंध प्रर्याप्त है। पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भर्ती कार्यालय नहीं खोले गए ।

भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र का पुनः खोला जाना

4460. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री कँवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों की समीक्षा के फलस्वरुप सरकार ने विदेशी दूतावासों को देश में अपने सांस्कृतिक केन्द्रों को पुनः खोलने की अनुमति दे दी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने विदेशी दूतावासों को पुनः अपने सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की अनुमति दी है ; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : केवल उन्हीं स्थानों पर विदेशी मिशनों के सांस्कृतिक केन्द्रों की मिशनों की शाखाओं के रूप में खोलने की अनुमति दी गई है जहां इन पर मिशनों का राजनयिक अथवा कोंसली प्रतिनिधित्व है। विदेशी मिशनों की शाखाओं के रूप में अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र पुनः खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के पुनरीक्षण और नियमन की प्रस्तावित रूपरेखा के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं जो विदेशी मिशनों की शाखाएं नहीं हैं।

रोम में भिक्षूणियों के रूप में कार्य कर रही भारतीय युवतियां

4461. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोम स्थित अपने राजदूत को भारतीय युवतियों द्वारा इटली में भागने के बारे में शिकायतों की जांच करने का आदेश दिया था ;

(ख) यदि हाँ तो क्या रोम स्थित हमारे दूतावास से कोई प्रतिवेतन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्य सरकार ने अन्य ऐसे दूतावासों से भी, जहाँ विदेशी मिशनरियों द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जा रही है, इसी प्रकार की पूछ-ताछ की है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (घ) : जी हाँ। रोम तथा अन्य संबंधित यूरोपीय राजधानियों में स्थित अपने राजदूतावासों को निर्देश दिए गए थे कि वे कान्वेंटों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाली भारतीय लड़कियों की स्थिति की जाच करें।

(ख) से (ङ) : यद्यपि हमारे सम्बन्धित यूरोपीय मिशनों से कुछ रिपोर्टें प्राप्त हो गई है लेकिन 26 अगस्त, 1970 को इस सदन में दिए गए वक्तव्य में इस मामले की जिस व्यापक जाँच-पड़ताल की घोषणा की गई थी वह अभी चल रही है।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में हिन्दी कार्य करना आरम्भ करना

4462. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में कार्य करना आरम्भ करने से सम्बन्धित सरकारी कार्य में बाधा डाली जा रही है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों में इस कार्य को दो बार एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में हस्तांतरित किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) :जी, हाँ । हिन्दी का कार्यान्वयन कार्य, जो आरम्भ में प्रशासन अनुभागों में से एक होता था, अल्प अवधि के लिए समन्वय अनुभाग में किया गया । अब यह हिन्दी अधिकारी के अधीन, हिन्दी कक्ष में किया जा रहा है । यह परिवर्तन कार्य के सर्वोत्तम हित में किया गया है ।

JAWANS AND OFFICERS IN PAKISTAN JAILS

4463. Shri Janeshwar Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether most of our jawans and military officers reported to be missing during 1965 Indo-Pak conflict are still lodged in the Pakistani jails;

(b) whether Major Jagdish Chand Verma is also one of them; and

(c) the action being taken by Government to secure their release ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) According to information available, no jawans/military officers reported to be missing in Indo-Pak conflict in 1965 are held in jails in Pakistan.

(b) On the basis of investigations made by the Army, Major Jagdish Chand Verma has been presumed as dead.

(c) Does not arise.

PURCHASE OF CANBERRA JETS FROM NEW ZEALAND

4464. Shri Janeshwar Misra : **Shri S. Kundu :**

Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are finalising any deal with the Government of New Zealand for the supply of 10 Canberra Jets to India;

(b) whether the experts in his Ministry were against this deal;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (d): For meeting the maintenance requirements of the Canberra Squadrons, with the advice of experts, 10 Canberra aircraft have been purchased from the Government of New Zealand.

सैनिक स्कूल, कपूरथला में वस्त्र सम्बन्धी फीस

4465. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, कपूरथला वस्त्र सम्बन्धी फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी से पहले वर्ष में 300 रुपये और इसके बाद प्रत्येक वर्ष में 150 रुपये ले रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार, कुल कितनी धनराशि इकट्ठी की गई (जिसमें पुरानी और बेकार वर्दी की बिक्री से प्राप्त राशि भी शामिल है) और उक्त शीर्षक के अन्तर्गत वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या उपर्युक्त फीस लेकर विद्यार्थियों को दिए गए वस्त्र स्कूल की सम्पत्ति समझे जाते हैं और विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ते समय वे उनसे वापिस ले लिए जाते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) अवश्य तथ्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) : स्कूल की वर्दी अब तक स्कूल की सम्पत्ति समझी जाती रही है, और जब छात्र स्कूल छोड़ते हैं, उन से वापस ले ली जाती रही है । परन्तु यह प्रश्न कि लड़के जब स्कूल छोड़ें उन्हें वर्दी अपने पास रखने की अनुमति दी जाए, विचाराधीक है ।

विवरण

	वर्ष 1967	वर्ष 1968-69 (16 महीनों के लिए)	वर्ष 1969-70
	रुपये	रुपये	रुपये
वस्त्र सम्बन्धी फीस के रुप में प्राप्त कुल धन राशि	97,575.00	1,06,940.00	93,545.00
पुरानी तथा बेकार वर्दियों की बिक्री से प्राप्त कुल धन राशि	2,510.00	1,235.00	No Sale
कुल	1,00,085.00	1,08,175.00	93,545.00
वर्दी के लिए कम की गई कुल धन राशि	64,949.50	55,017.53	68,790.51
धुलाई के लिए कम की गई धन राशि	21,371.65	28,357.87	21,516.65
	86,321.15	83,375.40	90,307.16

सैनिक स्कूल कपूरथला के छात्रों को जीव-विज्ञान का शिक्षण

4466. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल के सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा से ही जीव विज्ञान का विषय पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं ;

(ख) क्या कपूरथला के सैनिक स्कूल में छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए जीव विज्ञान के अध्यापन की व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हाँ। सैनिक स्कूल करनाल में ब्यालोजी छठी से आठवी कक्षाओं तक ब्यापक विज्ञान के अंश के तौर पर पढ़ाई जाती है, और नवीं से ग्यरहवीं कक्षाओं में एक चयन विषय के तौर पर।

(ख) जी हाँ। ब्यालोजी सैनिक स्कूल कपूरथला में छठी से आठवी कक्षा तक व्यापक विज्ञान के अंश के तौर पर पढ़ाई जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में संसद् सदस्यों को मकान के प्लाटों का आवंटन

4467. **श्री श्री चन्द गोयल :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने दिल्ली में मकान के प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी हैं ;

(ग) ऐसे प्लाट जिन सदस्यों को आवंटित किये गए हैं उनकी सूची क्या है ; और

(घ) किन सदस्यों को प्लाट आवंटित नहीं किए गए हैं और इस अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ।

(ख) 129।

(ग) वाँछित सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

(घ) संसद् के किसी सदस्य को प्लाट देने से इन्कार नहीं किया गया।

विवरण

1. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया
2. श्री बिभूति मिश्रा
3. श्री के० एन० तिवाड़ी
4. श्री आर० के० पोद्दार
5. श्री पी० सी० मित्रा
6. श्री एम० असद मदानी
7. श्री पी० एल० बारूपाल
8. श्री ओ० पी० त्यागी
9. श्री वी० टी० नागपुरे

पूर्वी पाकिस्तान को राहत सामग्री ले जाने वाले एक पाकिस्तानी हैलीकाप्टर को अनुमति न दिया जाना

4468. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को राहत सामग्री ले जाने वाले एक पाकिस्तानी हैलीकाप्टर को अनुमति प्रदान करने को मना कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

MOOLCHAND KHARAITI LAL HOSPITAL, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI

4469. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given Unstarred Question No. 2137 on the 10th August, 1970 regarding Moolchand Kharaiti Lal Hospital, New Delhi and state :

(a) whether the required imformation has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for not collecting it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached statement. [*Placed in the Library.*—See L. T. No. 4567/70]

(c) Does not arise.

AKHIL BHARAT NETRA SUDHAR SANGH, NEW DELHI

4470. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5283 on the 6th April, 1970 and state :

(a) whether the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi in violation of the item 'a' (V)' of the lease, did not utilise the land for the purpose for which it was given and constructed houses, godowns, dairy etc. thereon and rented them out;

(b) whether the aforesaid Sangh has been paying Rs. 10,000 to Rs. 12,000 annually to Dr. Bhagwandas Memrial Trust since 1963-64 on account of rent and wear and tear of its own land and building as per the information given in the annual reports of the said Sangh;

(c) whether the said Sangh has obtained a 'No-Objection Certificate' for the transfer of the land in question vide letter No. L & D. O/P SII/987, dated the Ist April, 1970; and

(d) if so, the action being taken by Government for the breach of trust by the said Sangh ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh): (a) Some portion of the premises is being utilised for porposes other than that of a hospital. However, the Sangh have since surrendered the premises to the Government of India for their allotmemt in favour of Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, but the property has not yet been allotted to that Trust.

(b) Government have no information.

(c) Yes, on the Ist April, 1969, Dr. Bhagwan Das Memorial Trust was informed by the Land and Development Officer that Government had no objection to the allotment of the premises to the Trust.

(c) As stated at (a) above, the premises stand surrendered to Government and have not been transferred by the Netra Sudhar Sangh to any other party.

इम्फाल स्थित जनरल अस्पताल में आंख–नाक–गला विशेषज्ञ

4471. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 16 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल अस्पताल, इम्फाल, के आँख-नाक-गला विशेषज्ञ के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवार को अक्टूबर, 1970 तक इस पद पर कार्यभार सम्हाल लेना चाहिए था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके द्वारा उक्त पद का कार्यभार अब तक न सभांले जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसी परिस्थिति में मनीपुर सरकार ने मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि उक्त पद पर आँख-नाक-गले के किसी स्थानीय मैडिकल सुपरिन्टैडेन्ट को तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया जाए ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख) : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गए कान, नाक तथा गला रोग विशेषज्ञ को 16 नवम्बर, 1970 को नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया था। उसने पद ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी है और मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी स्वाथ्य परीक्षा के पश्चात् आशा है, वह शीघ्र ही पद-ग्रहण कर लेगा।

(ग) और (घ) : लामफेलपट, मणिपुर में कान, नाक तथा गला रोग विशेषज्ञ के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए मणिपुर सरकार ने एक स्थानीय कान, नाक तथा गला रोग विशेषज्ञ का आवेदन पत्र भेजा है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय अभ्यर्थी की तदर्थ नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति पद ग्रहण न करे।

मणिपुर में मुख्य क्षय रोग अधिकारी का पद

4472. **श्री ए म० मेघचंद्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री मनीपुर के क्षय रोग अधिकारी मुख्य पद के सम्बन्ध में 10 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2175 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद के लिए विज्ञापन दैनिक समाचारपत्रों में अथवा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो उन दैनिक पत्रों अथवा पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और किस तिथि को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ;

(ग) क्या उत्तर के भाग (ख) तथा (ग) में दिया गया कर्त्तव्यों सम्बन्धी ब्यौरा विज्ञापन में दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह ब्यौरा बाद में तैयार किया गया ; और

(ङ) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए साक्षात्कार में कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया और साक्षात्कार किस तिथि को किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : मणिपुर में मुख्य टी० बी० अधिकारी के पद के सम्बन्ध में विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में 6 जुलाई, 1963 को प्रकाशित हुआ था। जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुए थे उनके नाम तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) : विज्ञापन में आयु सीमा तथा इस पद के लिए अनिवार्य विहित अर्हताएं ही प्रकाशित की जाती हैं, पदों से सम्बन्धित कामों का उल्लेख नहीं किया जाता। पद सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य सभी ब्यौरे भी साथ ही साथ तैयार किए जाते हैं और उन्हें "उम्मीदवारों के लिए सूचना" विषयक विवरण में सम्मिलित कर दिया जाता है जिसकी एक प्रतिलिपि विहित आवेदन-पत्र के साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को दी जाती है।

(ङ) आयोग के विज्ञापन के उत्तर में उपर्युक्त पद के लिए छः उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे थे जिनमें से 3 को साक्षात्कार के लिए 7 अक्टूबर 1963 को बुलाया गया था। दो उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आए और उनमें से एक का आयोग द्वारा चयन किया गया तथा उक्त पद पर उसकी नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की गई।

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की लवण झील क्षेत्र के प्लाट

4473. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता को लवण-झील के क्षेत्र का सुधार करने पर आज तक कुल कितना धन खर्च किया गया है?

(ख) रिहायश के उद्देश्य से खरीददारों को देने के लिये भूमि के कितने प्लाट तैयार कर दिये हैं, प्रति कोहाट भूमि के सुधार पर कितनी लागत आई है तथा इसे खरीददारों को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ग) खरीदारों द्वारा कितने प्लाटों को बुक करा लिया गया है तथा खरीददारों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को कुल कितनी राशि जमा कराई गई है;

(घ) इन प्लाटों को खरीदने के लिये किस योग्यता वाले व्यक्ति पात्र हैं तथा खरीददारों के चुनाव का क्या आधार है; और

(ङ) क्या कलकत्ता की लवण झील के क्षेत्र के रिहायशी प्लाटों के खरीदने के लिये लोगों में उत्साह नहीं है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत को दिये गये हथियारों का मूल्य

4474. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1970 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में अमरीकी तथा रूस द्वारा भारत में सप्लाई किये गये विभिन्न प्रकार के हथियारों का मूल्य कितना है; और

(ख) इसी अवधि में अमरीका और रूस द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों का अनुमानित मूल्य कितना है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

(ख) यू० एस० ए० और यू० एस० एस० आर० द्वारा पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई को विस्तार देने वाला एक विवरण वैदेशिक कार्यों के मंत्री द्वारा 9 नवम्बर, 1970 को सदन पटल पर रख दिया गया है ।

प्रति रक्षा उत्पादन में कमी

4475. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की भारी कमी होने तथा कुछ औद्योगिक एककों द्वारा अपनी अतिरिक्त क्षमता जो पहले प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये प्रयोग में लाई जाती थी अपने प्रयोग में लगाये जाने के कारण देश में प्रतिरक्षा उत्पादन में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० च० सेठी) : (क) फौलाद की कमी के कारण रक्षा उत्पादन के एक बड़े क्षेत्र में विभिन्न अनुपातों में व्यापक बुरा असर पड़ा है, विशेषकर आर्डनेंस फैक्टरी में ।

(ख) देश में उपयुक्त फौलाद प्राप्य करने के लिए तथा अप्राप्य फौलाद की अन्य कई किस्में आयात करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

प्रमुख पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर

4476. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों को एक योजना भेजी गई है जिसमें उन कर्मचारियों के नाम मांगे गये हैं जिन्हें प्रमुख पदाधिकारी समझा जाता है और जिनका आवास सचिवालय समूह के निकट होना चाहिए;

(ख) सूची में ऐसे कर्मचारियों की कौन-कौन सी श्रेणियां दी गई हैं और ये फ्लैट किन क्षेत्रों में बनाये गये हैं और क्या ये क्वार्टर एलाटमेंट के लिये उपलब्ध हैं; और

(ग) प्रमुख व्यक्ति किसे कहा जा सकता है और क्या प्रमुख पर निश्चित करते समय क्या स्थानान्तरण तथा सेवा अवधि की ओर ध्यान दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) ; (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

MULTI-STOREYED BUILDING FOR GOVERNMENT EMPLOYEES

4477. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to lay emphasis on the vertical construction of houses in Delhi keeping in view the shortage of land for residential purposes;

(b) if so, the areas of Delhi and New Delhi where Government propose to allow construction of multi-storeyed houses indicating the number of storeys as well; and

(c) the time by which all the Government employees would be provided with residential accommodation under this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes, Sir. Government have decided to lay emphasis on the vertical construction of houses in Delhi in keeping with the Zonal densities provided for in the Master Plan of Delhi.

(b) At present it is prososed to construct multi-storeyed residential quarters for Government employees ranging from 8 to 16 storeys in the areas of Minto Road, Irwin Road, Chanakyapuri and DIZ.

(c) The construction of quarters is undertaken in a phased programme depending on the availability of funds, etc. It is not possible to indicate the time in which all government employees would be provided with residential accommodation.

पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति

4478. **श्री बलराज मधोक :**

श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति नासिर की मृत्यु से सीरिया में सैनिक क्रान्ति, सीरिया में इसरायल तथा जोर्डन के मध्य सीधी वार्ता तथा संयुक्त अरब गणराज्य, लिबिया तथा सूडान के प्रस्तावित संघ के पश्चात पश्चिम एशिया की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पश्चिमी एशिया के बारे में अपनी नीति को क्या रुप दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त परिवर्तनो के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहाँ की वर्तमान स्थिति से हमारी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पश्चिम एशिया की हाल की घटनाओं से उस क्षेत्र में शान्ति की इस आधारभूत पूर्वापेक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसके अनुसार अधिकृत अरब प्रदेशों से इजराइली सेनाओं को हटा लेना है जैसा कि 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 में अपेक्षित है ।

(ख) और (ग) : न्यायोचित एवं स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के क्रियान्वयन की अनिवार्यता में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए तथा प्रस्ताव के क्रियान्वयन में उत्पन्न गतिरोध पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महा सभा में अन्य कुछ देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा जिसमें जारिंग मिशन के शीघ्र पुनरारंभ और 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन की माँग की गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के सम्बन्ध में एकरूप नीति

4479. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट किराया खरीद के आधार पर लिए हैं, उन्होने घटिया किस्म के निर्माण तथा विभिन्न कालोनियों में लागू होने वाले मानको और नियमों में भिन्नता के बारे में, शिकायत की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन शिकायतों को दूर करने और दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में एक ही प्रकार के फ्लेटों के सम्बन्ध में समान मानक नीति अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधाएँ

4480. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बार बार अश्वासन दिए जाने के बाद भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सड़कें, गलियाँ बनाने और उनमें पार्क और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन बस्तियों के सुधार में क्या कठिनाइयाँ हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा

4481. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई सब-डिवीजन के गांवों में कुल कितने अस्पताल, सरकारी क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य प्रकार के राज सहायता प्राप्त अस्पताल हैं ;

(ख) क्या इन में से अधिकाँश की हालत कुप्रबन्ध के कारण बहुत ही खराब है अथवा वे समाप्त प्राय हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो ये अस्पताल क्लिनिक और स्वास्थ्य केन्द्र इस समय किस हालत में काम कर रहे हैं ; और

(घ) उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी उपक्रमों में श्रमिक संघों को उपलब्ध यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं

4482. **श्री शंकर राव माने :**

श्री महादेवप्पा रामपुर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) सरकारी उपक्रमों में श्रमिक संघों को मुफ्त यात्रा, जिसमें विमान द्वारा यात्रा भी सम्मिलित है, की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए कुल कितना व्यय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण)(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी ।

MEMORANDUM TO PRESIDENT OF INDIA BY RESIDENTS OF DANAPUR CANTONMENT BOARD AREA

4483. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether 39 persons residing in the area under Danapur Cantonment Board sent a memorandum to the President of India through Sbri Ramavtar Shastri, M. P., on the 20th November, 1970;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The representation mentions the need to improve the general sanitation in the civil area of the Cantonment.

(c) The cantonment Board is alive to the needs of the sanitation. During the last 3 years, special grant-in-aid of Rs. 2,37,420 has also been sanctioned in respect of projects aimed at the improvement of sanitation of the Cantonment. The present condition of sanitation is reported to be reasonably satisfactory.

ASIAN WRITERS' CONFERENCE

4484. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Asian Writers' Conference was held in Delhi from the 17th to the 20th November, 1970;

(b) if so, the names of the countries whose writers participated in this Conference.

(c) the details of the resolutions passed therein; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The organisers of the conference have intimated that writers from the following countries participated in the conference as delegates :

Algeria, Bahrein, Ceylon, Congo (Brazeville), Dahomey, Gambia, Guinea (Bissau), Ghana, Mali, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Palestine, Senegal, Somalia, South Africa, Sudan, Syria, Tanzania, Turkey, U.A.R., Upper Volta, U.S.S.R., Democratic Republic of Vietnam, Prov. Govt. of South Vietnam, and Zambia.

It has also been intimated that writers from the following countries attended the conference as observers.

Australia, Arab Organisation for Education, Culture and Science; Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, German Democratic Republic, Pakistan (East), U.A.R. USSR, World Peace Council and Yugoslavia.

(c) The organisers of the conference have made available to Government the text of the General Declaration of the conference asserting solidarity of Afro-Asian writers and the need for their creative activity to be inspired by the struggle of their respective peoples for freedom and social equality. Apart from this General Declaration, it is understood that the conference passed resolutions on cultural and political matters, including international issues relating to Indo-China, West Asia and colonialism, new forms of creative work of the Afro-Asian writers, on tradition, and innovation, and made recommendations on the task of mass information and the maintenance and revival of cultural links between Afro-Asian countries in the context of the modern age.

(d) Government has taken note of these resolutions.

सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के आवंटन हेतु पंजीकरण

4485. **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्लाटों के आवटन के लिए उसने पंजीकरण किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के आवंटन के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए थे उनको भी उसके लिए एक निश्चित राशि जमा करानी पड़ी थी ;

(ग) सरकारी कर्मचारियों के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार है कि केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए इस शर्त में यह छूट दी जाए कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के आवंटन के लिए बिना कोई राशि जमा कराये अथवा मामूली राशि जमा करा कर अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन द्वारा अक्टूबर, 1970 में परमाणु विस्फोट

4486. **श्री शशि भूषण** :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 14 अक्टूबर 1970 को सौर लाप्नोर क्षेत्र में अपना सबसे शक्ति शाली परमाणु विस्फोट किया था जिसका उद्देश्य चीनी परमाणु अस्त्रों के आकार और भार में कमी करना था; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हमारी सूचना क अनुसार चीन ने 14 अक्टूबर 1970 को सिक्याँग में लाप्नोर में एक वायु मण्डलीय नाभिकीय परीक्षण किया था । विस्फोट लगभग 3 मेगाटन फल का था और चीन द्वारा किये गए पहले विस्फोटों के समान था सरकार को कोई सूचना नहीं कि आया इन परीक्षणों से बम का आकार प्रकार और भार मोजाईल डिलिवरी के लिए वार हेड अनुपातों तक कम करना है ।

(ख) चूंकि सरकार सभी प्रकार के नाभिकीय आयुधों के परीक्षणों के सदा विरूद्ध रही है, वह इस चिन्ता का कारण समझती है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों का औषध निर्माताओं को अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाना

4488. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम कुछ आयातित औषधियों को उनके उस मूल्य से तिगुने मूल्य पर औषध-निर्माताओं को बेचता है जिस मूल्य पर (आयात शुल्क सहित) भारत पहुंचती है; और

(ख) क्या औषधियों के मामले में सरकार ने उनके नियंत्रित मूल्य में भी सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति दे रखी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) :(क) और (ख) सरकार ने कुछ प्रचुर औषधियों के लिए पूल्ड मूल्य पद्धति लागू की हैं; पूल्ड मूल्य, अनुमानित देशीय उत्पादन के मूल्य और एक साल के दौरान अनुमानित आयातों के मूल्य की भारित औसत के आधार पर निकाली जाती है। सरकार ने तदर्थ आधार पर प्रचुर औषधियों के विक्रय मूल्यों में कोई प्रतिशतता वृद्धि की अनुमति नहीं दी है। पूल्ड मूल्य अवतरित मूल्य के तुलना में प्रायः अधिक है, क्योंकि देशीय उत्पादन लागत और अनुवर्ती विक्रय मूल्य अवतरित मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है। उल्लिखित व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मूल अवस्था से देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और सारे औषधि सूत्र योजक सक्कों (चाहे वे, बडे मध्य और लघु क्षेत्रों में हों) को प्रचुर औषधियों को सप्लाई एक समान मूल्यों पर सुनिश्चित हो। राज्य व्यापार निगम उतनी व्यापार-कमीशन लेता है जो कि एक व्यापार उद्यम को सामान्यतः लेनी चाहिए तथा वह इस लेन-देन में कोई अनुचित लाभ नहीं कमा रहा।

विदेशों से भारतीय डाक्टरों का बुलाया जाना

4489. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के जन स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार विदेशों में भारतीय डाक्टरों को देश में वापस बुलाने के लिये उन्हें आकर्षक सुविधायें प्रदान करें;

(ख) यदि हाँ, तो इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : विदेशों से भारतीय डाक्टरों को वापस बुलाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निश्चित उपाय बरते जा रहे हैं :-

(1) विदेश से वापस आने वाले सुप्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीक विदों को अस्थायी तौर पर रोजगार देने के लिऐ एक वैज्ञानिक पूल बनाया जाना ।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाना जिनमें विदेशों में काम कर रहे तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों में से शीघ्र ही अस्थायी नियुक्तियाँ की जा सके ।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकाँश राज्य लोक सेवा आयोगों ने उन सभी पदों में भरती के लिए जो उनके द्वारा विज्ञापित किए जाते हैं भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीक विदों को जिनके नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं, "पर्सनल कन्टैक्ट" अभ्यार्थी के रूप में मानना स्वीकार कर लिया है ।

(4) विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीको विदों के नाम दर्ज करने तथा उनके नामों को भारत सरकार सभी मंत्रालयों । विभागों र.ज्य सरकारों संघ लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े संस्थानों को भेजने के लिए वैज्ञानिकों तथा तकनीक विदों के राष्ट्रीय रजिस्टर में एक विशेष खण्ड की व्यवस्था करना । ऐसे व्यक्तियों के नाम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, परिषद् के "टेकनिकल मैनपावर बुलेटिन," मासिक पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं जो देश भर के लगभग 3,000 संस्थानों को मुफ्त दी जाती है ।

(5) उन वैज्ञानिकों के लिए जो भारत के अनुसंधान संस्थानों में नियुक्ति के लिए चुने जाने पर उन संस्थानों में कम-से-कम तीन वर्ष तक सेवा करने का आश्वासन देते हैं, यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था करना ।

(6) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय संस्थानों तथा राज्य संवर्गों में सम्मिलित चिकित्सा अधिकारियों की परिलब्धियों में वृद्धि करना;

(7) भारत में ई० सी० एफ० एम० जी० (विदेशी चिकित्सा स्नातक शिक्षा परिषद्) की परीक्षा पर रोक लगाना;

(8) डाक्टरों और विशेषज्ञों को सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाना तथा । अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें पुनः रोजगार देना;

(9) क्योंकि विदेशों में रह रहे डाक्टर शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के लिये अधिक इच्छुक होते हैं । अतः सरकार उन डाक्टरों को अवसर प्रदान करने तथा शैक्षिक पदों में नियुक्ति पा सकने के हेतु जिन्होंने विदेशों में प्रशिक्षण लिया हो और काम किया हो उनके मामलों में कुछ हद तक शैक्षिक अनुभव के सम्बन्ध में छूट देने के बारे में विचार कर रही है ।

(10) सरकार शहरों और कस्बों में सहकारी अस्पताल खोलने, सभी प्रकार की विशेषज्ञ सेवाएं जुटाने पर भी विचार कर रही है जिससे इन विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके ।

SETTING UP OF AN ORDNANCE FACTORY IN RANCHI

4490. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up an Ordnance Factory near Ranchi in Bihar has been under the consideration of Government for the last many years; and

(b) if so, the reasons for which the said factory could not so far be set up in Bihar ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SURVEY OF MINERAL DEPOSITS FOR DEFENCE INDUSTRY IN BIHAR

4491. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Petroleun and Chem icals and mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have ever made any survey or assessment of the mineral deposits in Bihar with a view to develop defence industry there; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Netiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) : Though several mineral investigations in Bihar have been carried out and some are in progress, no survey or assessment has been made by Geological Survey of India with the specific view to establish defence industries there. Whether any such survey has been carried out by any other organisation is not known to us. Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the House, when received.

MINERAL PRODUCTION IN MADHYA PRADESH

4492. **Shri G.C. DIXIT:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total mineral production in Madhya Prades h during the years 1969-70 and 1970-71 (to date); and

(b) whether any financial assistance has been provided to Madhya Pradesh during the current financial year to increase mineral production there; if so, the details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Ghaudhary) (a) The data on mineral production is collected calendar year-wise. A statement indicating the quantities of major minerals produced in Madhya Pradesh during 1969 (whole year) and 1970 (January-September) is enclosed.

(b) No Specific financial assistance has been provided to Madhya Pradesh during the current financial year to increase mineral production besides the normal Central assistance for development activities of State Government.

STATEMENT

Mineral Production+ in Madhya Pradesh, 1969 and 1970 (January-September)

Mineral	Unit of Quantity	1969	1970 (Jan.-Sep.)
Asbestos	Tonnes	4	—
Bauxite	'000 tonnes	173	172
Chinaclay (saleable crude)	Tonnes	10,141	5,339
Coal	'000 tonnes	12,414	9,650
Corundum	Tonnes	249	147
Diamond	Carate	11,794	14,997
Diaspore	Tonnes	842	2,766
Dolomite	'000 tonnes	474	316
Felspar	Tonnes	1,474	—
Fireclay	"	69,432	54,173
Fluorite (Graded) (sorted)	"	@	—
Iron ore	'OOOtonnes	6,410	5,078
Limestone	"	3,994	2,912
Manganese ore	"	184	155
Ochre	Tonnes	9,525	9,022
Pyrophyllite	"	4,993	6,355
Quartz and Silica	"	42,629	29,957
Sillimenite	"	101	71
Steatite	"	5,529	4,498
Vermiculite	"	274	—

@No raising. Only upgrading was carried out and a quantity of 1,072 tonnes were upgraded during 1969.

+Excluding 'minor minerals' and 'atomic minerals'.

PERMISSION TO MADHYA PRADESH FOR SALE OF HOUSES CONSTRUCTED UNDER SUBSIDISED INDUSTRIAL HOUSING SCHEMES TO TENANT

4493. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have permitted the Madhya Pradesh Government to sell houses constructed under the Subsidised Industrial Housing Scheme to the tenants on instalment-basis;

(b) whether Government would charge market price from them; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) and (b) : On receipt of a specific proposal from the Government of Madhya Pradesh, they have been permitted to sell 1640 houses built by them at Nanda Nagar, Indore, under the Subsidised Industrial Housing Scheme, to the allottee-workers, subject to the condition *inter alia*, that the sale price of the houses will be their market value (including the cost of land) less normal depreciation.

(c) Industrial houses have been constucted with substantial Central subsidy for the benefit of eligible industrial workers. Sale of houses built under the Scheme is discouraged as it will deplete the stock of houses available for allotment to industrial workers. Where sale is permitted, new houses have to be built to replenish the stock, which would cost much more than the original cost of construction of the houses sold. It is, therefore, appropriate to sell the houses at the present market value.

भारतीय विदेश सेवा "ए" संवर्ग में रिक्त पड़े पद

4494. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय विदेश सेवा (ए) संवर्ग में वरिष्ठ-वर्ग के कम से कम 38 पद खाली पड़े हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ खाली पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को पदासीन करने और कुछ पदों पर मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार प्रभाग और अनुसंधान तथा कानूनी संधि प्रभाग के योग्य अधिकारियों को पदोन्नत करने के सुझाव का भारतीय विदेश सेवा (ए) संघ ने विरोध किया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर साकारात्मक है, तो क्या उन्होंने इस बीच इस मामले की ओर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सभी प्रवर श्रेणियों को मिलाकर अभी रिक्त पदों की संख्या 32 है।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य गैर भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति के अर्थ में भारतीय विदेश सेवा में प्रतिष्ठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय विदेश सेवा के नियमों के अनुसार भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नत किया जाता है। ये नियम विदेश प्रचार प्रभाग के अधिकारियों में से भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नत करने का कोटा निर्धारित करते हैं, लेकिन अनुसंधान संवर्ग या विधि एवं संधि प्रभाग संवर्ग में से भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नत करने की व्यवस्था इन नियमों में नहीं है।

वर्ग I की अन्य केन्द्रीय सेवाओं में से भारतीय विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी भेजे गए हैं जैसा कि इन नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है। प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए या नहीं—कई प्रश्नों में से एक प्रश्न है, जिस पर इन रिक्त स्थानों को भरते समय विचार किया गया। भारतीय विदेश सेवा एसोसिएसन के कुछ सदस्य इस प्रकार की किसी वृद्धि के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसका विकल्प यह रखा कि भारतीय विदेश सेवा से अवर स्तर पर ही भारी संख्या में भरती की जाए जिससे अन्ततः उच्चतर श्रेणियों में कमी पूरी हो जाएगी।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

'एम्पायर रूम' के चिन्ह के रूप में अशोक चक्र का प्रयोग

4495. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 19 अगस्त, 1970 के अतराकित प्रश्न संख्या 3326 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एक में 'एम्पायर रूम' के चिन्ह के रूप में अशोक चक्र के प्रयोग के बारे में तथ्यों की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) लॉस एंजेलस के बिल्टमोर होटल के 'एम्पायर रूम' में या इस होटल के अन्य किसी भाग में 'अशोक चक्र' प्रतीक नहीं है।

पैट्रो-कैमिकल्स के लिये कच्चे माल के रूप में कच्चे तेल का आयात

4496. **श्री निहाल सिंह** :

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन कैमिकल मैन्यूफैक्चरस एसोसियेशन के मतानुसार लगभग 12 करोड़ की लागत से 12 लाख टन कच्चे तेल के आयत पर आधारित उर्वरक योजना, 200 करोड़ रुपये के मूल्य का 1 लाख टन कम्पलेक्स एन० पी० 2·5 खाद तैयार करने के लिये पर्याप्त होगी;

(ख) क्या आयातित नेफथा पर आधारित पैट्रो-कैमिकल्स का उत्पादन मूल्य इस उर्वरक के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात करने का विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) आयातित नेफथा से पेट्रो-रसायनों के निर्माता में जोड़ा गया मूल्य (वैलू एडिड) काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा, कि कोनसा पैट्रो-रसायन उत्पादित किया जाता है । अतः यदि यह मेथानोल है, तो जोड़ा गया मूल्य उर्वरकों की तुलना में काफी अधिक न होगा, किन्तु यदि यह प्लास्टिकस है, तो यह उर्वरकों की तुलना में काफी अधिक होगा । परन्तु यह सच है यदि सम्बद्ध पैट्रो-रसायन के लिए बहुत अच्छी मांग हो ।

(ग) सम्भरण स्टाक्स समिति ने, जिसने अभी रिपोर्ट दी है, प्रस्ताव पर विचार किया है सरकार रिपोर्ट की जाँच कर रही है ।

सैनिक स्कूल, कपूरथला के विद्यार्थियों को घर पर करने के लिये दिये गये काम के लिए दी जाने वाली कापियां ।

4497. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रक्षा मंत्री** सैनिक स्कूल कपूरथला के संबंध में 16 नवम्बर, 1970 के अत्तारांकित प्रश्न संख्या 969 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त स्कूल गर्मियों, तथा सर्दियों की छुट्टियों में घर पर करने के लिये दिये ये काम के लिये विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा कापियां देता हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) छात्रों को वितरित की गई कापियों के मानक में प्रायः आवृत्त है शयन शालाओं में स्कूल कत्य के पश्चात कक्षाकृत्य तथा सर्दी की छुट्टियों में लड़कों को दिये गए घर के कृत्य की आवश्यकताएं ।

(ख) सर्दी की छुट्टियों के दौरान लड़कों द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्य के स्कूल पुस्तकें प्राप्त की जाती हैं। गर्मी की छुट्टियों के लिए घर का कोई काम नहीं दिया जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

VISA NOT GRANTED TO TAIWANESE DELEGATION

4498. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Taiwan delegation was not granted visa to visit India for participating in the Seventh Asian Advertising Conference; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) No, Sir. Visas were not granted.

(b) Except in the case of conferences held under the auspices of the U.N. or its subsidiary organisations, it is not the policy of Government to allow Taiwanese delegations to attend conferences in India, particularly where Government are associated.

SELF-SUFFICIENCY IN COPPER

4500. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether copper ore reserves containing crores of tonnes of copper ore have been located in the country; and

(b) if so, the time by which the country is expected to become self-sufficient in copper prodution ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) : Yes, Sir. Besides small deposits, the prominent copper ore reserves in the country are Rakha, Tamapahar and Turmadih in Bihar, Khetri and Kolihan in Rajasthan, the estimated reserves of which are 63.90, 19.61, 10.60, 92.40 and 12.12 million tonnes, respectively.

(b) The estimated demand for copper is 1,24,000 tonnes in 1973-74 whereas the expected production is only 50,000 tonnes by 1973-74. No assessment on the basis of existing reserves of copper ore has been made so far whether the country could achieve self-sufficiency in copper production.

मुसलमानों द्वारा सऊदी अरब का दौरा करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध

4501. **अब्दुल गनी डार :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1970 के आरम्भ में अहमदाबाद के मुसलमानों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें जियारत, हज और एच्छिक सद्भावना मिशन की भावना से अपने देश की सेवा करने के लिए पर्यटन बसों द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत होकर अहमदाबाद से सऊदी अरब जाने की अनुमति माँगी गई है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी है और यदि तो नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य पर्यटकों, अध्ययन दलों, फिल्म कलाकारों, खिलाड़ियों तथा व्यापारियों को इस वर्ष विदेशों में जाने की अनुमति दी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन दरियापुर, अहमदाबाद के मैसर्स एम० ई० जी० ए० सफारी से सरकार को पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि हज और ज़ियारत की इच्छा से सऊदी अरब जाने वाले कोई एक सौ यात्रियों के एक दल को सड़क मार्ग से ले जाने की इजाजत दी जाए ।

(ख) इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी कि हज समिति ऐक्ट, 1959 के अन्तर्गत स्थापित बंबई में एक सांविधिक निकाय हज समिति पहले ही से है, जिसे हज और जियारत यात्रियों को सहायता देने और उनके लिए व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है । इस प्रकार के कार्य गैर सरकारी संगठन को नहीं सौंपे जा सकते ।

(ग) इस विषय पर प्रचलित नियमों के संदर्भ में, सरकार भारतीय नागरिकों को विदेश जाने के लिए इजाजत देती है ।

हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि

4502. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या भारत के मुसलमानों ने हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या संसद् सदस्यों ने भी एक अभ्यावेदन में अनुरोध किया है कि वह हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि करके मुसलमानों की इच्छा को पूरा करें क्योंकि उनकी जनसंख्या पहले से दुगनी हो गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार से विभिन्न व्यक्तियों ने इस तरह का अनुरोध किया है ।

(ख) जी हाँ; और

(ग) विदेशी मुद्रा की कठिनाई बराबर बनी रहने की वजह से इन यात्रियों की निश्चित संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है ।

धातुओं के मूल्य में वृद्धि

4503. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातुओं के मूल्य वर्ष 1950 के मूल्यों की तुलना में दुगने हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मुख्य अलौह धातुओं के मूल्य मुख्यत: लन्दन मैटल एक्सचेंज द्वारा नियन्त्रित हैं । धातुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण साधारणतया आपूर्ति और मांग, युद्ध, अफ्रीका, संयुक्त राज्य, कनाडा, आस्ट्रेलिया में उत्पादकों की खानों में हड़ताल जैसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, और विभिन्न अन्य आकस्मिकताएं हैं ।

भारत अमरीका वार्ता

4504. **श्री सीता राम केसरी** :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका से शीघ्र ही वार्ता करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त-वार्ता कहां और कब की जाएगी; और

(ग) उक्त वार्ता में किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत अमरीकी द्विपक्षीय वार्ता का अगला दौर नई दिल्ली में जनवरी 1971 के अंतिम सप्ताह में होने को है ।

(ग) ऐसी वार्ताओं में द्विपक्षीय और प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श होते हैं ।

भारत में जनसंख्या में वृद्धि के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों का मत

4505. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या के बारे में विशेषत: एक अमरीकी विशेषज्ञ ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि सन्तानोत्पति की अवस्था वाली सभी भारतीय महिलायें कम शक्ति वाली गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग करना आरम्भ कर दें तो भारत की वर्तमान जनसंख्या की वृद्धि की दर लगभग आधी हो सकती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अमरीका के जनरल विलियम एच० ड्रेपर (जूनियर) ने विचार प्रकट किया है कि यदि भारत में एक तिहाई प्रजननशील महिलाएं गोली का सेवन करती रहें तो जन्म दर घटकर 26 प्रति हजार हो जाएगी और 2·5 प्रतिशत की वर्तमान अनुमानित वृद्धि दर घटकर लगभग 1 प्रतिशत हो जाएगी ।

गर्भनिरोध गोलियों के प्रयोग कों प्रभातकारिता जानने के लिए देश मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाई जा रहीं हैं । गर्भनिरोध गोलियों का प्रयोग करने, उनके स्वीकार करने, उनको प्रयोग से होने वालीं अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं तथा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनको शामिल करने की व्यावहारिकता के बारे में जनरल ड्रेपर द्वारा किये गये दावे पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अपने अध्ययनों से आधार पर विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है ।

पश्चिम जर्मनी से भारत के सम्बन्ध

4506. **श्री चेगल राया नायडू** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पूर्व जर्मनी से राजनयिक सम्बन्ध बढ़ाने के हाल के निर्णय का भारत पश्चिम जर्मनी के सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हाँ। जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ प्रधान कौंसल के स्तर पर संबंध स्थापित किए गए है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी विशेषज्ञों/इन्जीनियरों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों/इन्जीनियरों की नियुक्ति

4507. **श्री चेगल राया नायडू :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खोज सम्बन्धी कार्यों में इस समय कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ/इंजीनियर काम कर रहें हैं और वे किन किन देशों के हैं।

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञों पर बहुत धन व्यय करना पड़ रहा है और

(ग) क्या धीरे धीरे विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय इंजीनियरों को नियुक्त करने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) इस समय 32 विदेशी विशेषज्ञ (31 रूस से और एक चैक्सोलवेकिया से) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ काम कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ। भारतीय प्रशिक्षओं को विदेशी विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए लगाया जाता है ताकि धीरे धीरे उन के स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। 1964-65 में 325 के मुकाबले में इस समय आयोग में विदेशी विशेषज्ञों की संख्या 32 हो गई है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने उद्घाटन समारोहों पर बड़ी धनराशि का व्यय

4508. **श्री चेगलराय नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने उद्घाटन समारोहों पर हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च की है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समाचारों के बारे में कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कोई निदेश दिए गए हैं कि वह भविष्य में इस प्रकार का अपव्यय न करें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1968-69 से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने प्रतिष्ठापनिक समारोहों पर किये गये खर्च को सरकार ने देखा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एकीकृत तेल कम्पनी में बदला जाना

4509. **श्री एन० बिवप्पा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसयान और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक ऐसी एकीकृत तेल कम्पनी में बदल दिया जाये जिसके पास तेल शोधन तथा तेल-विपणन दोनों ही प्रकार के कार्य हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा, बड़ौदा के प्रधान ने 10-11-70 को प्रधान मंत्री को कर्मकारों की कई एक मांगों के बारे में एक पत्र लिखा था जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक 'समेकित' तेल कम्पनी, जो शोधन एवं विपणन के कार्य भी करें, के रूप में बदल देने की माँग भी शामिल थी ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस के बारे में सरकार की यह नीति रही है कि इसे शोधन तथा पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से संबंधित बिल्कुल व्यापारिक किस्म की गतिविधियों के बन्धनों से मुक्त रख कर देश के पैट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण एवं समुपयोजन के लिये स्वतन्त्र संस्था के रूप में बनाया रखा जाये। इस नीति में किसी परिवर्तन का विचार नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक औषधालय

4510. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक औषधालय खोलने के लिये राज्य को निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) । (क) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। तथापि ग्राम होम्योपैथिक चिकित्सा सहायता समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक औषधालय खोलने की सिफारिश भी सम्मिलित है, क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया था ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों/संघीय प्रशासयों ने अपने अपने देहाती क्षेत्रों में होम्योपैथिक औषधालय खोल दिये हैं ।

भारत से बाहर समुद्र तट से दूर पेट्रोलियम तथा खनिजों के विकास के लिये भारतीय प्रबन्धित कम्पनी की स्थापना

4511. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर समुद्र तट से दूर पेट्रोलियम तथा खनिजों के विकास के लिये भारतीय प्रबंधित कम्पनी की स्थापना करने के बारे में सरकार योजना बना रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और प्रस्तावित कम्पनी द्वारा निकट भविष्य में समुद्र तट से दूर किन क्षेत्रों में छिद्रण कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या प्रस्तावित कम्पनी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत होगी अथवा इससे स्वतन्त्र होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और इसके अनुषंगी हाईड्रोकार्बन्स इण्डिया (प्राइवेट) लि० को क्रमश: भारत और ईरान के समुद्र तट से दूर पेट्रोलियम के लिए अतटीय अन्वेषण का कार्य उत्तरदायित्व, सौंपना जारी रहेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठता।

Central financial assistance for development of Rae Bareli (U· P.)

4512. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and family planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have given any financial assistance for the development of Rae Bareli District in Uttar Pradesh during the last three years ;

(b) if so, the total amount thereof; and

(c) the development work executed in the said district with this financial assistance and the amount spent on each development work ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) to (c). Central assistance for State Sector programmes (including housing) is allocated to State Governments for utilisation in various parts of the States as they may decide. Details of district-wise utilisation of funds in each State are not maintained by the Government of India.

Survey for Minerals in the Banda District. U. P.

4513. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether any mineral survey was conducted in Banda District, in (Uttar Pradesh) in the recent past;

(b) if so, the names of the minerals located as a result of the survey conducted ;

(c) Whether raw materials like aluminium etc. are available there ; and

(d) if so, whether Government propose to set up any industry based on the raw material available there with a view to solving the unemployment problem of this backward District ?

The Minister of State in the Ministry of Patroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhry) : (a) and (b). Yes, Sir. As a result of survey by the Geological Survey of India, which is in progress, deposits and occurrences of aluminous laterite and bauxite, dolomite, clay, agate, glass-sand, ochres, feldspar and quartz, gypsum, ornamental stone have been located.

(c) Small deposits of bauxite (ore of aluminium) are available in Banda district.

(d) Mining of bauxite ore in the area has been undertaken on a small scale by a private concern to whom the State Government have given a lease in 1964. The question of setting up of an Aluminium Smelter based on the bauxite deposits in the area can be considered only after the completion of detailed prospecting operations, which are in progr ss with a view to prove the grade and total reserves of the mineral available.

नई दिल्ली से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालय का स्थानतारण

4514. **श्री धी० ना० देव :**

श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यालयों को नई दिल्ली में उनके वर्तमान स्थानों से स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) इस समय मासिक किराया कितना दिया जा रहा है और नये स्थान पर कार्यालय के स्थानांतरण के पश्चात प्रति मास अतिरिक्त व्यय की राशि क्या होगी; और

(ग) अतिरिक्त व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम क मुख्यालय को उसके वर्तमान अवस्थान से दिल्ली में दूसरे अवस्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव है; मुख्यालय को दिल्ली से बाहर ले जाने का प्रश्न भी अलग रूप से विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों द्वारा विभिन्न वर्तमान परिसरों के लिए प्रतिमास 10,500 रुपए किराया दिया जा रहा है । प्रस्तावित

अवस्थान पर निवास परिवर्तन के लिए 25,548 रुपये प्रतिमास का अतिरिक्त दायित्व होगा। निगम को सौंपी गई प्रयोजनाओं में बढ़ौतरी होने के कारण वर्तमान परिसरों को अपर्याप्त एंव अनुपयुक्त समझा गया है। मुख्यालय को दिल्ली से बाहर ले जाने की लागत का अभी परिकलन करना है।

पश्चिम बंगाल सरकार को कोयला खान मलिकों द्वारा देय रायल्टी

4515. **श्री रवि राय :**

श्री सरदार अमजाद अली :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968, 1969 तथा 1970 में पश्चिम बंगाल सरकार को कोयला खान मालिकों द्वारा रायल्टी के रूप में भुगतान की जाने वाली कुल धन क्या है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कोयला खान मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंनें इन वर्षो के अन्दर रायल्टी का भुगतान नहीं किया है और उन पर कितनी धनराशि बकाया है ?

पेट्रोलियम तथाँ रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रखी जाएगी।

मितव्ययिता के लिए उपायों की गुंजाइश

4516. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय को कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने प्रति रक्षा उत्पादन विभाग (डी० जी० आई०), डी० आई० जी० एस० को कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की कार्य प्रणाली का मितव्ययता सम्बन्धी उपायों की गुंजायश का पता लगाने के लिए मूल्याँकन किया है;

(ख) क्या इस बीच यह मूल्याँकन पूरा किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रक्षा उत्पादन विभाग (डी० जी० आई०), डी० आई० (जी० एस०) को कोई स्टाफ इंस्पैक्सन यूनिट नहीं है। तदर्थित वित्त मंत्रालय को स्टाफ इंस्पैक्शन यूनिट ने हाल ही में डारेक्टोरेट आफ इंस्पैक्शन की सिब्बंदियों में से कुछ की स्टाफ आवश्यकताओं का निर्धारण किया है।

(ख) और (ग) : स्टाफ इंस्पैक्शन यूनिट द्वारा निरीक्षण के लिए हस्तगत की गई सभी सिब्बंदियों का निर्धारण अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाया। परन्तु सिब्बंदियों में से कुछ के बारे में यूनिट की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

तैयार मकान खरीदने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को ऋण

4517. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर्मचारियों को, मकान खरीदने के लिए, कितना ऋण दिया जाता है ;

(ख) क्या कोई कर्मचारी उस ऋण से नया अथवा पुराना तैयार मकान किसी गैर-सरकारी एजेन्सी अथवा व्यक्ति से खरीद सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) बने बनाए मकान लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को उसके मूल वेतन (मंहगाई वेतन इत्यादि सहित) के 60 गुना के बराबर अथवा 50,000 रुपये अथवा मकान की कीमत, जो भी इन कम हो, धन राशि अग्रिम रूप से देय है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नियमों के अधीन निजी संस्था अथवा व्यक्ति से मकान (नया अथवा पुराना) खरीदने के लिए अग्रिम न दिए जाने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :–

(i) सरकार के पास ऐसे मकानों की लागत तथा स्थायित्व को आँकने के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है।

(ii) देश में मकानों की संख्या को बढ़ाने का, योजना का मुख्य उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा।

(iii) इस प्रकार के अग्रिम से बेनामी-सौदों को रोका नहीं जा सकता ।

नकली औषधियों/दवाइयों की बिक्री

4518. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, नकली दवाईयों और औषधियों की बहुतायत हो गई है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Supply of Typewriter to Government Offices

4519. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of SUPPLY be pleased to state :

(a) the names of the firms and companies which have been supplying English and Hindi Typewriters to the offices of Government of India for the last three years ;

(b) the names of the firms and companies other than referred to in part (a) above which have offered to supply such typewriters at lower prices to the Government offices, but they were not invited by the Central Government offices to do so; and

(c) the reasons for which necessary orders were not placed with the firms and companies referred to in part (b) above ?

The Minister of Supply (Shri R. K. Khadilkar) : (a) (i) M/s. Remington Rand of India Ltd. Calcutta ;

(ii) M/s. Rayala Corporation Ltd. Bombay.

(b) The only other firm in the picture is M/s. Godrej & Boyce Manufacturing Co. This firm submitted a qutation only in October, 1967 and their prices were lower than those of M/s. Remington but higher than those of M/s. Rayala.

(c) M/s. Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. Bombay, were previously on the Rate Contract. In 1965 they did not quote in response to the tender enquiry as they had discontinued manufacture of their model M-8 typewriter. In October, 1967 they quoted for their new model of the English typewriter. The prices quoted by them were not cosidered reasonable and counter-offers were made. As the firm did not accept the counter-offers they could not be brought on the Rate Contract. Further, the firm did not quote in response to the tender enquiry issued in April 1969, as they were expecting to manufacture a new model and till date no offer for this model has been received.

त्रिपुरा में किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू होना

4520. **श्री किरति बिक्रम देव बर्मन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा में मकान मालिकों द्वारा किराये पर दिये गए मकानों के किराए पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई कानून लागू नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ , तो वहां यह कानून लागू न होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में उचित कानून लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरिय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परमिल घोष) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ए० बी० एम० एस० की डिग्री (तिब्बिया कालेज, दिल्ली)

4521. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरिय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बिया कालेज दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली ए० बी० एम० एस० की डिग्री को एम० बी० बी० एस० के समकक्ष समझा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ए० बी० एम० एस० की डिग्री प्राप्त विद्यार्थियो को सरकारी सेवाओं में समान वेतन मान मिलता है ;

(ग) यदि (क) और (ख) भागों का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ए० बी० एम० एस० और एम० बी० बी० एस० को समकक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सू० ल० मूर्ति) : (क) और (ख) : जी नहीं । परीक्षक निकाय द्वारा अभी तक ए० बी० एम० एस० की उपाधि प्रदान नहीं की गई है तथा इसका एम० बी० बी० एस० डिग्री से समानता का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ए० वी० एम० एस० आयुर्वेदिक चिकित्सा की एक उपाधि है। अतः ए० वी० एम० एस० की उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्य आयुर्वेद-स्नातकों के समक्ष समझा जाएगा।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

धातुओं की रद्दी, अवशेष तथा टूट-फूट के उपयोग का अध्ययन करने के लिए समिति की नियुक्ति

4522. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धातुओं की रद्दी, अवशेष तथा टूट-फूट के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ताकि विदेशों से अलौह धातुओं का आयात कम कर दिया जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के निदेशपद तथा उसके कार्य क्षेत्र क्या हैं, और समिति इस विषय में कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अलौह धातुओं की सलाहकारी परिषद ने माध्यमिक अलौह धातुओं की वसूली की छान-बीन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति टूट-फूट की उपलब्धता का ब्यौरा एकत्रित कर रही है और वह देश में अवशेषों और दुर्व्ययों से धात्वीय अर्हाओं की वसूली के लिए विभिन्न सम्भव उपाय बताएगी।

(ख) समिति के निर्देश-निबन्धन निम्नलिखित है :-

(1) देश में टूट-फूट उत्पादन की सम्भाव्यता का अध्ययन।

(2) वर्तमान में टूट-फूट के उयोजय की स्थिति।

(3) टूट-फूट के संग्रहण की पद्धतियों और आगे सुधार की गुंजाइश।

(4) टूट-फूट की विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण।

(5) देश में टूट-फूट के परिष्करण और अवशेषों के लिए सुविधाओं की स्थिति तथा आगे सुधार के लिए गुंजाइश।

(6) देश में टूट-फूट के अच्छे और वृहत उपयोजन के लिए सुझाव। आशा की जाती है कि समिति चार पाँच महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

4523. **श्री अदिचन :**
श्री हिम्मत सिंहका

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषतया जम्मू तथा कश्मीर (युद्ध विराम रेखा सहित) नेफा और नागालैंड में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का कोइ प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार सीमा क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास का स्वागत करती है, और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देती रही है। इस सम्बन्ध में कई योजनाए राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों में विचाराधीन है।

उपरोक्त प्रश्न पर हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। ऐसे निष्कर्ष निकाले गए थे कि गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी सीमा एजंसी जैसे कुछ राज्यों में पुनरावास के लिए स्थान है, जबकि जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड समेत अन्य राज्यों में इसके लिए स्थान बहुत सीमित था। तदपि योजनाओं को हस्तगत करने से पहले राज्यों और संघीय क्षेत्रों नें विस्तृत सर्वेक्षण हस्तगत करना स्वीकार कर लिया है। इन योजनाओं के विस्तार प्रकट करना लोक हित में न होगा।

VENEREAL DISEASES

4524. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the **Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it was disclosed in the conference of the Indian Moral and Social Health Organisation held in Rajasthan in November, 1970 that about 2 crore people fall a victim to venereal diseases in India every year; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In one of the papers presented at the conference under reference the total number of patients suffering from venereal diseases in India was estimated at 2 crores and not that 2 crore people fall a victim to this disease every year.

(b) Since these diseases are not notifiable, the exact information on the extent of the problem of Venereal Diseases in terms of actual incidence is not available. The Government of India is, however, seized of the problem and the following steps have been taken in this regard :—

(i) During the Fourth Five Year Plan, V. D. Control has been catagorised as a Centrally Sponsored Scheme with 100% central assistance to State/Union Territories.

(ii) In addition to 142 V. D. Clinics already establisehd in the country during the Second and Third Five Year Plans, it is proposed to establish 50 more V. D. Clinics during the Fourth Five Year Plan period, out of which 20 Clinics have already been sanctioned for establishment during 1969-70 and 1970-71.

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

4525. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या प्रतिरक्षा मत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि ;

(क) क्या उनके मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों मंत्रियों ने अपने पास निर्धारित संख्या से 200 प्रतिशत या इससे भी अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे हुए हैं; और

(ख) प्रत्येक उपसचिव, संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिब और सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय; पूर्ति विभाग के सचिव प्रतिरक्षा उत्पादन सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय में मंत्री, प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री के पास चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की समग्र जनशक्ति का हिसाब निर्धारित नामों के आधार पर लगाया जाता है। वास्तविक नियुक्ति समय समय पर वास्तविक आवश्यकता के ढ़ग पर निर्भर है। मंत्रियों और वरिय अफसरों दोनों के कार्यालयों में कार्यभार बढ़ रहा है। इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं दूर-दूर के भिन्न भवनों मैं स्थित अफसरों को भारी संख्या में कागजों का संचलन। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत जनशक्ति के अन्दर-अन्दर अन्दरुनी सम्जन द्वारा मंत्रियों और कुछ वरिय अफसरों के साथ चतुर्थ श्रेणीं कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**श्रेणी ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 4568/70]

गृह निर्माण ऋण के भुगतान का नया तरीका

4526. **श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने 1968 में, दिल्ली प्रशासन द्वारा गृह निर्माण के लिए मंजूर किये गये ऋणों भुगतान सम्बन्धी प्रतिक्रिया में पुनरीक्षण करने के आदेश जारीं किये थे;

(ख) क्या उक्त ऋणों पर ब्याज की दर भी 6½ प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई थी;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने उक्त आदेशों को, वित्तीय वर्ष 1970-71 से क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेशों को वितीय वर्ष 1968-69 से क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, तथा आवास नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) :

जीं, हां । 10 जून 1968 के बारे स्वीकृत किए गए ऋणों के बारे में ऋण की किश्तों के समय पर लौटाने के लिए 6½ प्रतिशत की ब्याज की दर पर ¼ प्रतिशत की छूट की अनुमति थी ।

(ख) और (ग) : सूचना दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वियतनाम से अमरीकी सेनाओं का हटाया जाना

4527. **श्री हिम्मत सिंह का :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अपने न्यूयार्क के दौरे के दौरान दक्षिण वियतनाम से अमरीकी सेनाओं को हटाए जाने की आवश्यकता पर तथा वहाँ एक बहुपक्षीय सरकार स्थापित करने के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे ;

(ख) यदि हाँ , तो अमरीका तथा अन्य दूसरे सम्बद्ध पक्षों की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुयी ; और

(ग) सरकार की गुट–निरपेक्ष नीति से उनका वक्तव्य कहाँ तक मेल खाता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) जी हाँ । दिनांक 16 नवम्बर, 1970 के प्रारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) भारत सरकार सभी सम्बद्ध पक्षों एवं सरकारों से निकट संबंध बनाए हुए है। वे चाहे हमारे मूल्याँकन से सदैव सहमत न भी हों फिर भी उन्होंने उसकी उपयोगिता को सराहा है।

(ग) भारत सरकार का मूल्याँकन सभी सम्बद्ध पक्षों एवं सरकारों के साथ उनके संबंध और समस्या के प्रति उनके स्वतन्त्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें हिन्द-चीन के लोगों के हितों और उस प्रदेश की शाँति को ध्यान में रखा गया है। गुट-मुक्तता का अर्थ एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण से है, न कि खामोशी, निष्क्रियता, उदासीनता या समदूरस्थता से है।

EXPENDITURE ON FAMILY PLANNING PROGRAMME IN MADHYA PRADESH

4528. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Work, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount of maney provided for being spent on the family planning programme in Madhya Pradesh during the current financial year:

(b) the amount, out of that, being made available by the Central Government in the form of grant or aid; and

(c) the number of persons proposed to be covered under the said programme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) An amount of Rs. 412.75 lakhs has been allocated to the Government of Madhya Pradesh for the implementation of the Family Planning Programme during 1970-71.

(b) For the Family Planning Programme 100% Central assistance is given to the States as grant-in-aid.

(c) About 5.75 lakh persons are proposed to be covered by various methods of Family Planning during 1970-71.

खेतड़ी ताँबा परियोजना को इस्पात की सप्लाई

4529. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इस्पात मंत्रालय की प्रार्थना के अनुरूप खेतड़ी ताँबा परियोजना को इस्पात की सप्लाई न किये जाने के कारण हुई इस्पात की कमी से सिविल तथा तकनीकी निर्माण कार्य निर्धारित ढंग से नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या परियोजना को आवश्यक मात्रा में इस्पात अविलम्ब उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) देश में इस्पात की समग्रतः कमी के कारण, खेतड़ी ताम्र परियोजना के लिए भी यह सम्भव नहीं हुआ कि उसके द्वारा दिए गये माँग पत्र दिए जाने पर भी इस्पात की पर्याप्त और सामयिक आपूर्ति नहीं हो सकी। कुछ समय पूर्व प्रायोजना ने 28/32 एम एम टौर-इस्पात की कमी को अनुभव किया जिससे प्रवलित सीमेंट कंकरीट कार्य को गति में मन्दता आ गई। विशेष प्रायस करने पर छड़ों और छल्लों की तुरन्त आवश्यकताओं की आपूर्ति-की व्यवस्ता की गई थी। इस समय प्रायोजना इमारती इस्पात के कतिपय वर्गों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है और वह अपेक्षित इस्पात को प्राप्त करने हेतु, दूसरे पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विभागों से उधार लेना सन्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित न करने के लिए जब कभी अनिवार्य हो खुले मार्केट से क्रम करने, जैसे समस्त प्रयास कर रही है और प्रायोजना को जुलाई 1971 से आवश्यता पड़ने वाले इस्पात के आयात की व्यवस्था करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

दुर्गापुर परियोजना द्वारा पश्चिमी जर्मनी को हार्ड कोक का निर्यात

4530. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दुर्गापुर परियोजना ने पश्चिम जर्मनी के साथ 50,000 टन हार्ड कोक की सप्लाई पर संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) क्या संविदा पूरा किया गया था; यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और परियोजना को इससे कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रखी जाएगी।

गोआ में मैंनमेड फाइवर प्लांट की स्थापना

4531. **श्री रवि राय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ सस्थाओं की ओर से गोआ में मैंनमेड फाइवर प्लांट स्थापित करने के संबन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नायलोन धागा संयंत्र की स्थापना

4533. **श्री शशी भूषण : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में कितने नायलोन धागा संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) इसके संबंध में सहयोग किन विदेशों से माँगा जा रहा है;

(ग) प्रस्तावित संयंत्र किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए किन किन राज्यों को लाइसेंस दिए गऐ हैं; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश को भी ऐसे लाइसेंस दिए गऐ हैं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार नायलोन धागा संयंत्र की स्थापना करने के लिए मध्य प्रदेश को लाइसेंस देने पर विचार करेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) 5 एककों का अनुमोदन किया गया है, उनमें अभी उत्पादन शुरु होना है ।

(ख) एकक का नाम	देश जिससे सहयोग किया जाना है
1. श्री सिनथैटिक्स	अमेरिका
2. मैसर्स स्ट्रेच फाइबर्ज	पश्चिमी जर्मनी
3. गुजरात पोलीएमाइडज	इटली
4. मैसर्स गुप्तालोन	पश्चिमी जर्मनी
5. मैसर्स आर्थस इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	इटली

(ग) एकक का नाम	स्थान
1. श्री सिनथैटिक्स	उज्जैन (मध्य प्रदेश)
2. मैसर्स स्ट्रेच फाइबर्ज	बम्बई (महाराष्ट्र)
3. गुजरात पोलीएमाइडज	सूरत (गुजरात)
4. मैसर्स गुप्तालोन	लुधियाना (पंजाब)
5. मैसर्स आर्थर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	बम्बई (महाराष्ट्र)

(घ) किसी राज्य सरकार या राज्य निगम को अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान पर मैसर्स श्री सिनथैटिक्स, संयंत्र की स्थापना करेंगे ।

सैनिक आदेश संख्या 12863/रेस/41/1943/ के तथा/अध्यादेश संख्या 36 का वापस लिया जाना ।

4534. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना द्वारा 1943 में जारी किए गऐ अध्यादेश संख्या छत्तीस और सैनिक आदेश संख्या/126832/रेस/41 वापस ले लिऐ गए हैं;

(ख) क्या इन आदेशों के परिणाम-स्वरूप आजाद हिन्द फौज के सदस्य भारत सरकार की दृष्टि में शत्रु बन गए हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त दोनों आदेशों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखेंगी; और

(घ) क्या सरकार इनको वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) : इन अध्यादेशों को 1950 में निरसित कर दिया गया था। जहाँ तक सैनिक आदेश का संबंध है, संदर्भ स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसके जारी होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया। तदपि आजाद हिन्द फौज के सेविवर्ग पर किसी पर अयोग्यता या किसी प्रकार का दूषण नहीं लगा है । अध्यादेश की एक प्रति संलग्न है ।

STATEMENT

(THE) PRISONERS OF WAR (FORFEITURE OF EMOLUMENTS) ORDINANCE 1943

(ORDINANCE XXXVI OF 1943) (16th October 1943)

An Ordinance to provide for the forfeiture in certain cases not provided for by the Indian Army Act 1911, of pay and allowances of certain persons subject to that Act.

Whereas an emergency has arisen which makes it necessary to provide for the forfeiture in certain cases and provided for by the Indian Army Act 1911, of pay and allowances of certain persons subject to that Act.

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 72 of the Govt. of India Act as set out in the Ninth Schedule to the Govt. of India Act 1935, the Governor General is pleased to make and promulgate the following ordinance :—

(a) Published in the Gazette of India, Extraordinary dated 16th October 1943.

Applied to the Chittagong Hill-tracts with effect from 18.11.1943 see Beng Govt. Notfn. No. 210 S, dated 15.11.1943.

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. (i) This Ordinance may be called the Prisoners of War (Forfeiture of Emoluments) Ordinance, 1943.

(ii) It shall come into force at once.

Interpretation

2. In this Ordinance, "Indian Commissioned Officer" means as Indian Commissioned Officer as defined in clause (2) of section 7 of the Indian Army Act, 1911.

Forfeiture of Pay and Allowances of prisoners of war.

3. (i) The whole or any part of the pay and allowances of an Indian Commissioned Officer may be forfeited by order of the Central Government if the officer is found by a military Court of Inquiry constituted under this ordinance—

(a) to have deserted to the enemy, or

(b) while in enemy hands, to have served with, or under the orders of, the enemy, or in any manner to have aided the enemy, or

(c) to have allowed himself to be taken prisoner by the enemy through want of due precaution, or through disobedience of orders or wilful neglect of duty, or

(d) having been taken prisoner by the enemy, to have failed to rejoin His Majesty's service when it was possible do so.

(ii) The Central Government may at any time cancel in whole or in part any order made under sub-section (i), and any such cancellation may be with retrospective effect.

COURTS OF ENQUIRY

4. The Commander-in-Chief of His Majesty's Forces in India or any officer authorised by him in this behalf may constitute a military court of such composition as the constituting authority thinks fit to enquire into and report to the Central Government on any case of the nature referred to in sub-section (i) of section 3.

हाजी मस्तां को दिये गये यात्रा सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर

4535. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के राज्पाल के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि, हाजी मस्तां के यात्रा सम्बन्धी दस्तावेजों पर उनके जाली हस्ताक्षर किये गये थे, क्या किसी संसद् सदस्य ने प्रधान मंत्री/सरकार से हाजी मस्तां पर जाली हस्ताक्षर करने के सिलसिले में मुकदमा चलाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्यां केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से हाजी मस्तां पर इस आरोप के कारण मुकदमा चलाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का यह विचार है कि राज्यपाल का यह वक्तव्य कि हस्ताक्षर असली नहीं थे, ठीक नहीं है और उसने वास्तव में यह सिफारिश उस समय की थी, जिस समय गुजरात के राज्यपाल थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मामले की छानबीन पूरी करने एंव कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

हाजो मस्तां को दिए गए यात्रा संबंधो दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर के बारे में जाँच

4536. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के राज्यपाल ने यह दावा किया है कि हाजी मस्तां को यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज देने के लिए की गई सिफारिश पर जो हस्ताक्षर थे, वे असली नहीं थे ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि राज भवन, अहमदाबाद, गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सरकारी लेखन-सामग्री को हाजी मस्तां ने कैसे प्राप्त किया, के बारे में जाँच के आदेश दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जाँच के आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मामले की छानबीन पूरी करने एवं कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल द्वारा आवास निधि का उपयोग न किया जाना

4537. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नगरीय आवास योजना के लिए आवंटित राशि में अधिकाश भाग का उपयोग नहीं किया गया है तथा उसको वापस कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि वापस की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसका कोई कारण बताया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ) : इस विभाग की सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। प्लान आउट-ले की अनुमोदित सीमा तक, उनके वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के लिए 1968-69 के अन्त तक केन्द्रीय सहायता ली जा रही थी। 1969-70 से (चतुर्थ योजना के आरम्भ से) राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों (आवास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता "खण्ड ऋणों" और "खण्ड-अनुदानों" के रूप में दी जा रही है, जो किसी विशेष विकास शीर्षक या कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्नि कार्य-क्रमों के लिए 'खण्ड' सहायता का उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं। अत: किसी राज्य सरकार द्वारा किसी रकम के वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1968-69 तक विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार ने 1846 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता ली थी। 1969-70 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 90.76 लाख रूपये के कुल व्यय की सूचना दी है। (इस राशि का ब्यौरा नहीं बताया गया है)।

काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी, में मार्च 1969 में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति

4538. **श्री सरदार अजमद अली** : क्या **प्रवि रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1969 में काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्ट्री में हुई घटनाओं की जाँच के लिए किसी जाँच समिति को नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : चूंकि काशीपुर की गन तथा शैल फैक्टरी में 9 मार्च 1969 को कोई घटना नहीं हुई थी, कोर्ट/बोर्ड आफ इन्क्वायरी स्थापित करने की कोई आवश्यकता पैदा ही न हुई थी ।

पश्चिम बंगाल स्थित आयुध कारखाने में चोरी

4539. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित आयुध कारखाने से हाल ही में बहुत से छोटे अग्नेय-अस्त्रों तथा विस्फोटक पदार्थों की चोरी की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसका पता लगाने के लिए कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस जाँच के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रति रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादों पर वजन अंकित किया जाना

4540. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अपने लोक प्रिय उत्पादों जैसे सर्फ, सनलाइट, लक्स टायलैट और एच० बी० टैल्कम पर वजन अंकित नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई छूट दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परिपाटी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) लक्स श्रृंगार साबुन के लपेटनों और हिमालय बुकिट टैलकम के पैकजों पर शुद्ध वजन दर्शाया जाता है परन्तु सर्फ और सनलाइट के कन्टेन्रज पर नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : सर्फ और सनलाइट तथा समरूप उत्पाद कारखाने में पैकजों में रखे जाते हैं जब ये थोड़ा सा गीले होते हैं। बिक्री के समय नमी के कारण उपभोक्ता को होने वाली हानि को दूर करने के लिए, उद्योग ने अभ्यावेदन दिया कि उन्हें कारखाने मे भरित वजन की तुलना में कुछ कम शुद्ध वजन दर्शाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि वजन सन्दर्भ में उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, मामले का वित्त मंत्रालय को उल्लेख किया गया है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

4541. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की जो कि भारत में एक विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है, देश के टायलट साबुन बाजार में अपने विस्तार के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का उत्पादन एक सीमा तक स्थिर कर देने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है जिससे देश में साबुन उद्योग के देशी क्षेत्र में वृद्धि हो सके ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा उत्पादन में और इसकी लाइफबाय साबुन जो कि बड़ी टायलेट साबुन के बाजार में प्राप्त की गई समूची वृद्धि दर अब 20 प्रतिशत से अधिक है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 1969 में संघठित क्षेत्र में साबुन कारखानों के श्रृंगार-साबुन (कारबालिक साबुन को शामिल करते हुए) के कुल उत्पादन में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का हिस्सा निम्न प्रकार है :–

संघठित क्षेत्र में साबुन-कारखानों का उत्पादन.....77,500 मीटरी टन

मैसर्स हिन्दुस्ता लीवर लि० का उत्पादन .....58,020 " "

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को शामिल करते हुए कुछ साबुन-निर्माताओं के उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) श्रृंगार साबुन की सारी किस्मों में हिन्दुस्तान लीवर लि० की वार्षिक समस्त वृद्धि-दर 20 प्रतिशत से कम है ; जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	श्रृंगार साबुनों की सारी किस्मों का उत्पादन	पिछले साल के उत्पादन पर वृद्धि दर
1968	53,960 मीटरी टन	–
1969	58,020 " "	7.5 प्रतिशत
1970 (अनुमानित)	62,100 " "	7.0 प्रतिशत

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शिविर लगाये जाने मैदानों से आय

4542. **श्री हेम राज : प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिवर्ष सेना द्वारा शिविर लगाए जाने वाले मैदानों से कितनी आय हो रही है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : सूचना इकटठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरी डिप्लोमा में डिग्री धारियों के लिए सेनाओं में कमीशन के कुछ पदों का आरक्षित रखना

4543. **श्री निहाल सिंह : क्या प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा तथा डिग्री धारी इंजीनियरों के लिए सेनाओं में सीधे कमीशन तथा शार्ट सर्विस कमीशन में कुछ सीटों का आरक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इंजीनियरी स्नातक उम्मीदवार सेना तथा वायु सेना में स्थायी तथा अल्पकालीन सेना कमीशन प्रदान किए जाने के अधिकारी हैं और नौसेना में सीधे अल्प काली सेवा कमीशन प्रदान किए जाने के अधिकारी । इंजीनियरी डिप्लोमा धारण करने वाले भारतीय सैनिक अकादमी में या सेना के अफसरी प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्नातक योग्यताओं सहित उम्मीदवारों की कमी हो तो किसी तकनीकी कोर में उन्हें कमीशन प्रदान करने पर विचार किया जाता है । डिप्लोमा धारण करने वाले नौसेना और वायु सेना में कमीशन प्रदान किए जाने के अधिकारी नहीं हैं ।

रक्षा सेवाओं में डिप्लोमा धारकों के रिक्त स्थान के सुरक्षण के लिए कोइ प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिले क्वार्टर

4544. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सरकारी निर्माणाधीन क्वार्टरों के विशेष कर टाइप- I क्वार्टरों के पहली, दूसरा तथा तीसरी मंजिलों में छज्जे अथवा बरामदे के रूप में खुला स्थान अत्यन्त अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनको खुला स्थान देने के लिए अतिरिक्त छज्जे बनाने का विचार है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या टाइप I क्वाटरो की पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिलों के निवासियों के लिए साइकिल, रखने अथवा कोई अन्य गाड़ी रखने की जगह नही है ; यदि हाँ, तो क्या स्थान की व्यवस्था की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं । टाइप-I समेत सभी टाइपों के चार मंजिले क्वार्टरों की ऊपरी मंजिलों पर एक बालकोनी की व्यवस्था है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । टाइप-I के नए क्वार्टरों के पीछे निचली मंजिल पर साइकिल शैडों की व्यवस्था की जा रही है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश में स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना

4545. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश में कोई स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश में कोइ प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है। तथापि अब तक 87 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं तथा 68 परामर्श अस्पताल प्रयोगशालाओं ने उपस्करों के रूप में यूनिसेफ से सहायता प्राप्त की है ।

विदेशी सहायता प्राप्त कम्पनियों की तेल शोधन क्षमता का विस्तार

4546. **श्री शिव चन्द्र झा :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में तीन गैर-सरकारी विदेशी तेल कम्पनियों की तेल शोधन क्षमता में विस्तार की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना

4547. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लिए सरकार ने प्रोफेसर सी० एन० वकील की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या होंगे ?

(स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बा० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : जी हाँ। सरकार ने प्रोफेसर सी० एन० वकील की अध्यक्षता में परिवार नियोजन कार्य-क्रम के लिए लक्ष्य निर्धारण समिति का गठन कर लिया है। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) चौथी और पाँचवी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक देश में जन्म दर को 7 अंक तक कम करने के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सारे देश तथा विभिन्न राज्यों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निर्देशक सिद्धान्त निश्चित करना।

(2) वर्तमान तथा संभाव्य साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए पूरी योजना अवधि तथा चौथी और पाँचवीं योजनाओं के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रयोजनों की पूर्ति हेतु वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और ;

(3) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य सम्बन्धित तथा सहायक उपायों की सिफारिश करना।

जवानों की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता

4548. **श्री अदिचन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में जवानों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का स्तर क्या है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों को दिल्ली स्थित भर्ती केन्द्र में, उन के द्वारा दिल्ली में रहने की अवधि का प्रमाण-पत्र दिए जाने पर भी भर्ती नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कम से कम शिक्षा मानक अंशों का कोरों तथा वर्गों/व्यवसायों पर निर्भर, कि जिन के लिए वह भर्ती किए जाते हैं ; अपनी भाषा में साक्षरता से मेट्रिकुलेशन तक विभिन्न हैं।

(ख) विद्यमान नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति कि जो दिल्ली में निरन्तर रिहाईश का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं भर्ती कार्यालय दिल्ली के माध्यम से भर्ती के अनाधिकारी नहीं हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग के बारे में नियमों का बनाया जाना

4550. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग तथा विकास को नियमबद्ध करने का समर्थन किया है; और इंटर नेशनल ला एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए हैलासेंकी नियमों की पुष्टि की है ;

(ख) यदि हाँ; तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जन संख्या-वृद्धि तथा मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि और उनका वाहुल्य होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के उपयोग की आवश्यकता अतीत की अपेक्षा वर्तमान में बहुत अधिक है। विज्ञान एवं औद्योगिकी के विकास के कारण यह सामान्यतया माना जाता है कि अल्प विकसित देशों के करोड़ों लोगों के तेज़ आर्थिक विकास के लिए इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। ये मांगे कभी कभी विरोधी होती हैं। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर कानून काफी प्रगतिशील एवं वर्गोकृत होने चाहिए।

(क) महासभा ने अपने चालू अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई कि जब भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग अपने निश्चित कार्य-क्रम के प्रकाश में ठीक समझे, वह इसके प्रगतिशील विकास एवं संहिता-करण के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के गैर-नौगम्य प्रयोगों के संबंध में विधि का अध्ययन पहले करे। इस प्रस्ताव में महासचिव से इस बात का भी अनुरोध किया गया है कि वह इस विषय पर अपना अध्ययन जारी रखें।

लुसाका सम्मेलन में भाग लेने वाले देश

4551 **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों ने सितम्बर, 1970 को लुसाका में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन में भाग लिया और उनके प्रतिनिधियों के नाम क्या है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : शामिल होने वाले देशों और उनके प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं नाम के अनुबन्ध में दे दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया वेखिए संख्या एल०टी०4569/70]**

कलकत्ता में आजाद हिंन्द फौज के शहीदों के स्मारक का शिलान्यास

4552. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तएव चह्वान ने, 21 अक्टूबर 1968 को हुए एक समारोह में आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक का कलकत्ते में शिलान्यास किया था

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर ने आजाद हिन्द फौज के शहीदों की गरिमा के अनुरूप ही उनकी यादगार बनाने क लिए 1 लाख रुपये की मंजूरी दी थी ;

(ग) क्या स्मारक के निर्माण की गति के निरीक्षण के लिए सरकार ने एक समिति का गठन भी किया था ;

(घ) क्या सरकार द्वारा स्मारक बनाने के लिए अभी कोई भी कदम नहीं उठाया गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परमिल घोष) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सैनिक स्कूल कुजंपुरा के छात्रों को दिया जाने वाला भोजन

4554. **श्री दिनकर देसाई : क्या प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सैनिक स्कूल, कुन्जपुरा के अक्तूबर, 1970 में हुए वार्षिकोत्सव पर वहाँ के छात्रों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) जब वर्ष 1960 में स्कूल की स्थापना की गई थी तो प्रति छात्र प्रतिदिन भोजन पर कितना व्यय किया जाता था और अब कितना व्यय किया जा रहा है ;

(घ) प्रति दिन प्रति छात्र सही अर्थों में कितना दूध, मक्खन और अंडे दिये जाते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में समस्त सैनिक स्कूलों के छात्रों को दिये जाने वाले भोजन में सुधारों का सुझाव देने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। गवर्नर ने कोई प्रतिकूल टिप्पणिएं नहीं की थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भोजन पर प्रतिदिन प्रति लड़के के लिए 1·80 रुपया खर्च किया गया था अब प्रति दिन प्रति लड़के के लिए 2·25 रुपये खर्च किए जाते हैं।

(घ) प्रतिदिन लड़कों को दूध इत्यादि की वितरित की गई राशि इस प्रकार है :–

दूध : 0·4 लिटर प्रति लड़का प्रति दिन।

मक्खन : 0·5 औंस प्रति लड़का प्रति दिन।

अंडे : 3 से 4 अंडे प्रति लड़का प्रति दिन।

(ङ) जी नहीं। भोजन पर प्रति व्यक्ति खर्च में उपयुक्त वृद्धि का प्रश्न विचार अधीन है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से व्यापारिक संबंध रखने वाली फर्मों में नियुक्त किए गए उक्त कार्यालय के अधिकारियों के लड़के

4555. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता चला है कि पूर्ति निपटान महानिदेशालय के निदेशक तथा उसके ऊपर के पदों के कुछ अधिकारियों ने अपने पुत्रों को कलकत्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों की कुछ ऐसी फर्मों में नियुक्त कराया है जिनके साथ उनका सरकारी तौर पर व्यापारिक सम्बन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उन अधिकारियों के नाम, उन फर्मों के नाम जहां इन्होंने अपने पुत्रों को नियुक्त कराया है, तथा इन व्यक्तियों को शैक्षणिक अर्हता का विवरण सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) उन व्यक्तियों को कितना वेतन तथा भत्ता मिल रहा है तथा वे किस पद पर हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के ऐसे निदेशकों तथा ऊपर के अधिकारियों के सम्बन्ध में विवरण, जिनके पुत्र ऐसी फर्मों में काम करते हैं जिनसे उनका किसी भी समय किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रहा हो।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम	उस फर्म का नाम जिसमें उसका पुत्र काम करता है	(i) पुत्र का नाम (ii) शैक्षणिक योग्यताएं।	(i) वेतन और भत्ते (ii) जिस पद पर नियुक्त है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के० जे० शिनाय	उप महानिदेशक (पूर्ति)	मैसर्स लारसेन तथा ट्यूबरो, बम्बई	श्री डी० के० शिनाय बी० ई० (आनर्स) (यान्त्रिक)	कुल 750 रुपये प्रति मास स्नातक इंजीनियर
2.	श्री जी० के० आहूजा	उप महानिदेशक (निरीक्षण)	मेसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	श्री शभुलाल विद्युत इंजीनियरिंग में आनर्स स्नातक (लन्दन)	कुल 1680 रुपये प्रति मास परि-योजना इंजीनियर
3.	श्री पी० के० चटर्जी	पूर्ति निदेशक	मैसर्स ग्रीवस काटनएण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली	श्री पी० चटर्जी यान्त्रिक इंजीनिरिंग में डिग्री	कुल 450 रुपये प्रति मास बिक्री इंजीनियर परिवीक्षाधीन
4.	श्री के० एन० कंकड़	पूर्ति निदेशक	मेसर्स एस्कार्टस लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री आर० के० ककड़ एम० ए० (इंगलिश) तथा बिज़नेस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा	750 रुपये प्रति मास और 187.50 रुपये भत्ते के रूप में सहायक बिक्री प्रतिनिधि

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति जिन्होंने उच्चायुक्त अथवा राजदूत के पद पर कार्य किया।

4556. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उच्चायुक्त तथा राजदूत के पद पर कार्य करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)

अनुसूचित जातियों के—तीन

अनुसूचित जनजातियों के—कोई नहीं।

उड़ीसा में किरीबुरु बस्ती के लिए किरीबुरु पर्वतीय शिखर प्रदेश का विकास

4557. **श्री प्र० के० देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने उड़ीसा सरकार को उड़ीसा में किरीबुरु बस्ती बनाने के लिए किरीबुरु पर्वतीय शिखर प्रदेश को साफ और विकसित करने के लिए पत्र लिखा था;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने पहले ही अपने प्रदेश को विकसित करने की कार्यवाही की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रदेश का कब विकास किया जायेगा और उपयुक्त बस्ती कब तक बनायी जाएगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने उड़ीसा सरकार से उड़ीसा की तरफ की पहाड़ी–शिखर की भूमि में भूतल अधिकारों के अनुदान के लिए निवेदन किया था, जो अनुदत्त किए गए हैं ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने अभी तक क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं । तथापि, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पहले ही 60 क्वार्टरों को सन्निर्मित कर दिया है और सम्बद्ध प्रसुविधाएं पदत्त कर दी हैं ।

SURVEY FOR UNDERGROUND WATER IN MADHYA PRADESH

4558. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the acreage of land out of the total area surveyed so far by the Geological Survey of India in Madhya Pradesh where underground water has not been found suitable and the percentage of land so surveyed; and

(b) the time by which the entire land in Madhya Pradesh is likely to be serveyed in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) (a) and (b). There is no problem of suitability of water in Madhya Pradesh and as such the question of the percentage of land surveyed in Madhya Pradesh where underground water has not been found suitable, dose not arise. However, the details of underground water investigation, based on geological information, carried out by Geological Survey of India, so far in Madhya Pradesh are tabulated in a statement attached. [*Placed in the Library.—See L. T. No. 4570/70.*]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा बोनस की माँग

4559. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान अथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने वर्ष 1969-70 के लिए 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी माँग को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : कम्पनी मामले को निपटाने में सक्षम है । यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी और संघ के बीच एक समझौता हुआ है ; जिसके अनुसार वर्ष 1969–70 के लिए वेतनो । मजदूरी की 17 प्रतिशत की दर से बोनस देय है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन

4560. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन के उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठन को उसके कृत्यों के पालन में और दक्ष करने के लिए प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में अनेक सुझाव दिए गए हैं । ये सुझाव परीक्षाधीन हैं ।

इसी बी वैज्ञानिक अनुसंधान के संगठन की समिति (सी० ओ० एस० आर०), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सगठन की परीक्षा कर रही है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है । इसको और प्रक्कलन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन पर शीघ्र विचार किया जाएगा ।

विस्फोटक पदार्थों के कारखानों में विस्फोटक गोलमाल

4561. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1970 के साप्ताहिक पत्र "ब्लिटज" में "एक्सप्लोजिव स्कैंडल इन एक्सप्लोजिवज फैक्टरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है, और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस गोलमाल के लिए (दोनों सरकारी और गैर-सरकारी) कौन उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ । जाँच पर पता चला है कि रिपोर्ट में कथित विषयों पर कोई तथ्य न था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इमारती नक्शानवीशों में असन्तोष

4562. **श्री राम चरण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने इमारती नक्शानवीशों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या अभी तक उनमें हतोत्साह व्याप्त है ;

(ग) क्या उनके वेतनमानों में परिवर्तन करने की बराबर की जा रही माँग को स्वीकार नहीं किया गया है जबकि अन्य कार्यालयों जैसे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने विभिन्न ग्रेडों क नक्शानवीशों के वेतनमानों में परिवर्तन कर दिया है ; और

(च) तो इमारती नक्शानवीशों की न्यायोचित माँगों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) : इमारती-नक्शानवीशों की मुख्य शिकायत उनके वेतनमान के पुनरीक्षण के बारे में है। ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि वेतनमानों को बढ़ाने के पुनरीक्षण पर रोक लगी है। इमारती-नक्शानवीसों के बीच इस कारण से कुछ निराशा हो सकती है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इमारती-नक्शानवीसों की माँगों की उपेक्षा नहीं की गई है। परन्तु पूर्वकथित कारणों से उनको स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, अब, क्योंकि तृतीय वेतन कमीशन स्थापित हो चुका है, और इमारती नक्शानवीसों की एसोसिएशन ने यह प्रश्न अब कमीशन के सम्मुख रखा है अतः इस बारे में, वेतन कमीशन की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, मामले पर विचार किया जाएगा।

तामिलनाडु में इलैक्ट्रोनिक्स के एक कारखाने की स्थापना

4563. **श्री मुरासोली सारन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में इलैक्ट्रोनिक्स के एक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक इलैक्ट्रोनिक्स का कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या मूलतः इस कारखाने को तमिलनाडु में चालू करने का विचार था ;

(घ) स्थान परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस समय तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ) : माइक्रोवेव और रडार साजसामान के निर्माण के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को एक दूसरी यूनिट स्थापित करने के सम्बन्ध में तामिलनाडु सरकार ने तामिलनाडु में फैक्ट्री के संस्थान का सुझाव दिया था। अन्य कई सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में प्रस्तावित फैक्टरी के संस्थान का सुझाव दिया था। विभिन्न सरकारों द्वारा पेशकश किए गए स्थानों का एक तकनीकी कमेटी द्वारा आँकन के पश्चात् निर्णय किया गया है कि फैक्टरी गाजियाबाद में स्थापित की जाए। तामिलनाडु में फैक्टरी की स्थापना किसी भी समय ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था।

मद्रास नगर में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये वित्तीय सहायता

4564. **श्री मुरासोली मारन :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि तमिलनाडु सरकार ने एक गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मद्रास शहर में गंदी बस्तियों के सुधार कार्य के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) तमिलनाडु सरकार से सूचना माँगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). चौथी योजना के आरम्भ से ही गन्दी बस्ती हटाओ और विकास योजना राज्य क्षेत्र में है । राज्य सरकारों को, राज्य क्षेत्र में सभी विकास कार्यक्रमों के लिए, जिसमें गन्दी बस्ती/विकास योजना शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता खण्ड-ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में उपलब्ध की जा रही है । राज्य सरकार, उस द्वारा निश्चित की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के लिये निधियों को निर्धारित करने में स्वतन्त्र है ।

तमिल नाडु में अनिवार्य औषधियों की कमी

4565. **श्री मुरासोली मारन :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में आवश्यक औषधियों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा०चव्हाण) : (क) तमिल नाडु में कुछ प्रचुर औषधियों एवं फार्मूलेशन्स की कमी के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिली है ।

(ख) फार्मूलेशन्स तैयार करने के लिये निर्माताओं को प्रचुर औषधियों की अपर्याप्त सप्लाई और उपभोक्ताओं को बेचने के लिये प्रचून विक्रेताओं को निर्माताओं द्वारा फार्मूलेशन्स की अपर्याप्त सप्लाई, कमी के कारण हैं। मूल्यों में कमी किये जाने के फलस्वरूप कुछ फार्मूलेशन्स की माँग में अचानक वृद्धि भी कुछ हद तक कमी का कारण है। सप्लाई में कम प्रचुर औषधिय की अतिरिक्त मात्राओं के आयात और वितरण के लिए प्रबन्ध किया गया है। कमी को दूर करने हेतु संबंधित निर्माताओं को अपेक्षित फार्मूलेशन्स की तुरन्त सप्लाई करने के लिये भी कहा गया है।

नई दिल्ली में तमिलनाडु हेंडिक्राफ्टस एम्पोरियम के लिये वैकल्पिक प्लाट का दिया जाना

4566. **श्री मुरासोली मारन :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नई दिल्ली स्थित हैन्डीक्राफ्टस एम्पोरियम के लिए वैकल्पिक प्लाट दिये जाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हाँ।

(ख) वैकल्पिक वास आवंटित करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि सभी एम्पोरियम प्लाट पर्ची द्वारा राज्य सरकारों तथा अन्य लोगों को आवंटित हैं।

श्री निवासपुरी, नई दिल्ली में टाइप I के क्वार्टरों के अलाटियों के अभ्यावेदन

4567. **श्री निहाल सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री निवासपुरी, नई दिल्ली के टाइप I के क्वार्टरों में रहने वाले लगभग सभी लोगों को क्वाटरों के सबलेट कर दिये जाने की कथित बात के सम्बन्ध में सम्पदा निदेशालय नें नोटिसें जारी की हैं, यदि हाँ, तो किन कारणों से इन लोगों को अंधाधुंध परेशान किया जा रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने के बाद ही नोटिसें जारी की गई हैं; यदि हां, तो गत वर्ष 30 नवम्बर, 1970 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और उनमें से कितनी शिकायतें बेनाम थीं और कितनी शिकायतें गलत नाम से की गई थी और इस प्रकार

लोगों को परेशान करने के पूर्व क्या शिकायत करने वालों से कहा गया कि वे अपनी शिकायतों को सत्य साबित करें, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन क्वार्टरों में रहने वालों ने संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री को इस अंधाधुन्ध परेशानी के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं। जब उप-किरायेदारी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, केवल तभी मामले की जांच करने की कार्यवाही की जाती है।

(ख) जी, हां। पिछले एक वर्ष के दौरान, 30 नवम्बर, 1970 तक, श्रीनिवास-पुरी में क्वार्टरों के बारे में 388 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इनमें से, 124 शिकायतें गुमनाम अथवा छद्मनाम साबित हुई। उस आवंटी के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व, जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत करने वाले से पूछा जाता है और उसका बयान लेखबद्ध किया जाता है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

छावनियों में कन्द्रीय सरकार के कब्जे की गैर सरकारी सम्पत्ति

4568. **श्री पीलु मोडी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद और उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न छावनियों में निजी व्यक्तियों, की उनके हित के विरूद्ध कितनी सम्पत्ति पर कब्जा किया गया है।

(ख) उन में से कितनी सम्पत्ति के लिए सरकार नाम मात्र का किराया देती है जो 30 या अधिक वर्ष पूर्व मंजूर किया गया था, और उसके कारण क्या हैं ;

(ग) ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में सम्पत्ति के कुछ मालिकों से किए गए करार के अनुसार कुछ अवधि के बाद उक्त सम्पत्ति को सरकार के कब्जे से मुक्त किया जाना चाहिए था;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस करार की शर्तों का पालन क्यों नहीं किया ; और

(ङ) राज्य किराया अधिनियम को सरकार पर क्यों लागू नहीं किया गया ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : ।(क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) यह फैसला करना प्रत्येक राज्य विधान का है, कि उसके विधान क्षेत्र के अन्तर्गत क्या कानून बनाए जाने चाहिए ।

सैनिक अधिकारियों के लिए छावनियों में मकानों का निर्माण

4569. **श्री पीलु मोडी :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में छावनियों में सैनिक अधिकारियों के लिए कितने क्वाटरों का निर्माण किया गया और क्या निजी सम्पत्ति को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने के सम्पत्ति के मालिकों के दावों को अनुपातिक रूप से निपटाया जा रहा है अथवा नहीं है ;

(ख) गत दस वर्षों में ऐसी कितनी सम्पत्तियों को सरकारी कब्जे से मुक्त कर दिया गया है ; और

(ग) क्या छावनियों के मालिकों को अपनी सम्पत्ति को बेचने को सरकार से अनुमति माँगनी पड़ती है और खरीदने वाले को सेना द्वारा रखी गई कई अनुचित शर्तों का पालन करना पड़ता है ?

प्रति रक्षामन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों में छावनियों में विवाहित अफसरों के लिए बनाए गए नये भवनों और उसी अवधि में छावनियों में विमुक्त किए गए मकानों की संख्या के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी। तदपि विवाहित वास्य भवनों की बहुत कमी है । किराए पर लिए मकानों की विमुक्ति की प्रार्थनाएं अन्य बातों सहित सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैरिट के अनुसार विचारी जाती हैं ।

(ग) उन मामलों में कि जहाँ टन्योर की शर्तों में ऐसी अनुमति आवश्यक हो सम्पत्तियों के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है । अन्तरण कई निर्धारित शर्तों पर निर्भर होते हैं कि जिन्हें अन्याय युक्त नहीं कहा जा सकता ।

सरकारी गोदामों में अपरिष्कृत स्थिति में पड़े हुये आयातित डी० डी० टी०

4570. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गोदामों में एक करोड़ रुपये के मूल्य की डी० डी० टी० अपरिष्कृत पड़ी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रसायन का अमेरीका से कब आयात किया गया था ; और]

(ग) इसको कब तक परिष्कृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ ।

(ख) इसका आयात नवम्बर 1968 से जून 1970 के दौरान किया गया था ।

(ग) पर्याप्त जानकारी तथा उपस्करों के अभाव में स्वदेशी फार्मूलेटरों की कार्य क्षमता में आशा के प्रतिकूल ह्रास के कारण डी० डी० टी० के प्रतिपादन में देरी हुई । डी० डी० टी० के यथा शीघ्र परिष्कृत किये जाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये निधि का नियतन

4571. **श्री सोनावने** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु महाराष्ट्र राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि नियत की गई : और

(ख) क्या इस कार्य के लिए राज्य सरकार को दी गई कोई राशि व्यपगत हो गई है, यदि हां, तो कितनी राशि व्यपगत हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री परमिल घोष) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार को गंदी बस्ती हटाओ/सुधार योजना के लिए 1967-68 तथा 1968-69 वर्ष के दौरान क्रमशः 59 लाख रुपये तथा 24. 85 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई थी, जिसमें से उन्होंने क्रमशः 47.81 लाख रुपये तथा 82.84 लाख रुपये लिये थे ।

1969-70 के वर्ष में गन्दी बस्ती हटाओ/सुधार योजना के लिए विशेष रूप से कोई केन्द्रीय सहायता नियत नहीं की गई है, क्योंकि 1 अप्रैल 1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है । तब से, राज्य सरकारों को गन्दी बस्ती हटाओ योजना सहित राज्य क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों के लिए, केन्द्रीय सहायता 'खन्ड–ऋणों' तथा 'खण्ड–अनुदानों' के रूप में दी जा रही है । राज्य सरकारें, उनके द्वारा निश्चित की गई आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं ।

सोडियम साइक्लेमेन्ट की बिक्री पर प्रतिबन्ध

4572. **श्री म० सुदर्शन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडियम साइक्लेमेंट की विक्री पद प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) अन्य किन देशों ने सोडियम साइक्लेमेंट पर प्रतिबन्ध लगाया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सोडियम साइक्लमेंट अथवा मीठे के रूप में प्रयुक्त होने वाली उससे बनी चीजों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। औषधियों के निर्माण में सोडियम साइक्लेमेंट को औषध निर्माण की आवश्यकता के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और खाद्यान्नों में इस के उपयोग पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन रोक लगी हुई है, किन्तु इसकी विक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जहां तक सरकार को जानकारी है अमेरिका में सोडियम साइक्लमेंट की विक्री पर तिबन्ध लगा हैं।

पश्चिमी बंगाल के देहाती क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना

4573. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने गांवों में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य में निम्न आय वाले लोगों पर परिवार नियोजन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) 1823।

(ख) निम्न आय वाले लोगों पर पड़े परिवार नियोजन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए इस विभाए ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूतपूर्व क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अपने कष्टों के निवारण के लिए सरकार से अपील

श्री क० ना० तिवारी (बेत्तिया) : मैं गृह-कार्य मत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :–

"भूतपूर्व कान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अपने कुछ कष्टों के निवारण के लिए सरकार से बार बार की गई अपीलों का समाचार"

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसँधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : श्रीमान, भूतपूर्व क्रान्तिकारियों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों से मुख्यतः आर्थिक सहायता तथा पेंशन दिए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों का है जिन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन, नकद अनुदान, ऋण व उनके बच्चों को शैक्षिक रियायतें देने के रूप में सहायता देने की अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक कठिनाइयों के व्यक्तिगत मामलों में गृह मंत्री स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार ने 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के कतिपय प्रमुख नेताओं की सन्तानों को 1957 में आजीवन पेंशन मन्जूर की थी। भारत सरकार ने उन सुपात्र स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्होंने अन्दमान सेलूलर जेल की अवधि समेत कम से कम 5 वर्ष की कैद काटी थी तथा जहाँ स्वतन्त्रता सेनानी स्वंय जीवित नहीं हैं, उनके परिवारों को भी आजीवन पेंशन देने की एक योजना को 2 अक्टूबर, 1969 से कार्यान्वित किया है। स्वतन्त्रता सेनानियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस योजना को उन व्यक्तियों पर भी, जिन्होंने अन्दमान सेलूलर जेल की अवधि समेत 5 वर्ष की कैद पूरी नहीं की थी, लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। ये भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस योजना को उन स्वतन्त्रता सेनानियों पर भी, जिन्होंने भारत के बाहर अन्य जेलों में सजा काटी थी तथा उन पर भी जिन्होंने मुख्य भूमि पर स्थित जेलों में लम्बी कैद काटी थी, लागू किया जाए। सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है।

Shri K. N. Tiwari : We are grateful to the Government that it has granted pension to the persons who remained in Andman prison. May I know the time by which the pension to other person will be granted ? I would also like to know the time by which the pension to the persons belonging to the I.N.A. movement who have become very old especially who are unable to work or whose families have no source of income will be granted ? I would also like to know whether instructions will be issued to the state Governments to grant pension to the persons belonging to kuka movement who remained in Midnapur and Mandia Jails ?

Shri K. C. Pant : So far as Andman prisoners are concerned most of them have already been given some assistance in the form of pension. Pension has been granted in 189 cases out of the 230 cases received so far. 27 cases are under consideration of the Government. The other cases will be considered at a later stage because at present their economic position is good. It has also been decided to grant pension to those persons who joined I.N.A. after leaving the Indian army. Civilians of I.N.A. will also be given pension on the same basis as is given to the other freedom fighters.

Shri K. N. Tiwari : What is the position of those persons who were associated with the kuka movement ?

Shri K. C. Pant : These cases will also be considered.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : स्वयं राष्ट्रपति ने 1966 में हिसार जिले के राजनीतिक पीड़ितों को भूमि देने का वचन दिया था, परन्तु उनका भूमि नहीं मिली और उन्हें इसके लिए प्रधान मंत्री क निवास स्थान पर धरना देना पड़ा। इसक बावजूद भी उन्हें अभी तक भूमि नहीं दी गई।

हमें विभिन्न बूढ़े स्वतन्त्रता सेनानियों से उनके द्वारा मत्रालय को भेजे गए आवेदन पत्रों की प्रतियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें कहा जाता हैं कि उनको मिलने वाली पेंशन बहुत कम है और कि विभिन्न स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की दरों में कुछ समन्वय होना चाहिए।

मुझे श्री रंगुलाल गाँगुली से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह दस वर्ष तक कारावास में रहे हैं और कि उन्होंने 200 रूपये प्रतिमास के लिए आवेदन पत्र दिया था। जिस पर प्रधान मंत्री के सचिवालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या सरकार राज्य सरकारों की सहायता से ऐसे लोगों की स्थिति के बारे में पता लगायेगी और ऐसी योजना बनाएगी जिसको अविलम्ब क्रियान्वित किया जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस मामले में केन्द्रीय सरकार का पहले रवैया यह था कि यह राज्य सरकारों का मामला है और उन्हें ही इस पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम यह मामला 1950 में उठाया गया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि राजनीतिक पीड़ितों के परिवारों को सहायता देने का मामला राज्य सरकारों का है परन्तु व्यक्तिगत मामलों में जहाँ आवश्यक होगा केन्द्रीय सरकार सहायता देगी।

तत्पश्चात 1857 के कुछ शहीदों के वंशजों को आजीवन पेंशन मन्जूर की गई थी।

इसके पश्चात् पाँच वर्ष तक अन्दमान जेल में रहने वाले लोगों को सहायता दी गयी थी। अतः केन्द्रीय सरकार इन स्वतन्त्रता सेनानियों के कल्याण में रुचि ले रही है। परन्तु अभी भी यह विषय राज्य सरकारों का है और उन्होंने इस बारे में विभिन्न योजनाएं भी बनाई हैं। यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा अलग अलग है। मैं श्री मुकर्जी के सुझाव को राज्य सरकारों तक पहुंचा दूंगा। जहाँ तक श्री गाँगुली का मामला है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। परन्तु श्री मुकर्जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गाँगुली अन्डमान जेल में नहीं रहे। शायद यही कारण है कि सरकार द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। योजना के अन्तर्गत ही हम सहायता देते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हिसार के लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं इस मामले की जाँच करूंगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (गोंडा) प्रत्येक देश में स्वतन्त्रता सेनानियों तथा शहीदों के परिवारों की देखभाल की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। हमारे देश में इस बारे में प्रर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं जानती हूं कि प्रत्येक राज्य में इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही की है परन्तु राज्य सरकारें इस बारे में पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास साधन सीमित हैं।

स्वर्गीय चन्द्र शेखर आजाद की माता को उनकी मृत्यु से पांच मास पूर्व 20 रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन दी गई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शहीद भगत सिंह की माता तथा उनके सहयोगियों को भी कुछ पेंशन दी जा रही है अथवा नहीं ? क्या सरकार उनकी देख भाल कर रही है ? ये लोग देश के लिए शहीद हुए थे। अतः यह विषय राज्य सरकारों का नहीं होना चाहिए। इस बारे में समान नीति अपनाई जानी चाहिए। इस बारे में केन्द्र तथा राज्य सरकारें मिलकर कोई नीति बना सकती हैं। इन लोगों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। प्रत्येक उस व्यक्ति को पेंशन दी जानी चाहिए जिसने पाँच वर्ष जेल में व्यतीत किए हो चाहे वह अन्दमान जेल में रहा हो अथवा किसी अन्य जेल में। अनेक व्यक्ति सहायता चाहते भी नहीं हैं परन्तु जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अविलम्ब सहायता दी जानी चाहिए।

यह बड़े दुःख की बात हैं कि श्रीमती लीला राय मरने से पूर्व बहुत तंग थी। स्वतन्त्रता सेनानियों की एक संस्था से जो कि पिछले कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं हमें अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से अनेक की स्थिति बहुत सोचनीय है। संस्था ने क्रान्तिकारियों के लिए एक होस्टल बनाने की योजना बनायी है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार उनको कितनी सहायता

दे रही है? मेरे विचार में सरकार को इनकी पूरी लागत वहन करनी चाहिए। अनेक व्यक्तियों को पन्द्रह से 20 रुपये प्रतिमास दिए जा रहे हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं।

क्या उस सरकार ने सिविल लोगों के परिवारों की सहायता के लिए जो आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गए थे कोई योजना बनाई है?

हिसार के स्वतन्त्रता सेनानियों को भूमि के स्वामित्व अधिकार अभी तक नहीं दिए गये हैं हालाँकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 5000 रुपया देने को तैयार था जैसा कि राष्ट्रपति के 1966 के आदेश में कहा गया था। में जानना चाहती हूँ कि उनको स्वामित्व अधिकार न दिए जाने के क्या कारण है;

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की जो नीति है मेरे पास जो जानकारी थी मैं वह सभा को दे चुका हूं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सीधी सहायता दी जाती है। स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना बनाई हुई है। शुरु में राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है और बाद में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समान आधारों पर बांट लिया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में इस मामले में होने वाले पूरे व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।

अन्दमान जेल का अपना इतिहास है। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अन्दमान जेल में जाने का क्या अर्थ था। अतः योजना के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि पेंशन प्राप्ति के लिए सम्बन्धित व्यक्ति ने पाँच वर्ष के कारावास का कुछ भाग इस अन्दमान जेल में व्यतीत किया हो। माननीय सदस्य के सुझाव पर हम विचार कर रहे हैं।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये लोग आत्म सम्मान वाले व्यक्ति हैं। परन्तु ऐसा कोई तरीका तो होना ही चाहिए जिससे सरकार को उनकी स्थिति के बारे में पता लगे ताकि उनकी सहायता की जा सके। भैलोक्यानाथ चक्रवर्ती के लिए 5000 रुपये हाल में मंजूर किए गए थे और उनसे कोई आवेदन पत्र नहीं मांगा गया था चूंकि हमें पता लग गया था कि वह कठिनाई में हैं।

होस्टल के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नही है। माननीय सदस्य ने कहा है कि 15 से 20 रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। मुझे पता है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस राशि को बढ़ा दिया है। आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : आपकी अनुमति से मैं गोपाल सिंह कौमी सम्बन्धी कागज़ात को सभा पटल पर रखना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको मंत्री महोदय को दे सकती हैं।

श्री समर गुह : (कन्टाइ) : हम अपने शहीदों को सम्मानित करना भूल गए हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय भावना में कमी होती जा रही है। शहीदों के रक्त से ही स्वतन्त्रता को सींचा गया था। क्रान्तिाकरियों के नेता गृह कार्य मंत्री को पहले अनेक बार मिल चुके हैं। उन्होंने कई बार दिल्ली में सम्मेलन किया है और अपनी माँगों के बारे में अनेक अभ्यावेदन भी दिए हैं। देश में तीन प्रकार के स्वतन्त्रता सेनानी हैं। एक तो क्रान्तिकारी हैं जो 1857 से 1947 के बीच हुए दूसरे गांधीवादी और तीसरे आजाद हिन्द फौज के व्यक्ति हैं।

सरकार ने वित्तीय सहायता सम्बन्धी उनकी माँग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। वित्तीय सहायता अथवा पेंशन शब्दों का प्रयोग करना वास्तव में उनका अपमान करना है। इसके स्थान पर हमें 'राष्ट्रीय मानदेय' का शब्द प्रयोग करना चाहिए।

लगभग दो वर्ष पूर्व गृह कार्य मंत्री ने संसद सदस्यों का एक दल अन्दमान भेजा था। ताकि वहाँ के कैदियों की सहायता तथा नेताजी के स्मारक को बनाए रखने सम्बन्धी तरीके सुझाए जा सकें। उन सदस्यों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने क्रान्तिकारियों के मामले में सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए आयु सीमा को बढ़ा दिया था। अनेक स्थानों के नाम बदल कर क्रान्ति-कारियों के नाम पर रख दिए गए हैं।

ऐसा कहा जाता है कि क्रान्तिकारियों की मांग को पूरा करने के लिए उनके पास धन नहीं है। प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जा रही है। यदि सरकार क्रान्तिकारियों की सहायता करना चाहती है तो उनको मानदेय दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। सभी क्रान्ति-कारियों को चाहे वे किसी भी जेल में पाँच वर्ष तक रहे हों मानदेय दिया जाना चाहिए। उनके माता पिता, पत्नियों तथा बच्चों को भी वही सुविधायें दी जानी चाहिए। सरकारी सेवा में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने अथवा 65 वर्ष तक की आयु तक सेवा में बने रहने की सुविधा दी जानी चाहिए। बूढ़े तथा अपंग स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रान्तिकारियों के लिए नेशनल होम बनाना उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधायें देना; आत्म-नियोजन के लिए वित्तीय सहायता; आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को भी यही सुविधायें प्रदान करना; दिल्ली में राष्ट्रीय शहीदों के एक स्मारक का बनाया जाना; भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों की एक समिति गठित करना; नेताजी के अधीन आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखना; अन्दमान सेलुलर जेल का संरक्षय तथा यहाँ पर एक स्मारक बनाना; कालीचरण घोष द्वारा बनाई जाने वाली शहीदों सम्बन्धी डायरेक्टरी का पूरा किया जाना; शहीदों के स्मारक बनाने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध करना; हार्डिग ब्रिज का नाम बदल कर रास बिहारी बोस रखना; ये सब उनकी माँगें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके ज्ञापन का विचार करेगी ?

केन्द्रीय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को राज्य सरकारों पर थोपने का प्रयास किया है। क्या उन लोगों ने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी थीं ? यदि उन्होंने भारत को

आजाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था तो उनकी सहायता करना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है। क्या सरकार क्रान्तिकारियों को मानदेय देने तथा शहीदों का स्मारक बनाने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों तथा क्रान्तिकारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने अनेक सुझाव दिये हैं। हम उन पर विचार करेंगे। मैंने केवल यह कहा था कि योजना के अन्तर्गत आने वाले कुछ मामलों पर विचार करना शेष है। हो सकता है अन्य या कई व्यक्ति हों जो इस योजना के अन्तर्गत न आते हों परन्तु वह सहायता पाने के सुपात्र हों। मैंने यह भी कहा था कि यदि और आवेदन पत्र हमारे पास आते हैं तो हम उन पर विचार करेंगे।

अन्दमान जेल के संरक्षयका सुझाव भी दिया गया है। स्मारक बनवाने का काम निर्माण तथा आवास मंत्रालय का है। मैंने उनसे तथ्य मालूम किये हैं। अन्दमान जेल में कैद भुगतने वाले कैदियों के नामों का एक पट्टा वहाँ पर लगाया गया है। उनके संरक्षय तथा सुन्दर बनाए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमारे पास धन नहीं है। मैंने केवल यह कहा था कि उनकी सहायता करना राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्यों ने इस बारे में पर्याप्त कार्य किया है। आंकड़े इस प्रकार हैं : आसाम 3335, बिहार 393, पंजाब 4060, उड़ीसा 1450, पश्चिम बंगाल 2372, तामिल नाडु 3600, मध्य प्रदेश 350 , राजस्थान 577।

एक सदस्य ने यह सलाह दी है कि इसको देश की अन्य जेलों तक भी बढ़ा दिया जाये। पर इससे आगे बढ़ कर हम उन लोगों के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं जो पुर्तगाल और माण्डले की जेलों में पड़े हैं। इस सम्बंध में हम शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं।

स्वतन्त्रता सेनानियों की एक निर्देशिका बनाने की बात कही गई है। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य सरकारों की मदद से प्रयत्नशील है। वैसे तो यह जिम्मेदारी राज्यों की है। शिक्षा मन्त्रालय ने 1857 के बाद के स्वतन्त्रता सेनानियों का एक परिचय प्रकाशित किया है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इन लोगों को कुछ मानदेय देने का सुझाव दिया गया था। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस पर विचार किया जा सकता है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : It is against the self respect of a freedom-fighter to ask any body for some financial assistance. This is our duty to support them and to give them every possible help. It is not enough for the Central Government to say that is the responsibility of the State Governments. The benefits that we are enjoying these days are purely due to these freedom fighters.

An all party committee should be set up to settle all such cases. The central Government should take the entire responsibility on itself.

It has been said that we are sharing this expenditure. I would like to know as to how much amount has been spent by the central Government on this item.

Shri K. C. Pant : Sir, it has been asked as to how much amount has been spent. I would like to inform the House that for the heirs of 1857 freedom fighters Rs. 12000 has been fixed and for others Rs. 3 lacs. Apart from this, in the third scheme for the persons who were imprisoned in Andaman etc. Rs. 10 lacs has been earmarked.

Suggestion regarding calling a meeting of Chief Ministers can be considered.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या बारासार के हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में, जिसमें 20 आदमियों की हत्या हुई, सरकार कोई वक्तव्य देगी और स्थिति को स्पष्ट करेगी ।

मध्यावधि चुनाव के बारे में

RE. : MID-TERM POLE

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : देश के सभी समाचार पत्रों में मध्यावधि चुनाव का जिक्र किया गया है । तारीख तक भी दी गई है। क्या यह सूचना सही है, कृपया इसे स्पष्ट किया जाये ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इंग्लैन्ड तथा अन्य देशों में यह प्रथा है कि सदन के स्थगित होने से पहले प्रधान मन्त्री सदन के विघटन और चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा करता है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस सम्बंध में सभा के स्थगित होने के पहले ही घोषणा की जानी चाहिए । संसद के सम्मुख यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि चुनाव होंगे ।

श्री सुरेन्दनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : समाचार पत्रों में चुनावों की संभावित तिथि भी दी गई है । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार का इरादा चुनाव करवाने का है तो इसकी घोषणा संसद के स्थगित होने से पहले ही कर देनी चाहिए कि वह कब होंगे जिससे सब दलों के लोग इसी इरादे में यहाँ से जायें ।

श्री स्वनेल सिंह कोठारी (मन्दसौर) : क्या इन चुनावों से मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी आदि की आर्थिक समस्याएं सुलझ जायेंगी ।

श्री मु० कु० तापड़िया (पाली) : ये हल हो जायेंगी क्योंकि तब हमें इस सरकार से छुटकारा मिल जाएगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, it has been reported in the newspapers that the economic condition of the country is very bad and the Government wants to hold elections earlier because the new taxation proposals will not be in the interest of the elections. Secondly they want to bring C.P.I. people in the Ministry, which they could do after elections. I would like to have a clarification about this.

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य ने बात उठाई थी मैं समझता था कि वही काफी है पर अब माननीय सदस्य ने उसे वाद-विवाद का विषय बना दिया है

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : यह वाद-विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। समाचार पत्रों में नित्य प्रति यह प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव होंगे और सभा को भंग किया जाएगा पर इस सबका उत्तर देने के लिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए सदन की नेता यहां नहीं है। इस बात पर गौर किया जाये कि वे अकसर सीधे अपने से संबंधित विषयों पर बहस चलते समय सदन में नहीं रहतीं। सभा को समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों से यह सूचना दी जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको चाहिए आप सरकार से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहें। यदि कोई सिद्धान्त संबंधी घोषणा की जानी है तो उसे संदीय सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आपको मुख्य अचेतक के रूप में काम करके प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बुलाना चाहिए।

श्री बासुदेवा नायर (परिमाड़े) : मुझे श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने मेरे दल के संबंध में जो कुछ कहा है उसका खण्डन करने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उनके नेता बोल चुके हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (गोंडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है तब इस प्रकार के मामले उठाना संसद के स्वतन्त्र कार्य-संचालन में रुकावट डालना है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहती हैं कि हम यहाँ हमेशा बैठे रहें। मैं इसकी जाँज पड़ताल करुंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to say one thing that can there be any way to bring this issue in the House and let the House decide about the mid-term elections.

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है। मैं इस पर विचार करुंगा।

श्री तेचेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : जबकि संसद का सत्र चल रहा है तभी चुनावों के सम्बन्ध में कुछ आभास दिया जाना चाहिए। परन्तु सभा को प्रधान मंत्री द्वारा विशाखापत्तनम के इस्पात कारखाने का शिलान्यास करने से पहले भंग नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : There is very wrong motion in the public about mid-term elections. They think that there is going to be a change in whole set up. Government, therefore, should clarify this issue.

श्री नाथ पाई : (राजापुर) : सभा को भंग करने के सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद 83 और 85 हैं। उन पर गौर किया जाए। जबकि सरकारी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है तब इस बात का निर्णय कि सभा को भंग किया जाए या नहीं सभा को स्वंय करना चाहिए। इस सम्बन्ध में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात समाचार पत्रों में भी उठाई गई है और पृथक पृथक विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किए गए हैं। सही क्या है कोई नहीं जानता। मैं ने स्वयं एक समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा परन्तु उसी समाचार पत्र में प्रधान मंत्री द्वारा इसका खण्डन भी किया बताया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आप उनकी पूरी बात उद्धत नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। आप आज यहाँ हैं, मुझे यह पूर्णतः ज्ञात है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कृपया आप घटिया किस्म का व्यंग्य न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम न था कि आप बुरा मान जाएंगी। मेरा आशय आप को नारज करने का नहीं था। मैं आंपका आदर करता हूं।

इसकी पृष्ठभूमि यह है कि आज सवेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था। मैंने भी यह समाचार देखा था। किन्तु सचिव ने इसके दूसरे पक्ष के बारे में भी मुझे बताया था। मैं यह निश्चय न कर सका कि कौनसा समाचार ठीक है। इसीलिए मैंने इसे विचाराधीन रख लिया था।

जहाँ तक श्री नाथ पाई के सुझाव का सम्बन्ध है, वह संविधान से सम्बद्ध है और मैं संविधान की व्यख्या करने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, लोक सभा के विघटन के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने का विशेषाधिकार प्रधान मन्त्री को प्राप्त होता है।

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान् इस आशय का समाचार कि मध्यावधि निर्वाचन के लिए उच्च स्तर पर निर्णय कर लिया गया है, मैंने भी आज प्रातः देखा था। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी और अब मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि यह समाचार गलत है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम आप से अनुरोध करते हैं कि आप प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रधान मंत्री की ओर से मंत्री महोदय ने स्पष्ट रुप से इस बारे में वक्तव्य दे दिया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 21 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 457 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4554/70]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 24 अक्टूबर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1809 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5458/70]**

(2) जेनेवा में 5 से 23 मई, 1970 तक हुई 23वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4563/70]**

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1797 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1970 में, प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनाँक 24 मई, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 867 में कतिपय संशोधन किए गए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4564/70]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 3 दिसम्बर 1970 को हुई अपनी बैठक में निर्वाचन विधि में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई है और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री लाल के० आडवाणी

(2) श्री नारायण कल्याण कृष्णन्

(3) श्री वी० वी० राजू

(4) श्री त्रिलोकी सिंह

(5) श्री अवधेर प्रसाद सिन्हा

(6) श्री सलवाई सिंह सिसोदिया

(7) श्री महावीर त्यागी

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

१८वाँ और १९वां प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) गृह कार्य मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग—लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण—के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में अठारहवाँ प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति को प्राप्त की हुई शिकायतों/अभ्यावेदनों सम्बन्ध में उन्नीसवाँ प्रतिवेदन।

पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रियाकलाप निवारण) अधिनियम 1970 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1970 के बारे में संविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. WEST BENGAL (PREVENTION OF VIOLENT ACTIVITIES) ACT, 1970 AND WEST BENGAL MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER ACT, 1970

अध्यक्ष महोदय : गत अवसर पर श्री बलराज मधोक जी बोल रहे थे। मध्याह्न अवकाश के पश्चात् वह अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट पश्चात् तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 17 मिन्ट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The lok Sabha re-assembled after Lunch at Senventeen Minutes past Fourteen of the Clock.

(श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए)

Shri Prakash Vir Shastri in the Chair.

श्री समर गुह (कन्टाई) : एक केन्द्रीय मंत्री, श्री परिमल घोष की पत्नी को छूरा घौंपा गया है। इस बारे में हमें बड़ी चिन्ता है और हम तत्सम्बधी नवीनतम जानकारी चाहते हैं।

सभापति महोदय : There are rules for raising such matters in the House. Hon. Members may give notice of it under rules and the Speaker will take a decision thereon.

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, एक ओर तो सरकार पश्चिम बंगाल में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल (हिंसक क्रिया-कलाप निवारण) अधिनियम और पश्चिमी बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम जैसे विधेयक सभा के सामने ला रही हैं, दूसरी ओर वहाँ शान्ति भंग करने वाले तत्वों के साथ बात चीत भी करती रहती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि श्री परिमल घोष की पत्नी पर आक्रमण किया गया और नक्सलवादियों ने कल ही विद्यार्थी परिषद के चार विद्यार्थियों पर आक्रमण किया। वहाँ स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है।

अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए ? जिस प्रकार से प्रधान मंत्री अब वचन दे रहीं है या काम कर रही हैं उस प्रकार से तो यह स्थिति नहीं सुधरेगी। हाल ही में

प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि न केवल नक्सलवादी बल्कि कुछ दक्षिणपंथी दल भी हिंसक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। ऐसा कहकर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे कम महत्व दे रही हैं। 'आर्यव्रत' समाचार पत्र के एक समाचार के अनसार नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गाँव में तैनात की गई पुलिस को श्री दारोगा प्रसाद राय ने इस धमकी के कारण हटाया कि यदि ऐसा न किया तो साम्यवादी दल उसकी सरकार का समर्थन नहीं करेगा ऐसी परिस्थितियों में क्या स्थिति सुधर सकेगी ?

इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला निवेदन यह है कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव कराने से समस्या हल नहीं होगी, जैसा कि साम्यवादियों ने सुझाव दिया है। मैं चुनाव कराने के पक्ष में हूं किन्तु चुनाव से पहले उस स्थिति पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए जो स्थिति निर्वाचन के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान में उत्पन्न हुई। श्री मुजिबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की माँग कर रहे हैं। यदि ऐसी ही माँग पश्चिमी बंगाल के बारे में की गई तो सरकार क्या करेगी। अतः यह सम्भावना विचारणीय है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि पश्चिमी बंगाल की स्थिति सुधारनी है तो वहाँ से वर्तमान राज्यपाल को वापस बुलाना होगा और वहाँ ऐसा राज्पाल नियुक्त करना होगा जो साम्यवादी विचारधारा की ओर झुका हुआ न हो और जो कानून को वहाँ ठीक प्रकार से लागू कर सके। मेरी सभा से यह अपील है कि वर्तमान सरकार को ही बदल दिया जाये, जो ऐसा प्रतिनिधि पश्चिमी बंगाल में नियुक्त करती है। वर्तमान सरकार को हटाने के लिए यदि आवश्यक हो तो संसद का विघटन भी किया जा सकता है किन्तु वर्तमान सरकार को बिना संसद के विघठन के ही हटाया जा सकता है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि जब तक इस सरकार को नहीं हटाया जायेगा तब तक पश्चिमी बंगाल की स्थिति नहीं सुधर सकती।

प्रायः हमें यह बताया जाता है कि बंगाल के युवक यह सब कुछ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पश्चिमी बगाल के युवकों का इतना दोष नहीं है जितना कि उन परिस्थितियों का है जो वहाँ पैदा हो गई हैं और जिनमें उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। युवकों के माता-पिता अध्यापकों तथा मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से सरकार को एक ऐसी मशीनरी बनानी चाहिए जो युवकों की समस्याओं का अध्ययन कर सके, उनका ठीक मार्ग-दर्शन कर सके और उनमें सांस्कृतिक क्रान्ति जगा सके। उन्हें डंडे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्कता है। उनका उपचार इस ढंग से किया जाये कि उनकी नेषधवादी या सर्वखंडनकारी प्रवृति दूर हो जाये। ऐसा कार्य जनतंत्रवादी और राष्ट्रवादी नेता कर सकते हैं, साम्यवादी दल के लोग नहीं। वर्तमान शासक दल भी इसे करने में असमर्थ हैं। मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि पश्चिमी बंगाल में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग शुरू करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जायें जिससे वहाँ बेरोजगारी की समस्या जो लाखों शरणार्थियों के आगमन से और भी अधिक जटिल हो गई है, हल हो सके।

यदि पश्चिमी बंगाल के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिये जायें, उनमें सांस्कृतिक चेतना पैदा कर दी जाये, और साथ ही ऐसे कानूनों को सख्ती से लागू कर दिया जाये तो वहाँ की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उपर्युक्त विधेयकों का समर्थन करता हूँ।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, I strongly oppose the Resolutions under discussion in the House. It is not a question, which concerns only West Bengal, but it is a question of national importance. There is politics in its background. Though I agree with it that West Bengal is to some extent facing the problems of unemployment and development, yet some political parties should not exploit politically and they should not play with integrity, unity and prestige of the country. This issue has become more complicated. One party, whether it is Congress (N) or Congree (O) or Jan Sangh or Communist, cannot tackle this issue. In order to tackle this problem all the parties will have to unite and co-operate. Not only parties but the people of West Bengal also will have to co-operate. Government alone cannot solve this problem. More deployment of the Army or the police will not do. Politics should not be brought in while dealing with this menace. Another point which I would like to make is that the strongholds of those who indulge in violent activities or anti-national activities should be destroyd first. Anybody, irrespective of the fact that he is a son of a Minister or Member of Parliament who indulges in such activities should be rounded up and sent to jail. People, who are treacherous to the country should be dealt with firmly. I am of the opinion that not only police but army too should be utilised for dealing with such anti-national elements.

While concluding I would like to make an appeal to all that it should not be made a question of prestige. All should co-operate in this matter. Simultaneously, the advisors or the administration of West Bengal should be given a time-bound programme to bring normalcy there. If the advisors or the administration fail to bring normalcy in West Bengal in stipulated period, he or they should be removed and other persons should be appointed in their place for trial. Unless they take such drastic steps, they will not be in a position to bring normalcy there. If they want to bring the situation under control they will have to cure the disease just when it has started. It will be in the interest of the nation as a whole to do so.

श्री मति सुचेता कृपालानी (गौन्डा) :अध्यक्ष महोदय मेंने संकल्प प्रस्तुत कर्त्ताओं के भाषण ध्यान से सुने हैं । उन्होंने पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाये हैं । पुलिस के प्रति बड़ा ही रोष तथा घृणा व्यक्त की है । उनकी बातों में सत्य अवश्य है ।

संभवतया पश्चिम बंगाल के जनतांत्रिक अधिवक्ता संघ ने एक प्रतिवेदन जारी किया है जिसमें पुलिस के अत्याचारों की एक लम्बी सूची दी गई है । यदि इसका एक अंश भी ठीक है तो सरकार को ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिये । हमें ज्ञात है कि पुलिस वालों का कार्य कठिन है फिर भी किसी बदले की भावना से उन्हें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

स्त्रियों के शीलभंग, हत्यायें तथा अन्य अत्याचारों पर जो घृणा व्यक्त की गई है, वह वास्तव में उचित ही है । ऐसे अत्याचारों को समाप्त किया जाना चाहिये । इसके लिये सर्वोत्तम उपाय यही है कि हाल ही में जो दो अधिनियम लागू किये गये हें, उन्हें वापस ले लिया जाये । हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने की कार्यवाही आरम्भ में ही की जानी चाहिये थी ।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की आज जो स्थिति है उसका कारण है वहाँ का गृहमत्रांलय मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में होना जिसको प्राप्त करने के लिये उन्होंने बहुत संघर्ष किया था ।

कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है नक्सलवादी अपराधियों का जेलों से मुक्त किया जाना। जेल से छूटने पर इन अपराधियों ने फिर वही उपद्रव मचाने आरम्भ कर दिये और स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं बल्कि हिंसा का खुले आम प्रचार किया गया, पुलिस को पंगु बना दिया गया। समाचार पत्रों में हत्या करने के ढंग बताये गये और ऐसे समाचार पत्रों के प्रकाशन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। अव्यवस्था इतनी फैल गई कि मुख्यमंत्री को अपने ही सचिवालय में कर्मचारियों द्वारा पीटा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि वितरण तथा वर्ग युद्ध के नाम पर हिंसात्मक गतिविधियों को खुली छूट मिल गई। निर्धन किसान जो मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थक नहीं थे वे इस दल के कार्यकर्त्ताओं का शिकार बने। वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री को भूख हड़ताल करनी पड़ी। अनेकों निर्धन किसानों को सताया गया क्योंकि वे दल के कार्यकर्तायों की बात नहीं मानते थे। उनको समर्थन नहीं देते थे। कई कारखानों में बम आदि बनाये जाते रहे, चोरी छुपे बहुत से घातक हथियार पाकिस्तान तथा चीन से आये परन्तु ना ही केन्द्रीय सरकार और न पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके विरुद्ध कोई पग उठाया।

सभी शिक्षा संस्थानों का कार्य रुक गया। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय सभी बन्द हो गये। परिक्षायें स्थगित करनी पड़ीं। शिक्षकों को पीटा गया तथा उनका अपमान किया गया। ग्रंथालय जला दिये गये। पश्चिमी बंगाल को सर्वोंजय समझा जाने वाला प्रेसीडेंसी कालेज भी इस वातावरण से अछूता न रहा।

शिक्षा संस्थानों पर आक्रमण किसलिये किये जाते हैं? ये सभी योजनाबद्ध गतिविधियाँ हैं, क्योंकि वे पूंजीवाद से प्रभावित शिक्षा के मूल को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के चित्रों, स्मारकों को तोड़ फोड़ डाला है। उन्होंने केवल महात्मा गाँधी के स्मारक को ही नहीं तोड़ा है बल्कि विद्यासागर, रामकृष्णपरमहंस, स्वामी विवेकानन्द की मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा है। इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि पूजीवाद समाज तथा शिक्षा का अन्त कर दिया जाय।

अनेकों छात्रों, बच्चों तथा महिलाओं की निर्मम हत्या की गई। किसी ने भी इन की रक्षा का प्रबंध नहीं किया। छात्रवृत्ति पाने वाले एक छात्र की हत्या की गई, कोई भी उसकी रक्षार्थ सामने नहीं आया। आज जो लोग आँसू बहा रहे है इन्होंने पहली हिंसात्मक घटनाओं पर आँसू क्यों नहीं बहाये? उन बच्चों की भी मातायें थीं उनके दुःख में हाथ बंटाने वाले उस समय नहीं थे। इस प्रकार जो लोग आज कानून तथा व्यवस्था के लिये चिल्ला रहे हैं वास्तव में कानून तथा व्यवस्था को भंग करने वाले यही लोग हैं।

उस समय जिस गृहमंत्री ने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने से मना किया था आज वही सुरक्षा की माँग कर रहे हैं। जब लोगों ने सुरक्षा की मांग की, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिये नहीं

भेजी गई। मैं इन सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि इनमें से कितने लोग बिना सुरक्षा का प्रबन्ध किये कलकत्ता जाते हैं।

इन्हीं लोगो ने स्थिति इस सीमा तक पहुंचाई है, वहाँ आज कठोर पग उठाने आवश्यक हो गये हैं। हम ऐसे कठोर पग उठाना नहीं चाहते हैं, हम पुलिस को अत्यधिक अधिकार देना नहीं चाहते। हिंसा में बदले की भावना लिप्त है। यदि हमने जहर बोया है तो हमें फल भी जहरीला मिलेगा। प्रत्येक हिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति अपने बच्चों को निगल जाती है। आज भारतीय साम्यवादी दल तथा भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल में आपस में मारकाट मची हुई है। एक भारतीय साम्यवादी दल के कार्यकर्ता की पत्नी श्रीमती परल बोस की हत्या दूसरा उदाहरण है। अनेकों ऐसी घटनायें दिन प्रतिदिन घटती हैं।

इन वामपन्थी दलों ने आखिर क्या गलती की? माना इन दलों का हिंसा में विश्वास है फिर भी इन्हें पुलिस पर आक्रमण नहीं करना चाहिये था। इन दलों ने योजना बद्ध रूप में पुलिस के प्रति हिंसात्मक कदम उठाये लगभग 300 पुलिस कर्मचारी घायल हो गये और लगभग 30-40 मार गये। समाचार पत्र खोलते ही पुलिस कर्मचारी की हत्या के समाचार पर दृष्टि पड़ती है। पुलिस कर्मचारी कौन हैं? ये गरीब लोग हैं और इन लोगों के लिये कार्य करने वाले दलों को इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिये थी। प्रत्येक क्रान्ति में पुलिस अथवा सेना का हाथ रहता है जहां कहीं भी नेताओं ने पुलिस अथवा सेना को समर्थन प्राप्त किया है वहां पर उन्हें क्रान्ति में अवश्य सफलता मिली है। फ्रांस, रूस तथा चीन में हुई क्रान्तियां इस तथ्य का प्रमाण है। पुलिस की सहायता से ये दल हिंसा लाने में सफल हो सकते थे परन्तु इन्होंने पुलिस पर आक्रमण करके पुलिस को अपना शत्रू बना लिया। हिंसात्मक तथा प्रकृतियों गतिविधियों को रोकने के लिये पुलिस की व्यवस्था की जाती है। पुलिस के पीछे सरकार की शक्ति है और सरकार को सेना की शक्ति प्राप्त है अतः ऐसी आतंकवादी नीतियों द्वारा पुलिस से लड़ना सम्भव नहीं है।

भारतीय पुलिस की क्या परम्परा है। उन्हें जनसेवी संस्थाओं में शिक्षा नहीं दी गयी है, वे दूसरे प्रकार के वातावरण में पले हैं। यदि ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाता है कि पुलिस को हिंसात्मक कार्यवाही करनी पड़े तो निश्चय ही वे स्वच्छन्द रूप से कार्यवाही करेंगे और उनको नियन्त्रण में रखना सम्भव नहीं होगा।

बंगाल की समस्या सम्पूर्ण राष्ट्र की समस्या है अकेले बंगाल की ही नहीं। जो अधिनियम लागू किये गये हैं उनको वापस लेने मात्र से समस्या नहीं सुलझेगी। सरकार का दायित्व है कानून और व्यवस्था बनाये रखना। यदि सरकार अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई उसके लिये पश्चिमबंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की असफल कार्यवाही उत्तरदाई है। पहले तो केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया और अब यह उलझन बन गयी है। यदि पुलिस को रोका जाता है तो पुलिस सरकार से सहयोग नहीं करेगी और आतंक फैलेगा और यदि पुलिस को नहीं रोका जाता है तो सरकार के सहयोगी जिनके समर्थन से सरकार चलाई जा रही उन्हें अपना

सहयोग नहीं देंगे। यही एक उलझन ऐसी है जिसके कारण सरकार इस समस्या के प्रति कोई शीघ्र निर्णय नहीं ले सकी।

इस समय मेरा अनुरोध यह है कि सरकार यह देखे कि पुलिस बदला लेने की भावना से कार्य नहीं करती है। पुलिस को हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिये। हिंसा में विश्वास रखने वालों को इस समय हिंसात्मक गतिविधियाँ छोड़ देनी चाहिये। यदि ये दल जनतान्त्रिक गतिविधियां अपना लें तो बंगाल के युवकों के मस्तिष्कों को परिवर्तित कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है जिससे वातावरण नियंत्रिण में आ जाय क्योंकि जनतान्त्रिक प्रणाली में हिंसा के बल पर क्रान्ति नहीं लाई जाती। उन्हें अपने दृष्टिकोण से ही कार्य करना चाहिये परन्तु जनसंहार के द्वारा नहीं बल्कि जनमन के द्वारा।

आज का बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कसंगत विचार यही है कि हम सबको सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये जिससे कि बंगाल से हिंसा दूर हो सके।

इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि इन अधिनियमों को वापस लेने का अभी उपयुक्त समय नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : बंगाल में हिंसा अव्यवस्था और हत्याओं का बोल वाला है और इसी कारण हम इन अधिनियमो का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति शासन आठ महीने तक लागू रहने के पश्चात भी इन अधिनियमों की आवश्यकता बने रहना शर्म की बात है। इससे वहाँ के प्रशासन की अयोग्यता का पता चलता है, जो वहां की स्थिति नियन्त्रित करने और वहां कानून तथा व्यवस्था कायम रखने में पूर्णतः विफल रहा है। इसलिये वहां के प्रशासन में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसकी शुरूआत वहां के राज्यपाल को हटाकर की जाय, जो स्वयं अपने ही शब्दों के अनुसार प्रशासनिक कार्य करने के लिये अयोग्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कुछ समय पूर्व उन्होने कहा था कि "कानून के अनुभव के बिना उन्हे न्यायाधीश बनाया गया, राजनतिक अनुभव के बिना उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया और प्रशासनिक अनुभव के बिना राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया।

इन दो अधिनियमों के कारण वहां की जनता के मन में सुरक्षा और आशा की भावना उत्पन्न हुई है। श्री ज्योतिबसु ने कहा है कि इन दो अधिनियमो के लागू करने के विरोध मे 8 दिसम्बर 1970 के आयोजित बन्ध द्वारा जनता का आक्रोश व्यक्त हुआ है, परन्तु यह कथन सही नहीं है। बन्ध या हड़ताल करने का निर्णय कुछ उच्च राज-नेताओ द्वारा भयभीत जनता पर लादा गया निर्णय है। बन्द के कारण उत्पन्न भयभीत वातावरण में जनता घर से बाहर नहीं निकली और इससे वेतन भोगी कर्मचारियों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें तो वेतन मिलता रहा परन्तु दैनिक आधार पर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले निर्धन मजदूरों पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इन संकल्पों के प्रस्तावों के आक्रोश को समझ सकता हूं क्योंकि अब मार्क्सवादियों को अलग किया जा रहा है। इन सदस्यों ने सत्र शुरु होने के एक दिन पहले श्रीमती पारुल घोष पर आक्रमण किये जाने पर सरकार की आलोचना की, परन्तु जब उनके पति कुछ महीने पूर्व, जब कि संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी, काशीपुर और अन्य क्षेत्रों में हिंसा भड़का रहे थे, तब ये मौन रहे। परसों श्री के० जी० बोस ने कलकत्ता में कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य सर्वाधिक मात्रा में हत्याओं और हिंसा के शिकार हुये मगर फिर भी नक्सलवादियों को नियंत्रित करने और पश्चिम बंगाल में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित कायम करने में क्यों सहयोग नहीं देते ?

पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रकार की समस्या हैं और उन समस्याओं का समाधान इन अधिनियमों द्वारा नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी और कानून तथा व्यवस्था की समस्या है। बेरोजगारी से निराशा की भावना पैदा होती है इसके परिणाम स्वरूप कानून तथा व्यवस्था भंग होती है। कुछ राजनैतिक दलों का स्वार्थ इसी में निहित है कि कानून और व्यवस्था का स्थिति भंग हो और हिंसा से पारपूर्ण वातावरण हो।

सारे देश में कुल रोजगार व्यक्तियों में से लगभग 15 प्रतिशत बेरोजगार व्यक्ति पश्चिम बंगाल में है। 1967 में जब कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई उसके बाद से वहां बेरोजगारी में निस्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में निम्न-लिखित प्रकार से वृद्धि हुई है स्नातक पूर्व-07 प्रतिशत, स्नातक-07 प्रतिशत स्नातक, इंजीनियर 92 प्रतिशत और चिकित्सक स्नातक-104 प्रतिशत।

हमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें रोजगार के अधिक अवसर हों। कानून और व्यवस्था को किये बिना ऐसा होना, असम्भव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक सख्त कानून बनाने और अधिक अच्छे प्रशासन की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल के लिये संसद द्वारा स्वीकृत विकास कार्य क्रम का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया ? रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये जो थोड़ा बहुत किया जा सकता था, वह भी सरकार ने नहीं किया।

भारत के औद्योगिक मानचित्र में अपने बन्दरगाह, जूट और चाय के कारण पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण स्थिति है। बन्दरगाह को गहरा न किये जाने की वजह से बड़े जहाज कल-कत्ता के निकट तट तक नहीं आ सकते। पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्द्धा और विदेशों में जूट का स्थान नकली रेशे द्वारा ले लिये जाने के कारण विदेशों में जूट बिक्री में कमी होने की आशंका है। चाय के क्षेत्र में भी कड़ी प्रतियोगिता के कारण बिक्री कम होने की आशंका है। अतः पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार करने के लिये सभी राजनैतिक दलों को संगठित होकर विचार करना चाहिये।

श्री रा० धो० भण्डारे : पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा उससे प्रत्येक भारतीय की आत्मा को आघात पहुंचेगा, परन्तु मुझे सर्वाधिक आश्चर्य दोनों प्रस्तावकों के भाषणों को सुनकर

हुआ । अगर वे इस पर दलीय दृष्टि के स्थान पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करते तो मैं अवश्य सोचता कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल की समस्या का मूल कारण क्या है । संयुक्त मोर्चा सरकार जब सत्ता में आई तो माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग करने के लिये विचित्र तरीका अपनाया । मुख्य मन्त्री तक को कहना पड़ा कि वह एक बर्बर सरकार के मुख्य मन्त्री हैं । इसका कारण यह है कि माक्सवादी दल ने अपने हाथों में राजनैतिक सत्ता केन्द्रित करने का भरपूर प्रयत्न प्रयास किया । इसी कारण तत्कालीन गृहमन्त्री और उप मुख्य मन्त्री श्री ज्योति-बसु ने पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की ।

इन दो माननीय सदस्यों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, तो सुधारात्मक उपाय क्यों नहीं किये ? भूमि सुधार नीति को क्यों लागू नहीं किया और बेरोजगारी समस्या को हल क्यों नहीं किया गया ? गुण्डा तत्वों को काबू में करने के स्थान पर उन्होंने अपने शासन-काल में नवयुवकों को कानून और व्यवस्था भंग करने की शिक्षा देने वाले केंद्रों की स्थापना की । राष्ट्रपति शासन होने पर उन्होंने दूसरी कार्यप्रणाली को अपनाया और पुलिस पर ही आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया ।

अब ये इन दो अधिनियमों का विरोध करने पर तुले हुये हैं और उनका निरसन कराना चाहते हैं । अब वे अन्य राजनैतिक दलों, पुलिस और केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति के लिये दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस प्रकार की स्थिति के लिये वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं । (व्यवधान)

यह आश्चर्यजनक बात है कि तत्कालीन गृह मंत्री और पार्टी के नेता श्री ज्योति बसु ने पुलिस में पार्टी के सदस्यों को भर्ती शुरु कर दी जिससे कि वे सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकें ।

ये सदस्य अपनी अवांछनीय गतिविधियों को जारी रखने के लिये जनता का ध्यान अन्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं । जो व्यक्ति जनता का और देश का कल्याण चाहते हैं, जिनकी लोकतन्त्र में आस्था है उन्हें पश्चिम बंगाल से सीख लेनी चाहिये । अव्यवस्था पैदा करने वाले इन व्यक्तियों की हमें उपेक्षा कर देनी चाहिये, तभी ये लोग होश में आयेंगे ।

केन्द्रीय सरकार से भी मेरा यह अनुरोध है कि अगर वह समझती है कि यदि राज्यपाल अराजकता के लिये अंशमात्र भी जिम्मेदार हैं, तो उन्हें उस राज्य से स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री रणधीर सिंह की इस माँग का समर्थन करता हू कि राज्यपाल को वापस बुलाया जाय और इन अधिनियमों को अभी लागू रखा जाय ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : सभा पटल पर रखे गये अधिनियमों का मैं पूर्णता विरोधी हूं। अपने जन्म दिन पर प्रधान मंत्री ने, सिंडीकेट, जनसंघ तथा अन्य ऐसे दलों के सहयोग से, जिन को पश्चिम बंगाल में कोई पूछता नहीं है, पश्चिम बंगाल परामर्श दात्री समिति द्वारा इस उग्र विधायन को अनुमोदित कराया तथा जन्म दिन के उपलक्ष में वहां के लोगों को यह तोहफा दिया।

मुझे प्रथम संसद के वे दिन याद हैं जब निवारक निरोधक अधिनियम पर विचार हो रहा था। उस समय गृह मंत्री डा० काटजू ने निवारक निरोधक के संबंध में श्री राजगोपालाचारी के विचार बताये थे कि यह विधान बहुत कुत्सित था। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ युद्ध की घोषणा करी है।

तर्क यह दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल एक अशान्त क्षेत्र है और नकसलवादी वहां पर ज्यादतियां कर रहे हैं। इस सरकार ने राजनितिज्ञता का पूरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार की राजनीतिज्ञता का उदाहरण यह है कि भूखमरी एवं आक्रोश की जो लहर न केवल बंगाल में अपील सारे देश में फैल रही है। उसे रोकने के लिये यह सरकार दमन का सहारा लेने जा रही है। यह राजनैतिक दिवालियेपन का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में अपने ही देश के विक्षुब्ध लोगों के साथ बातचीत करने ने स्थान पर सरकार उन्हें डराना धमकाना चाहती है।

सरकार द्वारा इस विधेयक को लाने का कारण यह है कि दिसम्बर तथा जनवरी मास फसलों की कटाई के मास हैं फसलों की कटाई के अवसर पर पिछले साल किसानों ने लगभग 10 लाख बीघा भूमि पर अधिकार कर लिया था। सरकार ने जोतदारों को उस भूमि का लाभ दिलवाने के विचार से यह कदम उठाया है।

चारों ओर यह सन्देह व्याप्त है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस हिंसा को बढ़ावा देती रही है जिससे सरकार को दमन का सहारा लेने के लिये उचित समर्थन प्राप्त हो सके। मैं यह सब कलकत्ता तथा उसके आस पास के क्षेत्र के दौरे के फलस्वरूप प्राप्त हुये प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कह रहा हूं।

कलकत्ता के बेलियाघाट क्षेत्र में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की इमारत में रहने वाले 556 परिवारों को पुलिस ने 19 नवम्बर की रात्रि को तंग किया उनमें से कुछ युवकों को अपने साथ ले गई एवं चार युवकों को उनके हाथ पीछे बाँध कर गोली दाग दी गई। इसी प्रकार उत्तरी कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में से जिसमें बड़े बड़े भूतपूर्व सरकारी अधिकारी रहते हैं। सन्देह के आधार पर एक जवान व्यक्ति को पकड़ कर गोली मार दी गई। इसी प्रकार की कई अन्य घटनायें हें।

शायद बहुत से व्यक्ति इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे परन्तु यह सब मैं नहीं कह रहा अपितु इसी प्रकार की बातें 5 दिसम्बर 1970 के बम्बई के हकनायिक "एंड पोलिटिकल' साप्ताहिक में छपी हैं। इसके अनुसार हाल ही में बरसांहट में हुए नर कत्लों के लिये भी पुलिस पर सन्देह बनता है।

चुन चुन कर पुलिस युवको को पकड़ कर थाने ले जाती है और उसके पश्चात कोई खबर नहीं लगती। उसके पश्चात न तो किसी थाने अथवा अस्पताल से या किसी स्थान से उनके संबंध में सूचना नहीं मिलती कि वह जिन्दा या मर चुका है। इस प्रकार की बातें सारे पश्चिम बंगाल में हो रही हैं।

यह सब समूची जनता पर आक्रमण है न केवल इसके किसी विशेष भाग पर। जेलों के भीतर दमन, जेलों के भीतर भूख हड़तालें हुई, शिष्टमंडल के रूप में माता-पिता राज्यपाल के पास गये। परन्तु कोई परिणाम नहीं।

इस संबंध में हमें तीन तरफा नीति का अनुसरण करना चाहिये। नक्सलवादी विचारधारा जैसे लोग जिस पथ पर चल रहे हैं हम उन्हें मनाकर उससे हटायें। उसके साथ ही पुलिस का आँतक एवं प्रतिहिंसा एक दम रुकनी चाहिये तथा अन्तः दलीय हिसा एवं राजनैतिक हत्याओं के विरुद्ध जनमत बनना चाहिये।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो यह बताते हैं कि सी० आई० ए० जैसे संगठन हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। इसका संकेत देने वाले एक प्रतिवेदन की एक प्रति हमने प्रधान मंत्री को भी दी है।

ये दो अधिनियम भयभीत करने वाले हैं। निवारक नजरबन्दी अधिनियम जमाखोरों और चोरबाजरी करने वालों के लिए नहीं है। समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। कायवाही की जा रही है विचारधाराओं के विरुद्ध। इस अधिनियम में तोड़फोड़ की कार्यवाही की परिभाषा यह की गई है कि जो जन सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरनाक हो, वह 'तोड़फोड़ कार्यवाही' है। किन्तु उसमें पुलिस के बारे में कोई भी लल्लेख नहीं है।

प्रधान मंत्री समय-समय पर प्रगति की दिशा में पग उठाती हैं किन्तु उन्हें जनता में यह विश्वास पैदा करना होगा कि वह समाजवादी समाज की स्थापना के प्रति गम्भीर हैं। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत में ऐसी क्रान्ति आयोग के प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण मात्र से ही सम्भव न होगी। यह तभी सम्भव होगी जबकि श्रमिकों और उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा। आज देश के युवकों में यह जागृति है। वे या तो समान अवसर चाहते हैं या फिर मर मिटना चाहते हैं। देश में युवकों को ठीक दशा-निर्देश मिलना चाहिए। यह समस्या बन्दूकों तथा गोलियों से हल नहीं होगी। इसके समाधान के लिए युवकों की शक्ति को सृजनात्मकता की ओर मोड़ना होगा। जो लोग भारतीय जीवन की प्रगति में रुचि लेते हैं क्या वे सभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, जिससे यह समस्या बिना ऐसे विधेयक लाये ही सुलझाई जा सके :

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): In pre-independence days the Rowlatt Act was enacted and all Indians opposed it. It is a matter to regret that an act which is akin to the Rowlatt Act in letter and spirit is being enacted in free India. We should be ashamed of it. The Bill, if passed, will further empower the Police, though they already have sufficient power

to deal with such violent activities. By having passed these two Bills Government want to turn West Bengal into Jalianwala Bagh. West Bengal is being made target of bullet. But West Bengal will not tolerate it. All the people of West Bengal will oppose it tooth and nail.

A delegation of some Members of Parliament including myself recently visited West Bengal to study the situation there. We came to the conclusion that Police is creating organised terror and violence in West Bengal instead of putting a check on police activities the Government are going to invest the Police with more powers. On the basis of there Acts Police will have absolute powers. I can quote a number of instances in which Police committed violence and harassed the public Government rules shelter under the plea that Prevention of Violent Activities Act has been brought to check violence. But the Government has nothing to substantiate its stand. With these words, I oppose these two Bills.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : सभा के सामने जो प्रस्ताव हैं, मैं उनका विरोध करता हूं । पश्चिमी बंगाल में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री परिमल घोष के पुत्र और पत्नी को छूरा घोंपा गया । मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा में ही दो सिपाही मारे गये तथा 3 घायल हुए । पश्चिमी बंगाल के एक प्रमुख समाचार पत्र में छपे एक समाचार के अनुसार वहाँ हथियारों और बम्बों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। एक अन्य समाचार पत्र में नेता जी सुभाष सामाजिक अध्ययन संस्थान के निर्देशक लिखा था कि यदि गम्भीर प्रयत्न न किये गये तो पश्चिमी बंगाल में सामान्य प्रशासन ध्वस्त हो जागया वहाँ कुछ भागों में तो गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है । कुछ लोग अपनी बात सब पर थोपना चाहते हैं । वहाँ जनसाधारण में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई हैं । संविद की सरकार के शासन में यह वातावरण पैदा हुआ और अब उनका लाभ नक्सलवादी उठा रहे हैं । मार्क्सवादी साम्यवादी दल के महासचिव श्री पी० सुदरय्या ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में काश्तकारों और भूमिधारों में बहुत बड़ा संघर्ष होगा । फार्डवर्ड ब्लाक के सचिव का विश्वास है कि समाजवाद संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से नहीं लाया जा सकता बल्कि उसका एक मात्र उपाय खूनी क्रान्ति है । यदि भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल और फार्डवर्ड ब्लाक हिंसा को त्यागने की शपथ जनता के सामने उठा लें, तो नक्सलवादी समस्या की चुनौति का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है ।

पंश्चिमी बंगाल में शान्ति तथा विधि और व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए । अन्यथा पश्चिमी बंगाल पूर्णतः नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । कुछ लोग पृथकता की माँग कर सकते है किन्तु हम यह नहीं चाहते कि पश्चिमी बंगाल भारत से अलग हो । हम चाहते हैं कि पूरे देश में शान्ति-पूर्ण सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते हैं । हम महात्मा गाँधी का अनुसरण कर रहे हैं। अहिंसा के माध्यम से ही हिंसा को जीता जा सकता है । मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ मिल अहिंसा को अपनाकर हिंसा को जीतने में सहायक बनें ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, पश्चिमी बंगाल के लोगों के मन में नक्सलवादियों तथा मार्क्सवादी उग्रवादियों के प्रति घृणा है । किन्तु अब वहाँ पुलिस के अत्याचारों से कारण लोगों में आतंक छाया हुआ है । लोग पुलिस के विरुद्ध आन्दोलन रने तक के लिए तैयार हैं ।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि देखते ही गोली मार देने की नीति, तथा दंडात्मक उपायों से समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे तो समस्या और अधिक उलझेगी, और ऐसी स्थिति अतिवादी तत्वों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यह मानते हुए भी कि पुलिस के अत्याचार बढ़े है, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुलिस की ज्यादतियाँ करने का प्रोत्साहन किसने दिया ? हमारी केन्द्रीय सरकार की नीति भी इस सम्बन्ध में ठीक नहीं रही है।

पश्चिमी बंगाल में जो लूट, मार-धाड़ और अराजकता का वातावरण बन गया है वह दो विचारधाराओं में संघर्ष का परिणाम है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना तथा विप्लवी हिंसक तरीकों से एक दलवादी साम्यवादी की स्थापना के बीच संघर्ष है।

इस पृष्ठभूमि के पश्चात् में विषय पर आते हुए यह सीधा प्रश्न पूछता हूं कि क्या श्री ज्योतिबसु, ने जो संविद सरकार में गृह मंत्री थे, निवारक निरोध अधिनियम का समर्थन नहीं किया था। क्या उन्होंने 375 अधिनियम के अन्तर्गत 3500 लोगों को बन्दी नहीं बनाये रखा था। यदि वह इस अधिनियम को अमानवीय समझते थे तो उस समय उन्होंने इस कानून को समाप्त क्यों नहीं किया था ? वह स्वयं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से घिरे हुए क्यों चला करते थे।

शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया कि वह प्रतिशत परीक्षाएं शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई हैं। किन्तु पक्का श्रेय सरकार या पुलिस को नहीं जाता, बल्कि उन नागरिक समितियाँ को जाना है, जिन्होंने नक्सलवादियों का मूकाबला करने का दृढ निश्चय किया था तथा परीक्षार्थियों की उनसे रक्षा की थी। वस्तुतः नक्सलवादियो से खतरा अधिक नहीं है क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि उनका प्रशिक्षण-कार्य और भर्ती का काम आगे न बढ़ा तो वे स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे।

यदि मेरे मार्क्सवादी मित्र जनतंत्र में विश्वास करते हे तो उन्होंने पुलिस में प्रवेश क्यों किया ? उन्होंने पश्चिम बंग कर्मचारी संघ नामक संगठन पुलिस के विरोध के लिए क्यों खड़ा किया ? ये और ऐसे ही अन्य लोग वहाँ अराजकता की समस्या पैदा कर रहे हैं। वस्तुतः इस समस्या के समाधान के लिए उन सब लोगों को जो अपने आपको जनतंत्रवादी समाजवादी और राष्ट्रवादी कहते हैं, एक हो जाना चाहिए और 375 नागरिक समितियों को सहयोग देकर उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही सामाजिक-आर्थिक समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए। कलकत्ता की गन्दी बस्तियों की समस्या हल की जानी चाहिए और निराश शरणार्थियों अथवा युवकों की समस्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन्हीं बस्तियों से तथा ऐसे लोगों में से ही असामाजिक तत्व अधिक बनते हैं।

मैं निवारक निरोध अधिनियम का दो कारणों से समर्थन करता हूँ। पहला यह कि जो लोग अपराध करने के अभ्यस्त हो चुके हैं या जो पेशेवर अपराधी हैं, और जो नक्सलवादियों में मिल जाते हैं, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे इसके माध्यम

से उन लोगों को नक्सलवादियों के चंगुल से निकलना चाहते हैं। अन्त में मैं प्रधान मंत्री तथा संसद सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वह कलकत्ता में जाकर 'बंगाल बचाओ दिन' मनायें। ऐसे आह्वान पर लाखों लोग उनका साथ देंगे। वहां पर परेड, जुलूस निकाले जायें और वहाँ के लोगों से यह अपील की जानी चाहिए कि वे हिंसा का त्याग करें और प्रतिवादी तत्वों का विरोध करने का साहस करें। इसी प्रकार से यह अभिशाप दूर हो सकेगा।

Shari Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): Wide-spread violance in West Bengal is attributed to the bad economic conditions, growing unemployments and exploitation by big capitalists. Few will disagree with that. But it is also equally correct that in other parts of the country the economic conditions of the people is as bad or even worse the whole question is whether violence economic backwardness and ending exploitations should be ended by violent methods or by constitutional methods. I hope that all the hon. Member will agree that so long as we had a constitutionally formed Government in the country, all reforms or changes should be brought about by constitutional methods.

Besids, if these acts of violence are attributed to bad economic conditions, unemployment etc. what is the justification of disfiguring the statues of our greatmen like Ihswar Chandra Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Ravindra Nath Tagore and others ? Are they responsible for all the present state of affairs ? Therefore, these appear to be certain ulterior motives behind these activities.

During the period of United Front Government in West Bengal, shuch cases of violence also took place. But during the discussions on these matters in the House some of my friends tried to justify the act of those persons who resorted to violence. At that time, the United Front Government did not even bother to interfere in such activities

We are well aware of the way in which Sen brothers were killed. A mob consisting of 500 to 700 persons marched to the residence of Sen brothers with slogans purposing to kill them because they were land-owners. The police as well as the Magistriate were there but they were of no avail. The Government could acquire surplus land from the land-owners in a constitutional manner. A ceiling can be imposed on land and land reform laws can be amended. But actually the Government do not appear to be interested in this and they themselves want to creat a situation of violence in which gheraos are ressorted to and land-owners are killed.

Atrocities of police are severely criticised in the House but we should realise that the poor policemen are also subjected to atrocitites. They came from the poor families and are killed in numbers by these anti-national elements. This should also be equally condemned.

I am constraned to say that even during the period of eight months of President's Rule in that State, the Government could not succeed in controlling the violence. The administrations has been complete failure in this regard. Almost all political parties in the House have demanded that the Governor of West Bengal should be recalled. In this centext I want to know from this Government as to what prevents them from calling him back.

I do not agree with those friends who are against this legislation. My suggestion is that, if necessary, even more effective and stringent steps, should be taken by the Government

to quell the violence and lawlessness. This kind of violence can only be met with violence. Therefore, Government should take recource to power and make stringent laws to check these anti-social and anti-constitutional elements. Have the Government even thought from where the money and weapons are being supplied to these elements and how bombs in such a large number are being manufactured in the country? Time and again fear has been expassed that of foreign impliends are at work, but the Government have never made the situation clear. I would like warn the Government that if such kind of foreign influence is allowed in the country it would affect us adversly and several states would lose their constitutional set-up.

श्री नन्द कुमार साल्वे (बेतुल) : सभापति महोदय ? इस वाद विवाद में पश्चिम बंगाल में व्याप्त हिंसा और मार काट की मायावी स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परम हंस और विवेकानन्द की पद पुनीत भूमि ही पर निरीह मानवों के रक्त की प्यासी हो उठी है। इस स्थिति पर विचार करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बनाए गए कानून पर भी विचार दिया जाये।

महोदय ! पश्चिम बंगाल (हिंसक गति विधियों का निरोध) अधिनियम की तीव्र आलोचना की गई है। श्रीं हींना मुखर्जी ने अपने प्रभावशाली भाषण में इस कानून को बराबर बताया है। किन्तु उचित यह होता है कि वह इस कानून की किसी धारा का उल्लेख करते तथा सिद्ध करते कि उसमें प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। केवल इतना कह कर सन्तोष कर लेना कि इस कानून के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह तर्क संगत नहीं है। हमें यह भीं नहीं भूलना चाहिए कि इसमें अन्तगत अपील करने की व्यवस्था भी है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को कानून के अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।

कानून की मुख्य विशेषताओं के विषय में सदन में बहुत कार्य प्रकाश डाला गया है। अतः मैं इस संबंध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

इस कानून में नक्सलवादियों और उग्र पन्थियों को जिनकी गतिविधियां समाज विरोधी हैं तथा जिनसे राज्य की कानून व्यवस्था को खतरा है, नजरबन्द करने की व्यवस्था की गई है। धारा 2 (क) से (ङ) में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इनमें से अधिकतर कार्यों को देश की वर्तमान कानून व्यवस्था के अन्तर्गत अत्यन्त हिंसात्मक अपराध माना गया है। इस कानून के अन्तर्गत कुछ अन्य कार्यों को भी इनमें सम्मिलित किया गया है इसकी धारा 2 (ग) के अन्तर्गत इस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जा सकता है जो भारत के राष्ट्रीय झंडे का किसी रूप में अपमान करता है, उसे जलाता है या उसको नष्ट करता है, आदि तथा किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त वस्तु का अपमान करता है अथवा किसी कवि को ऐसा करने के लिए उत्तेजित करता है।

इस कानून का एक दूसरा पहलू भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। हिरासत में लेने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा ही दिए जा सकते हैं। इस समय पश्चिम बंगाल का प्रशासन केन्द्र के क्षेत्रों में है। अतः केन्द्र सरकार इस प्रकार के आदेश दे सकती है। इस संदर्भ में यह आशंका की जा सकती है कि इस कार्य में राजनीतिक उद्देश्य काम कर सकते हैं। किन्तु इस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि नजरबन्दी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर द्वारा दिए जाएगें। इन्हीं अधिकारियों को अन्य कानूनों के अन्तर्गत इसी प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त नजरबन्दी की पाँच दिन की अवधि के अन्तर्गत इसके कारणों को भी बताना पड़ेगा। तथा 12 दिन की अवधि में इन आदेशों को सरकार से अनुमोदित कराना होगा। दिए गए आधारो की सलाहकार बोर्ड जाँच करेगा तथा वही निश्चित करेगा कि क्या यह आधार वैध थे अथवा नहीं। इस सलाह कार बोर्ड का गठन तथा इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस बोर्ड में तीन व्यक्ति होंगे जो या तो न्यायाधीश होंगे या कभी न्यायाधीश रहे होंगे अथवा उन्हें न्ययाधीश के योग्य समझा गया होगा। इस स्वतन्त्र बोर्ड के समक्ष नजरबन्दी के आधारों के प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि यह बोर्ड नजरबन्द किए व्यक्ति की शिकायतें सुनने के बाद भी उसके विरुद्ध जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशों को वैध पाता है तो वे आदेश लागू रहेंगे और यदि उन्हें अवैध पाता है तो सरकार को सम्बद्ध व्यक्ति को तुरन्त रिहा करना पडेगा।

इन बातों को देखते हुए यह आरोप लगाना कि कानून दोषपूर्ण है, उचित नहीं है।र्ड इस सम्बन्ध में उच्चतम अधिकार तो सलाहकार बोर्ड के ही हाथों में है। और यदि बो स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करता है तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंकाएं रखना निराधार है। पश्चिम बंगाल की स्थिति देखते हुए इस कानून के द्वारा सामान्य कानूनी प्रक्रिया को सरल तथा छोटा किया गया है।

श्री मुकजी ने इस कानून के विरोध में वहुत कठोर शब्द प्रयोग किए हैं किन्तु मैं समझता हूं कि उन्होने केवल अतिशयोक्ति पूर्ण बातें ही कही हैं। वस्तुतः सलाहकार बोर्ड ही इस सम्बन्ध में सर्वोच्च प्राधिकरण है जो इस बात का निर्णय करेगा कि नजरबन्दी के आदेश वैध हैं अथवा नहीं।

पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहाँ भारी खून-खराबी हो रही है। मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि कानून न लाया जाता तो वहाँ हिंसात्मक गति-विधियाँ और भी जोर पकड़ जाती। वहाँ कीं संकटपूर्ण तथा असाधारण स्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से ही यत कानून लाया गया है। तथा यदि आप वास्तव में वहाँ के व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं तो आप को इस कानून में कोई दोष नही मिलेगा।

मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि जब भी प्रजातन्त्र प्रणाली में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हो तो दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए। हम नागरिकों

के अधिकारों के लिए हमेशा लड़े हैं किन्तु ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं जब नागरिकों के कुछ अधिकारों को उनसे छीनना भी पड़ता है और इस स्थिति में यह नहीं किया गया तो पश्चिम बंगाल द्वारा देश की प्रजातन्त्र प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाएगी।

श्री कृष्ण मैनन (मिदनापुर) : सभापति महोदय ! पचास वर्ष पूर्व सम्भवत इसी सदन में भारत के महान राष्ट्रवादी नेताओं ने रौलट विधेयक का विरोध किया था। आज उसी की पुनारावृत्ति हो रही है। केवल अन्तर इतना है कि रोलट विधेयक को लाने वाले पुलिस राज्य के प्रतिनिधि थे और आज देश के उस भाग में पुलिस का राज्य है। रौलट एक्ट के उपबन्ध हमारे देश की दण्ड संहिता में सम्मिलित कर लिए गए हैं तथा वे हम पर भी लागू हैं।

संसद के समक्ष इन दोनों कानूनों का में विरोध करता हूं। मैं इस में विस्तार में तो नहीं जाना चाहता किन्तु इतना समझता हूं कि इन कानूनों के अन्तर्गत एक ओर तो निवारक निरोध की व्यवस्था है तथा दूसरी ओर शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग करने की व्यवस्था है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता कि उसने कोई अपराध किया है अथवा उसका कोई अपराध सिद्ध हो गया हैं वरन उसको केवल इसलिए हिरासत में लिया जाता है कि कोई अन्य व्यक्ति समझता है कि वह अपराध करेगा। किसी व्यक्ति की मन: स्थिति का निर्णय न्यायालय में होना चाहिए किन्तु इस कानून के अन्तर्गत वह व्यक्ति इस अधिकार से वाँछित रह जाता है जो उसे संविधान के अन्तर्गत मिला है। दुर्भाग्य से संविधान में भी इस प्रकार कानून बनाने की व्यवस्था है।

मेरे विचार से अपराधिक कानून (संसोधन) विधेयक इसी सत्र में या अगले सत्र में संसद के समक्ष आ रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायपालिका को कार्य पालिका से पृथक करना है इंडियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना के समय से ही यह सामान्य भावना रही हैं कि कार्यपालिका में भी उन्हीं व्यक्तियों के रहने से जो न्यायपालिका में भी हो देश की जनता को अपनी सुविधा और अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। क्योकि जनता को दोनों ही स्थानों पर उन्हीं व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए विधि आयोग इस बात के लिए धन्यवाद का अधिकारी है जिसकी सिफारिशों के अनुसार न्यायपालिका को शासनतंत्र से अलग रखने का विधान पेश किया गया।

यदि इन कानूनों पर विचार किया जाए तो आपको विदित होगा कि कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी टाउन में पुलिस आयुक्त किसी भी व्यक्ति को पकड़वा कर जेल में डाल सकता है। अन्य क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इन विधेयकों पर खण्डवार विचार करने पर यह दिखाया जा सकता है कि वे संविधान का उल्लंघन नहीं करते क्योंकि हमारे मे सभी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है। रोलट कानून और विधेयकों में अन्तर यही है कि रोलट कानून पर जहाँ विचार विमर्श किया गया था वह ससद आज की संसद के अनुरूप नहीं थी। किन्तु आज यह मामला सलाहकार समिति नामक पर्षद में निर्णीत किया जाता है। जिसकी महत्ता है तथा जिसकी आमतौर पर आलोचना नहीं की जा सकती।

किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के पश्चात आप क्या करेंगे ? अब किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसका अपराध क्या है । पुलिस को पाँच दिन की पर्याप्त अवधि मिल जाती है जिसमें वह उसके विरुद्ध कोई भी अपराध घड़ सकती है । यह ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत जनता को अपने अधिकारों से वंचित किया जा सकता है । जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय अधिकारों का भारी समर्थन किया है । क्या उसी देश में उन्ही मानव अधिकारों का यह नितांत उलघंन नहीं है ।

संविधान के अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत जेल जाने वाले व्यक्तियों को कानूनी सहायता से भी यह विधेयक वंचित करता है । जब आप किसी व्यति को को कानूनी दृष्टि से अपनी सुरक्षा करने से वंचित करते तो उसके साथ आप अन्याय करते हैं । प्रश्न यह है कि क्या इस कानून की सहायता से पश्चिम बंगाल की स्थिति में सामान्यता लाई जाएगी अथवा उसको और भी विकृत किया जाएगा । इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि पश्चिम गाल की जनता इस कानून के पक्ष में नहीं में । रौलाट एक्ट के समय सम्पूर्ण देश ने हड़ताल की थी और आज भी पश्चिम बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में वही स्थिति हैं । यदि संसद में कुछ व्यक्ति इस का समर्थन करते हैं तो उस समर्थन का कोई विशेष मूल्य नहीं है ।

महोदय ! मेरा निवेदन है कि हिसा से हिसा को नहीं जीता जा सकता । हिसा हिसा ही है चाहे वह पुलिस द्वारा किया जाये अथवा जनता द्वारा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को किसी व्यक्ति को दण्ड देने का कोई अधिकार नहीं है यह अधिकार केवल न्याय-धीश का ही है । किन्तु हमारे देश में पुलिस स्वयं दण्ड देती है तथा अपनी लाठी से किसी का भी सर फोड़ सकती है । सरकारी अधिकारियों के हाथ में इतनी अधिक शक्ति देने से अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में वे आशंका कर सकते हैं कि वह कुछ गलत कार्य करना चाहता है । मैं अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि युद्ध से कुछ समय पूर्व जापान में यह सिद्धान्त बनाया था कि खतरनाक विचार धारा को दबा दिया जाये । हमारे यहां भी बिचारधारा को दण्डित करने का विचार उत्पन्न हो गया है और विचार स्वतन्त्रता का खण्डन किया गया है ।

बताया गया है कि लोगों के अधिकारों की बोर्ड द्वारा सुरक्षा की जायगी जिसमें तीन योग्य न्यायधीश होंगे । न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि न्याय सुनाने की प्रक्रिया सार्वजनिक से होनी चाहिए । कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़ कर निर्णय सभीं व्यक्ति सुन सकते हैं । यह प्रक्रिया बोर्ड के जजों द्वारा भी निभाई जानी चाहिए । तथा उन्हे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें न्याय ही करना हैं । साथ ही न्याय ऐसा किया जाना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों को अनुभव हो कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है । इस बात पर भी प्रकाश पड़ना चाहिए कि यदि तीनों व्यक्ति किसी बात में एक मत नहीं होते तो उस स्थिति में क्या होगा ।

यह विधेयक दूसरे प्रकार से भी संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है । किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके दण्डित किया जाता है तथा 12 महीने के बाद उसे रिहा किया जा सकता हैं किन्तु पुलिस उसे दुबारा भी पकड़ सकती हैं ।

कानूनी अपराधों की संख्या में वद्धि संबंधी भी एक पहलू उल्लेखनीय है दक्षिण अफीका के एक न्यायधीश ने एक बार कहा था कि चहाँ कानूनी अपराधों की संख्या इतनी बढ़ गई हैं कि किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य करना अपराध से अन्तर्गत आ जाता हैं इस कानून के लागू होने पर सामान्य रूप से किये जाने वाले कार्य भीं अपराध बन जायेंगे । कानूनी अपराधो मे वृद्धि करने से पुलिस राज्य की नीव पड़ती हैं और सरकारी व्यक्तियों के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति देने से शक्ति का दुरुपयोग होता हैं । यह तथ्य सदा सदा के लिए तथ्य हीं हैं पश्चिम बंगाल की जनता को इस कानून का अनुभव हो चुका है । यह सच है कि पश्चिम बगाल में नक्सलवादी हर प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियाँ चला रहे है , वहां दलगत लड़ाई चल रही हैं तथा अन्य बुराइयाँ पनप गई हैं । किन्तु प्रश्न कई है कि क्या आप किसीं गलत उपाय से बुराइयों को दूर कर सकते हैं । नक्सलवादियों का पक्ष नहीं ले रहा हुं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कदम उठाया जाये उस पर आर्थिक , सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए तथा वह कदम जनता की सहायता से ही उठाना चाहिए अधिक शक्ति के प्रयोग और अधिक व्यक्तियों के सर फोड़ने का विचार आप को किसी रूप मे सहायक सिद्ध नहीं होगा । प्रथम दृष्टि में तो यह पाया गया है कि पुलिस ने अत्याचार किये हैं । पुलिस आयुक्त राज्यपाल तथा अन्य ऐसे ही उत्तरदायी व्यक्यिों ने पिछले दो तीन दिन में कहा है कि पुलिस को अनावश्यक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि पुलिस अब तक ऐसा करती रही है । पुलिस वाली घाट में रहने वाले व्यक्तियों के घर पर दिन को तीन बजे गई तथा उसके दरवाजे तोड़ दिये और घर में घुस कर उन्हे उनके बच्चों और उनकी स्त्रियों को पकड़ कर बाहर घसीट लिया । मैं उन व्यक्तियों से भी मिला जिन्होंने यह अत्याचार अपनी आँखों से देखा था । दिन को पाँच बजे तक यह काण्ड चलता रहा उसके पश्चात उन्हे लारियों में भर कर नहर की दूसरी और लाया गया उनमे से तीन चार को गोली मार दी गई तथा अन्यों को हवालात में बन्द कर दिया गया । पश्चिम बंगाल में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें लोगों को हवालात में पीटा गया है । तथा उनके चोटें आई हैं यहां तक कि कुछ लोग वहीं मर भी गये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि शव परीक्षा की रिपोर्ट को कभी मृत कवित्त के संबन्धियों को नहीं दिया जाता । गोली लगने से या पीटने से मृत्यु होने पर भी सबकी परीक्षा की जाती है किन्तु सम्भवत: किसी ने शव परीक्षा की रिपोर्ट देखी ही नहीं होगी । संबद्ध कवित्तयों को तत्सन्बन्धी कोई जानकारी नहीं दी जाती ।

पुलिस को ये शक्तियां प्रदान करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पुलिस वाले अपने आपको मालिक समझ बैठे हैं । यह हमारे विधान पर एक धब्बा होगा । इसका परिणाम हिंसा को कम करना नहीं होगा बल्कि कानून को और अधिक तोड़ना होगा मौजूदा कानून किसी व्यक्ति को एक स्थान से हटाने के लिए काफी है । बिना दोष के, बिना जाँच के जेल हो सकती है, इसके लिए कोई कानून नहीं है । हम सभी को यह अनुभव करना चाहिये कि निर्वाचित बुरी सरकार बिना निर्वाचन वाली सरकार से अच्छी होती है । दुनिया के इतिहास में हिंसा के प्रयोग से कभी भी हिंसा समाप्त नहीं हुई है' हिंसा के प्रयोग से हिंसा और बढ़ी है ।

लार्ड अटकिलन ने ठीक ही कहा था कि हमारा कानून हमें गवाही से शक, शक से नजर-बंदी और नज़रबंदी से जेल की ओर ले जाता है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : राज्य के कृत्यों के विकास में राज्य, पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर गया है' हर राज्य का पहला काम कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना है। अतः जब हम कल्याणकारी राज्य की बातें करते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना है। पुलिस दल एक जरूरी बुराई है। जब राज्य की स्थिरता तथा सामाजिक ढाँचे के लिये कोई खतरा होता है तो राज्य को मजबूर होकर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। जब सर्वसाधारण का जीवन खतरे में हो, जब वह इस स्थिति में भी न हो कि अपने घर से दफतर तक जा सके, तो क्या यह राज्य का कर्तव्य नहीं कि समाजविरोधी तत्वों का दमन करे। शुरु शुरु में नजरबंदी कानून के हम खिलाफ थे, वास्तव में भारत के इतिहास में अगर कभी नजरबंदी कानून की जरूरत महसूस हुई है तो वह अब हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधीन भी, ताकत के उपयोग ही नहीं बल्कि ताकत के उपयोग के खतरे पर भी पाबंदी लगायी गयी है सुरक्षा परिषद् को जब यह आभास हो जाता है कि किसी राज्य की सुरक्षा खतरे में है, तो वह हमलावर को "और आगे न बढने से रोकने के लिये उचित कदम उठाती है। इस प्रकार राज्य असहाय होकर समाजविरोधी तत्वों को कैसे सहन कर सकता है? राज्य हत्याओं की आज्ञा कैसे दे सकता है? राज्य हत्यारे को बाद में दंडित करेगा लेकिन हत्या की रोकथाम वह कैसे कर सकता है। और वास्तव में इसी बात की ज़रूरत भी है। जान जाने के बाद वापिस नहीं आ सकती। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुये नजरबंदी कानून की व्यवस्था की गई है।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : नज़रबंदी कानून का मैं स्वयं दो बार शिकार हुआ हूँ। हमने अनुभव से देखा है कि नज़र ंदी कानून को तस्करी वालों, चोर बाज़ारी करने वालों, जमा-खोरों तथा समाजविरोधी तत्वों के स्थान पर अल्पसंख्यकों तथा राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध लागु किया गया है। मुसलमानों को पिछले 23 वर्षों में कोई मान्यता नहीं मिली और न ही उनकी सराहना की गई। बिधान के होते हुए भी उनकी निर्मम हत्या का प्रचंड नृत्य चलता रहा।

सन् 1965 में भारत-पाक युद्ध से दोरान 1147 अल्पसंक्ष्यकों को, जिनमें मैं भी शामिल था, को नज़रबंद किया गया। इन 1847 लोगों में से केवल 300 पाकिस्तानी थे। मेरे विरुद्ध यह दोष लगाया गया कि मैं विदेशी सरकार को सेना के रहस्य भेजता हूँ। मैं पिछले 29 वर्षों से निर्दलीय सदस्य रहा हूँ। इसलिये मैं सदन के सामने लाये गये इस कानून की निंदा करने योग्य हूँ।

पुलिस अधिकारियों की ज्यादतियों की मैं हमेशा निंदा करता आ रहा हूँ। मैंने पश्चिम बगाल के गवर्नर से कहा था कि हम समाजविरोधी तत्वों द्वारा पुलिस तथा पुलिस द्वारा नागरिकों पर की गयी हिंसक कार्यवाही की निंदा करते हैं। अध्यादेश जारी होने से पहले कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर ने मुझे बताया कि नज़रबंदी कानून हो या नहीं पुलिस अधिकारी तो गोली चलायेंगे।

आप पुलिस को इस कानून के अधीन अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की कोशिश कर रहें हैं। उनके पास पहिले ही असाधारण शक्तियाँ हैं। दमन, हिंसा और क्रूरता से पूर्ण कानून हमेशा उसी मंजिल पर पहुंचे हैं जहां आज साम्यवादी रूस और चीन हैं। बंगाल के लोग प्रजातंत्र के नाम पर चलाये गये इस नृपशंस कानून के विरुद्ध विद्रोह कर उठेंगे। यह कोई हल नहीं। हिंसा से हिंसा का हल नहीं होता। यह कोई तरिका नहीं है।

हमने हिटलर तथा मसोलनी सरीखे वीर सेनानियों को भी गिरते देखा है। अर्जित बुराइयों, खंडित शपथों, नृशंस शासन वाला यह कांग्रेस प्रशासन भी कभी न कभी ऐसे गिरेगा कि फिर भी यदि प्रधान मंत्री इस कानून को वापिस ले लें तो पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल में विश्वास की लहर उमड़ेंगी।

क्या मैं प्रधान मंत्री से अपील कर सकता हूँ कि वह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस कानून को वापिस लें। उन्हें पुलिस द्वारा सताये गये, पीटे गये तथा जेल में ठोंसे गये निर्दोष लोगों को रिहा करना चाहिये। दमनचक्र द्वारा बर्तानिया सरकार भी अपने साम्राज्य को नहीं बचा सकी और इसी तरह यह सरकार भी दमनचक्र द्वारा बंगाल को नहीं बचा सकती। अपनी स्थिति को मज़बूत बनाना तथा लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करना प्रधान मंत्री का अपना काम है। उन्हें कडे कानूनों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, उन्हें पुलिस को अधिक हिंसा करने की शक्ति नहीं देनी चाहिये क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति तथा विश्वास उठ जावेगा।

Shri Madhu Limaye (Manghyr) : This legislation, is not withdrawn, is likely to take away the freedom of the people of West Bengal. It has no relation what so ever with the Naxulites. Any strike in Bengal will be an offence under this law. Ten years unprisonment for subversive activities have been laid down under section I or this legislation. Are the hon. members this going to support such a draconian measure ? Atleast I am not going to support legislation. I am here for the freedom of speech.

Shri Nanda has himself admitted that the theft on the Mugalsarai Yard is of the orders of Rs. 54 crores annually. Government has not brought any measure to check this theft. The Govt. appears to be unmoved over this theft and acts or subversion which are order or the day. In view of section 15 or Cr. P.C. there is the no reason why Government should bring such a measure. Under this section any suspected person can be arrested by the Police without any order or warront from a Magistrate.

Now I come to the preventive Detention Act. Under clause 12 and 11(4), a detained person cannot take the asistance of Lawyer for depending his case. None can imprison him for twelve months. This is a dangerous legislation and this house should not support it..... (*Interruption*).

श्री खिदेव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : इस अधिनियम के लिये मेरा विरोध संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण की सुरक्षा की भावना से भी है। पश्चिम बंगाल सरकार को गोली चलाने की आज्ञा दी हैं। नजरबन्दी कानून का मसौदा बना भी नहीं था कि कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने संवाददाताओं से कहा कि नजरबन्दी कानून हो या न हो हम तो गोली चलायेंगे।

हिन्दुस्तान टाईम्ज़ के पत्रकार श्री अजीत भटाचाय ने पुलिस गोलोकाण्ड का एक मार्मिक विवरण 17 नवम्बर 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्ज़ में प्रकाशित किया है। रिवोल्वर से लैस सादे कपड़े पहनने वाले पुलिस वालों ने 10 दिनों के अन्दर 21 व्यक्ति गोली से उड़ाये हैं। ये सादे कपड़े वाले पुलिस के गुन्डे हैं जो राजनैतिक विरोधियों को गोली से उड़ाने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पश्चिम बगाल में हिंसात्मक गतिविधियाँ बढ़तीं जा रही है। परन्तु ऐसा केवल भारत में ही नहीं है अपितु विश्व में है। अमरीका के देहातों में गुरिल्लों की गतिविधियाँ जोरों से चल रही हैं। क्या अमरीकी सरकार ने इनसे निपटने के लिए निवारण नजरबन्दी कानून लागू किया है। बलिया घाटा में 19 नवम्बर को चार युवकों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। क्या सरकार ने इसकी जाँच कराई हैं ? पुलिस आयुक्त कह रहे हैं कि चाहे नजरबन्दी कानून लागू किया जाये या नहीं किया जाये, हम गोली चलायेंगे। क्या सरकार इस हिंसा को दबाने की कोशिश कर रही है ?

कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावी आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पुन निर्माण किये बिना पश्चिम बगाल में व्याल हिंसा को रोका नहीं जा सकता। मगर सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नही उठाया। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान शासक हैं उनमें से अधिकाँश लोग सेवानिवृत्ति के कार्य में हैं केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल पुनर्निर्माण का महान कार्य इन लोगों के हाथों में सौंप दिया युवकों के हाथों में प्रशासन का कार्य सौंप दिया जाना चाहिए जिनमें देश के पुनर्निर्माण का महान एवं दृढ़ संकल्प है और जो जनता में विश्वास जगा सकते हैं तभी आज के तरीके से हिंसात्मक गतिविधियाँ रोकी जा सकेंगी। अन्यथा और हिंसा फैला जाएगी।

Shri K. N. Tiwary (Bkttiah) : Several hon. Members have made seathing criticism of the police activities in West Bengal, but none has referred to the incidents looting, murders and notestation of women which are a daily phenomenons there. We are against all sorts of violence whether it is done by police or a section of the people. I would like to ask or two three questions ? Several hon. Members are of the view that Preventive Detention Act is anti-people, and that the police activities there out do the violence of ever the Naxalites. After all violence has to be put down. I would like to ask those hon. Members who have sphen against Un-Preventive Detention Act, what constuctive suggestion they have in there mind to curb violence ? They are always harping on the economic conditions. Is Kerala less poor ? Are the people of Kerela less literate ? But the Government of Kerela succeeded in putting down violenc effectively. If it was all due to the economic backwardness, there why is it that several industries in West Bengal have been closed ? Why the employees go on stirke frequenly in the Public Sector enterprises ? These are all politically motivated. The aim of those parties is evidently to demoralise the police. Therefore, I would demand that naxalites and such other violent movements be declared illegal. Otherwise the country will be engalped byllre guerilla war.

I would level a charge against the Government that from the very beginning the central Government has been neglecting the law and order problem of West Bengal. I hold this Government responsible for whatever happend in Bengal. Therefore, so as the Preventive Detention Act is concerned of hope that all the patriots and democrats in this against House will support it. At the same time, if the allegtions against the police excesses, carry truth, this also should be enquired. All democratic forces must come togather and make constuctive suggestion so as to curb the growing violence in West Bengal.

भेषजों तथा औषधियों के मूल्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION REGARDING PRICES OF DRUGS AND MEDICINES.

(श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुये)

(SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): It is the fundamental right of a citizen in an independent country, to get medicine at reasonable price at when be needs. But it is deplorable that this Government could not fulfil its primary duty. The Minister, the other day, in his statement said that the prices of drugs and medicines have risen by only 5 to 25 percent. I would like to cite some examples, which would make it clear that the prices of medicines have shot up by 40 percent and in some cases they have even trebled or quadrupled. Eight years ago, the price of one thousand TMH tablets was Rs. 8, but it has gone up to Rs. 40 Similarly, the price of 1,000 pas tablets, six years back, was Rs. 25, but now it is sold at Rs. 90. The prices of almost all medicines of common use have shot up beyond any limit. The Tariff commission had submitted its report on 1968. What step have the Governmen taken on the recommendation contained in that Reports ? The Minister stated the other day that they are studying the report. Things have come to such a pass that the foreign drug manufacturers have earned a profit to the tune of Rs. 70 crores because of the irresponsible attitude of the Government. Neither the manufacturer, nor the Government and nor the consumers know what the actual price of the medicine is.

Some allegations were levelled on the floor of the House against the ruling party that they have collected Rs. 37 lakhs from the drugs manufacturers. The Minister had repudiated this charge. But the Government should appoint a commission or enquiry to enquire into the allegations. Since it has become a Public Scandal, the hearing and taking of evidence in the enquiry Committee should be public.

The drugs price control order was issued with a view to bringing down the price of drugs. But gradually, the prices of essential medicines soared, with the result that the manufacturers earned huge profits. The Tariff commission made its recommendation regarding 18 basic drugs. But the prices of 15 drugs out of 18, have shot up. Now, the Government claims that they have made the consumers benefit by Rs. 20 crores which is a fraud.

I want that an inquiry be instituted into the loss suffered by the consumers as well as the huge profit earned by the manufacturers since the Tariff commission submitted its report. Let a parliamentary committee be appointed to make a probe in to this.

The Delhi Administration has conducted an inquiry and some facts have been brought to the lime light. The prices of novalgen, saridon etc. have risen by 25 percent. The price of laxatives per bottle has risen by Rs. 7 to Rs. 25. There is a shortage of medicines of day-to day use in the market. Besides, sub-standard medicines are also being sold. I would like to know the number of dealers selling medicines at exorbitant rates who have been prosecuted, and also of those who have not been prosecuted ? This Government itself is responsible for this bungling.

The manufacturers could import the basic raw-materials before, but now the import is done through S.T.C. and the raw-materials are distributed by Indian Drugs and pharmaceutical Ltd., Rishikesh. The IDPL sells the raw-material on a price which is three or four

times higher than that prevailing in the international market. It is set up with Russian collaboration, and the machinery is obsolete, which was earlier sent to China and was rejected by them. This factory shows an annual loss to the tune of Rs. 20 crores. The price of B-2 in the international market is Rs. 180 whereas the IDPL sells it at Rs. 988. The international price of photic acid is Rs. 254 whereas IDPL sells it on a price of Rs. 1200. Similarly the Price of Analgine comes to Rs. 5150, whereas the IDPL sells it on Rs. 136. On the one hand, the IDPL market such a huge profit, and on the other, the Government cannot import more than 10 percent of the actual requirement. This huge profiteering is nothing but legalised sanditry. If a medicine costs Rs. 100, an amount not less than Rs. 50 will go into the hands of the Government by way of taxes and profit. Similarly, 82 percent of the total drugs production is carried out by foreign companies. Within one year, their actual investment will return to their hands by way of profit. According to the report of the planning commission, in half of the pharmaceutical companies, the actual investment is made up by them in two years and in the rest in four years. Has the Government made any effort to curb foreign monopoly in drug industry ? I want all the foreign drug manufacturing companies to be nationalised. Similarly, the Government should take stringent action against the manufacturers of substandard medicines.

There is an acute shortage of basic drugs in the country. The Government imports only 10 percent of the actual requirement. If this state of affairs continues it will be impossible to get even 40 percent of the total required medicines. The Government should take immediate steps to remove the shortage.

The Government goes on issuing orders and making amendments to them almost every day. This should be stopped. They should make adequate arrangement to expedite supply of essential major drugs at reasonable prices and in time. The supply of Indian medicines should also be augmented.

The Government should reduce its margin of profit and make the drugs available at reasonable prices ? I want that the Government should reduce the duty inposed on the medicines so that the people can get it at chea per rates, which is his fundamental right.

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : सरकार द्वारा कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भेषज दथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद औषधियों के मूल्यों में कमी हूई हैं विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि चूंकि माँग बड़ गई है, अतः सरकार ने राज्य निगम को 3 करोड़ रुपया की दवायें मगाने का आदेश दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का यह दावा कि दवाओं से मूल्य में कमी हुई है, सच नहीं है।

आम लोगों के दवायें बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं होती। डा० त्रिगुणसेन ने कहा है कि औषधी मूल्य नियंत्रण आदेश के बाद' मांग एकदम बढ़ गई है और लोग अधिक मात्रा में दवाओं का उपयोग कर रहें हैं। वे सरकार की नीति को परास्त करना चाहते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त ने मांग की कि विदेशों कंम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा, सरकार को औषधियों के स्टाक को अपने नियंत्रण में लेना चाहिये। उन उपभोक्ताओं को ओषधियों की आवश्यकता पड़ने नर उपलब्ध कराने के लिये सरकार को चाहिये कि वह वितरण प्रक्रिया को अपने हाथ में ले ले। इन्डियन ड्रग्स एन्ड

फैमेस्यूटिकस लिमिटेड में एक विक्रय विभाग का गठन किया जाना चाहिये जिसका निर्माताओं के स्टाक पर नियंत्रण होगा। हर जिले में औषधियों के वितरण के लिये एजेन्सियों को नियुक्त किया जाना चाहिये। मैं चाहता हुं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री ध० म० केदरिया (माँडवी) : अत्यावश्यक औषधियों की बाज़ार में कमी हों रही है। सरकार की वर्तमान नीति से यह और बड़ेगी। श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा कि सरकार को औषधी के मूल्य का 50 प्रतिशत मुनाफा मिल रहा है। मेरे विचार से, 50 प्रतिशत नहीं। सरकार 85 प्रतिशत मुनाफा कमा रही है। 'क्योरामफेनिकाल' नामक दवा की बहुत कमी पड़ रही है। राज्य व्यापार निगम इसे विदेशों से प्राप्त करने में असफल रही। चूंकि यह दवा सरणीबद्ध मदों में आती है, अतः इसकी सप्लाई करना सरकार का काम है पार्क एडविज ने, जिन्हें इसको निर्माण का लाइसेंस दिया गया, इस कारण से कि नाइट्रोजन संयत्रों में काम नही चल रहा है। इसका निर्माण नहीं किया अतः इसका दाम बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें बहुत घोटाला चल रहा है अतः क्या सरकार इसकी समग्र रुख से जाँच करायेगी ?

मंत्रालय के देश भर में कार्यालय नहीं हैं। अतः सरकारों को पता नहीं है कि वास्तविक माँग कितनी है। केवल औषध नियंत्रक का प्रत्येक राज्य में कार्यालय। मगर जब मंत्रालय ने कोई निर्णय करना है, तो उनसे सप्ताह नहीं लेता। अतः मैं चाहता हुं कि मूल्य के मामले में जब निर्णय किया जाना है, तो औषधि नियंत्रक से भी परामर्श किया जाए।

जहाँ तक औषधियों की लागत का सवाल है, सरकार आठ से ग्यारह प्रतिशत तक बिक्री-कर और केन्द्रीय-कर के रूप में, 20 प्रतिशत तक सीमा कर के रूप में तथा साढे सात से दस प्रतिशत तक उत्पादन शुल्क के रूप में लेती है। तीन से चार प्रतिशत तक चुंगी तथा बैंक कमीशन के रूप में और 10 प्रतिशत पेकिंग शुल्क के रूप में लेती है इस प्रकार औषधियों के मूल्य का 55 प्रतिशत तक सरकार को मिलता है। आगे निर्माता लोग 15 प्रतिशत मुनाफा लेते हैं और थोक बिक्रेताओं को क्रमशः 15 प्रतिशत मुनाफा मिलता है। इ प्रकार 100 रुपए को औषधि के निर्माण के लिए आवश्यकता कच्चे माल काल का मूल्य केवल 15 है। 'फॉलिक अम्ल' का अन्तरर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति किलो ग्राम 250 रुपए है जबकि भारत में इसका मूल्य प्रति किलोग्राम 1300 रुपए है फिर भी सरकार कह रही है औषधियां उचित दर में बेची जा रही है अतः सरकार को औषधि उचित दर में उपभोगताओं को उपलब्ध कराना चाहिए। सरणीकृत मद की जो भी दवा हो, उसके आयात का लाइसेंस छोटे और मध्यम स्तर को निर्माताओं को कम से कम छः महीनों के लिए दिया जाना चाहिए। आशा है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री ओबो प्रभु (उदीपी) : 1952 में देश में औषधी उद्योग में कुल पूंजी 24 करोड़ रुपये थी और उत्पाद 56 करोड़ रुपये का हुआ। 1967 में कुल पूंजी विनियोजन 200 करोड़ था और उत्पादन 250 करोड़ रुपये था। हम हर प्रकार की दवा तैयार करते हैं। प्रशुल्क आयोग ने मान लिया है कि भारत में दवाओं का मूल्य अन्य देश की अपेक्षा कम है। इस उद्योग से हमें निर्यात से 6.5 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। औषधि उद्योगों में कुल 275,000 मजदूर काम कर रहे हैं।

सरकार ने औषधि उद्योग के साथ वही व्यवहार किया जो अपराधी लोगों के साथ किया जाता है। 1963 में, चीन के हमले के बाद मूल्य को स्थिर किया गया। इन सारे वर्षों में, अन्य चीजों में भारी वृद्धि होने के बावजूद भी, औषध उद्योग ने बाज़ार में दवाओं की कम दर में सप्लाई की। 1969 से मंत्री महोदय ने यह जाँच की थी कि क्या औषध उद्योग हमारे अस्पतालों को मूल्य में विशिष्ट दवाओं की सप्लाई कर पाए हैं। उद्योग ने अपना सुझाव दिया था। पता नहीं कि उस पर आगे क्या हुआ। मगर उचित दर में लोगों को औषधियों की सप्लाई नहीं की जा सकी। पिछली जनवरी में मंत्री महोदय ने नारिफ आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जो कि दो साल पूर्व प्राप्त हुई थी। मंत्रालय ने यह प्रतिवेदन अब तक खटाई में क्यों रखा था? जब प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था, मंत्री महोदय ने उद्योगों को सुझाव दिया था कि वे औषधियों के मूल्यों में 25 से 50 प्रतिशत तक कम करें।

औषध उद्योग ने 44 प्रतिशत औषधियों के मूल्य कम कर दिए और 40 प्रतिशत औषधियों के मूल्य वहीं रहे और उन्होंने केवल 16 प्रतिशत औषधियों के ही मूल्य बढ़ाए। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि औषधियों के मूल्य में कमी हुई है, वृद्धि नहीं।

औलध उद्योग ने मूल्य में भारी कमी करने का सुझाव दिया है। सरकार को उनके सुझाव स्वीकार कर लेने चाहिए। सरकार को इस तथ्य को महसूस करना चाहिए कि प्रशुल्क आयोग ने यह सुझाव दिया था कि विश्व के मूल्यों की तुलना में हमारे देश में मूल्य बहुत कम है।

यदि दवाइयों के अधिक मूल्य लिए जाएगें तो उससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा होगा सरकार ने जनता को उक्त सरक्षण का आश्वासन न देकर अपने प्रमुख कत्तव्यं का पालन नहीं किया।

मूल्यों को बढ़ाने के अनेक कारण हैं जैसे सरकार द्वारा गलत नीति अपनाना और जल्दी में निर्णय लेना। इसके परिणाम स्वरूप एक इमानदार आदमी भी यह नहीं जानता कि उसको कितना मूल्य लेना चाहिए। सरकार को अपना निर्णय स्पष्ट कर लेना चाहिए और निर्णय एक बार करना चाहिए।

मद्रास के कारखाने में ऐसे उपकरणों का निर्माण हो रहा है जो अब प्रयोग में नहीं लाए जाते। ऋषिकेश स्थित प्रतिजीतणु कारखाना अपनी क्षमता से 20 प्रतिशत कम उत्पादन कर रहा है। इस कारखाने के अक्सर खराब हो जाने के कारण इस कारखाने में निर्माण किए जाने वाले औषधि का मूल्य आयात की जाने वाली औषधियों से अधिक होता है। सरकार अपने उद्योगों की अक्षमता के लिए उपभोक्ता और उद्योग को दोषी ठहरा रही है।

वर्ष 1960 के बाद श्रमिकों की मजदूरी 74 प्रतिशत बढ़ गई है। देश में दवाइयों के बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया जाता है। यदि आधुनिक दवाइयों का प्रयोग करना है तो नए आविष्कार करने होंगे। सरकार ऐसा तब ही कर सकेगी जब उसके पास धन होगा। मुझे आशा है कि दवाइयों के मूल्य में कमी होगी और उक्त उद्योग के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा क्योंकि इस उद्योग ने जनता की सेवा की है।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : अमरिकी अर्न्तराष्ट्रीय विकास अधिकरण को हमें कई औषधियों का मूल्य 1000 प्रतिशत अधिक देना होता है। जिन्हें खदीद हम बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं। देश के बड़े बड़े औषधि निर्माण कर्त्ताओं ने गत 15 वर्षों में बहुत धन कमाया है। यह बहुत शर्म की बात है।

दुर्भाग्य से दवाइयों के ऊंचे मूल्यों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सरकार विदेशों से अधिक मूल्य पर दवाइयां खरीदकर देश की कीमती विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है।

सरकार ने दवाइयों की कीमत कम करने की घोषणा चुनाव के उद्देश्य से की है। यह एक नया नाटक खेला गया है।

1 अगस्त, 1970 को कुछ उत्पादकों ने कुछ दवाइयों के मूल्य कम कर दिए लेकिन अन्य दवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। 19 अगस्त, 1970 को सरकार का यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दवाइयों के मूल्य 15 मई 1970 से पूर्व वाले होंगे। लेकिन खंड 7 के अनुसार उन्हें लागत से 75 प्रतिशत कीमत रखने की अनुमति दी गई है। इसमें 40 प्रतिशत भाग उत्पादकों को जाएगा और 35 प्रतिशत व्यापारियों को। व्यापारियों ने 15 मई को दवाइयों के मूल्य लगभग दुगने कर दिये थे। इस प्रकार निर्माताओं को 8 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होने लगा है।

इससे पूर्व एक व्यापारी मिल्क आफ मैगनेशिया की एक बोतल 1.95 रुपये की खरीद कर 2.12 रुपये की बेच सकता था। लेकिन आज उसे एक बोतल 5.21 रुपये की खरीदनी पड़ती है। और 5.79 रुपये की बेचनी पड़ती है।

निर्माताओं को 1.95 रुपये की लागत की मिल्क आफ मैगनेशिया की बोतल 5.21 रुपये को बेचने का अधिकार हो गया है। अतः उन्हें इतना अधिक लाभ मिला रहा है जबकि गरीब छोटे फुटकर व्यापारियों को केवल 12 प्रतिशत लाभ मिलता है।

बंगाल कैमिकल्स, बंगाल इम्यूनिटी और सैन्डोज ने अपनी दवाइयों के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं।

व्यापारी 15 मई, 1970 से 10 से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य लेने पर मजबूर हो रहे हैं। अतः उपभोक्ताओं को 15 से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ रहा है।

हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का औषधियों की आयात होता हैं और इस अवधि में कुछ निर्माताओं ने 7 करोड़ से 8 करोड़ का लाभ प्राप्त किया है। मुझे अपने मित्र से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 'सैन्डोज' को मूल्य बढ़ाने की अनुमति मंत्रियों की साँठ-गाँठ से की गई है।**

सभापति महोदय : मैं पहले ही आप से निवेदन कर चुका हूं कि यदि आप किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष महोदय को इसकी पूर्व सूचना दें।

श्री ज्योतिमय बसु : **

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as order by the chair.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Drugs Department should be under the Health Ministry and not the Petroleum and Chemicals Ministry. The medicines which are commonly used have gone out of stock. They are not available in the market. Government should take steps to bring the prices of drugs.

As a result of Government' announcement to control the drugs prices, the drugs and medicines went underground. Thus the people could not obtain the benefit of low prices.

Some private factories purchase rejected materials from Pimpri and Rishikesh fatcories and they use that substandard materials for manufacturing drugs and thus play with the lives of the people. This matter should be looked into and steps should be taken to prevent them to play with the lives of the people. Such manufacturers should be given severe punishment.

It has been stated that Government will open some shops where patent drugs will be available at cheaper rates. Such arrangement should be made in villages also.

The only solution to the soring prices is to flood the market with drugs and increase the production.

The Government should make investigation into the cause of rise in the prices of drugs. The prices of drugs have gone very high and they have not stabalised despite the efforts made by the Government. A high level enquiry committee should be appointed to go into this matter.

Shri Randhir Singh (Rohtak): Drugs serve the basic needs of the people. The Government should make necessary arrangements to make drugs available at cheaper rates.

Poor people of our country cannot afford to purchase costlier drugs. People succumb to their ailments because they cannot get drugs at cheaper rates.

Adulteration in drugs and injections should be stopped. There should be large scale production of drugs to bring down the prices.

The manufacturers of drugs are earning crores of rupees. The Government should nationalise the big drug manufacturing concerns. Their nationalisation will lead to greater production. Government should ensure availability of drugs and medicines to the poor by large.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सरकार दवाइयों के मूल्य कम करने में कोई कसर नहीं उठा रक्खेगी। लेकिन यह काम कुछ दिनों या एक बार के प्रयास में पूरा नहीं हो सकता। मैं आलोचना का स्वागत करता हूं परन्तु उसमें राजनीति को नहीं जाना चाहिए।

औषधियों के निर्माताओं, वितरको स्टाकटो, थोक तथा फुटकर व्यापारियो ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वह सरकार के इस मत से सहमत हैं कि दवाइयो का मूल्य उनके लागत तथा वितरण मूल्यों को देखते हुए उचित होंगे। इसके लिए बड़े निर्माताओं को अपने लाभ का एक बढ़ा हिस्सा उपभोगताओं के लिए त्यागना होगा। औषधि नियन्त्रण अधिनियम के परिणामस्वरूप जीवन बचाने वाली औषधियों के मूल्यो में भारी कमी हुई।

यह सच है कि कुछ फर्मों ने अगस्त से अपने कुछ औषधियों के मूल्य बढ़ा दिये हैं लेकिन उसका तीव्र विरोध किया गया और शीघ्र फर्मों को अपने उत्पांद 12 मई के मूल्य पर बेचने का आदेश दिया गया। इस संबंध में औषधि निर्माण करने वाली फर्मों से बात चीत की गई थी 53 ऐसी फर्मो ने, जिनमें कुछ विदेशी पूंजी भी लगी है, अपने 55 प्रतिशत उत्पादों के मूल्यों में कमी कर ही है। उनके 33 प्रतिशत उत्पाद की कीमतें 15 मई से पहले वाली रहेंगी और 8 प्रतिशत उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी और बाकी को प्रतिशत उत्पाद नये हैं। बड़े, माध्यमिक तथा छोटे दर्जे के ऐसे उद्योग को, जिन्होंने हाल ही में काम आरम्भ किया है, औषधियों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति देनी होगी क्यों कि कच्चे माल की कीमते बढ़ गई हैं। ऐसे मामलों में भी यह वृद्धि 12 प्रतिशत है पुनरीक्षित मुल्य सूची जनवरी 1970 लागू की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जनसमुदाय को 20 से 25 करोड़ रूपये तक का लाभ होगा। ऐसा नियन्त्रण आदेश के परिणाम स्वरूप सम्भव हुआ है। हम इस बारे में चुप नही बैठे हैं इस बारे में दूसरी व्यस्था यथा समय की जाएगी।

प्रशुल्क आयोग का प्रशिवेदन 1968 में प्राप्त हुआ था। इस बारे में इस निकर्ष्ष पर पहूंच गया कि भारत में औषधियों के मूल्य अन्य देशो कीं तुलना में अधिक हैं। इसके पश्चात हमारे मन्त्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध सगठनों से मूल्यों का निर्धारित पुनरीक्षित करने के बारे में सलाह की स्वास्थ्य मन्त्रालय ने सरकार को सप्लाई करने वाली औषधियों के मूल्य कम करने और अस्पतालों में औषधियों की चोरी रोकने के लिए कार्यवाही की है।

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने औषधि निर्माताओं की एक समिति का गठन किया था। इसके पश्चात स्वास्थ्य मंत्रालय इस निष्कर्ष यर पहुँचा कि जनसमुदाय को लाभ पहुँचाना है तो जनता के प्रतिदिन के योग में आने वाली औषधियों के मूल्य कम करने होगे।

औषधि निर्माताओं से औषधियों के भारत में अधिक मूल्य होने के बारे में कहा गया और उनसे कहा गया गया कि वे इस बारे में अपने सुझाव दें उनसे अनुरोध किया गया कि वे औषधियों के उचित मूल्य निर्धारित करने के बारे में जिसमें अनुसंधान संबन्धी वास्तविक लागत और उनका लाभ भी शामिल हो, अपने सुझाव दें। इस बारे में विलम्ब होने का यही मुख्य कारण था।

दुर्भाग्य से औषधि निर्माता औषधि के लागत मूल्य बताने पर सहमत नहीं हुये। चूंकि दवाइयों के लागत मूल्य उपलब्ध नहीं हुए इस लिए इस संबन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका

यह स्पस्ट है कि उक्त मामला बहुत पेचिदा है और यदि सरकार औषधियों उचित मूल्य निर्धारित नहीं कर पाती तो वह अपने कर्तव्य के पालन में असफल रहती है।

सरकार की यह नीति रही है कि प्रारम्भिक चरण में देश में औषधियों का निर्माण करने वाले निर्माताओ को, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर सरकारीं क्षेत्र में, संरक्षण दे। यह सर्वदित है कि देश में निमित की जाने वाली औषधियों का मूल्य आमानित औषधियों के लागत बीमा भाड़े मूल्य की तुलना में अधिक हैं। इसके मुख्य कारण औषधियों का छोटे पैमाने पर निर्माण करना तथा आयात उपकरणों के ऊंचे मूल्य जिनमें माढ़ी भी शामिल है। आप इस बात से सहमत होगे कि मूल औषधियों का निरन्तर आयात इस कारण नहीं किया जा सकता कि वे सस्ती हैं।

राज्य व्यापार निगम को इन औषधियों पर कोई लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य सरकार निगम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खर्च तथा कमीशन लेता है, 'पूलिंग' प्रणाली 1969 में चल रही प्रणाली में सुधार है। राज्य व्यापार निगम ने उक्त प्रणाली के अन्तर्गत लाभ कमाया लेकिन अब वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम लाभ नहीं कमा सकता। अतः इसकी आलोचना करना उचित नहीं।

स्ट्रैप्टोमाइसिन का हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, आई०डी०पी०एल० और एलोन्बिक द्वारा निर्माण किया जाता है। आयातित माल की कीमत 356.16 प्रति किलो ग्राम है आई डी०पी०एल०का लागत मूल्य 446 प्रति किलो ग्राम है। लेकिन हमने इसका 'मूल' मूल्य 295 रूपये प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया है।

आई०डी०पी०एल०द्वारा निर्मित टैटरा साइक्लीन का लागत मूल्य 820 रूपये प्रति किलो ग्राम है। लेकिन सरकार ने इसका मूल्य 650 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली-सदर अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी में सारा मूल्य कितना है ?

श्री डा० त्रिगुण सैन : 652.13 प्रति किलो ग्राम

श्री कंवर लाल गुप्त : तिगुना मूल्य ?

श्री डा० त्रिगुण सैन : हम पहले देश के निर्माताओं को प्रोत्साहन देते हैं .....

श्री कंवर लाल गुप्त : वह सभा को गुम राह कर रहे हैं।

डा० त्रिगुण सैन : मुनाफा कौन ले रहा है ? देशी दवाओं की कीमत सदैव ज्यादा होती है, मगर फिर भी हमें उनका उत्पादन करना चाहिये। श्री गुप्ता का प्रश्न यह था कि इन्डिया ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि० और राज्य व्यापार मुनाफा कमा रहे हैं अथवा नहीं।

मैंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि औषधियों की कीमतों में कमी हुई है। आयातित एनल्जीन का मूल्य 81.14 रु० प्रति किलो ग्राम है, जब कि इन्डियन ड्रग्स एन्ड फर्मास्युकल्स लि० की उत्पादन लागत 100.16 रु० प्रति किलो ग्राम है।

विभिन्न कारणों से देशी निर्माताओं की उत्पादन लागत आयातित मूल्य की अपेक्षा अधिक होना अवश्याम्भवी है। विटामिन बी-टी का आयातित मूल्य 241.92 रु० है, इन्डियन ड्रग्स एन्ड फर्मास्युटिकल्स लि० उसका उत्पादन नहीं करता, जबकि अन्य भारतीय फर्मो की उत्पादन लागत 955 रु० प्रति किलो ग्राम है। हमने समूह मूल्य 682 रु० प्रति किलो ग्राम निर्धारितकिया है। फोलिड एसिड का आयात-मूल्य 108 रु० है, विभिन्न देशी फर्मो का उत्पादन मूल्य 1600 रु० प्रति किलो ग्राम है, जबकि ईन्डियन ड्रग्स एन्ड फर्मास्युटिकल्स लि० की उत्पामन लागत 2621रु० प्रति किलो ग्राम है। समूह मूल्य 1312 रु० प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है, फिर इन्डियन ड्रग्स थर्मास्युटिकल्स लि० किस प्रकार लाभ कमा सकता है ?

औषधियों की उपलब्धता और कमी के बारे में आशंका व्यस्था की गयी है। इस प्रकार की कार्यवाही करने पर कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य ही उपस्थित हो जाती है और विभिन्न हितों के

टकराव के कारण बाजार की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। हमने कच्चे माल की आयात-नीति को उदार बनाया है, ताकि छोटे-बड़े सभी निर्माताओं को उनकी उत्पादन-आयना के बराबर कच्चा माल उपलब्ध हो सके।

स्वास्थमन्त्री राज्य सरकारों को पत्र लिखा हैं ।और औषधि नियंत्रक और औषधि तथा विवरण प्रक्रिया के निरीक्षक स्थिति की निगरानी कर रहे हें। मैं भी इस बारे में सम्पर्क बनाये हुये हुं ताकि किसी भी क्षेत्र मैं कमी की स्थति पैदा होने पर उसका समाधान किया जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि आई०एन०एच०और पी०ए०एस० की कीमतों मैं 1962-67 के दोरान बृद्धि हुई है। जबसे मैं सरकार में शामिल हुआ तब से ही मैं इसबात का प्रयास करता रहा हू कि कीमतों मैं कमी हो।

टैरिस आयोग को रिपोर्ट से बारे मैं यह कहा गया कि एक औषधि को छोड़कर अन्य औषधियों की कीमतों मैं बृद्धि को गई है। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार पेन्सिलिन और स्ट्रेप्टो-माइसिन को छोड़ कर अन्य ओषधियों की कीमतों मैं कमी हुई है, पेन्सिलिन और स्ट्रेप्टो-माइसिन की कीमतें स्थर रही है। अतः श्री कंवरपाल गुप्त की सूचना सही नहीं है।

यह भी कहा गया है कि ऋषिकेश के कारखाने से अवधि-वाहय पुरानी और घटिया किस्म की औषधियाँ बेची जाती है। उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा प्रत्येक ओषधि निर्माण कारखाने में सख्ती से किस्म-नियन्त्रण और निरीक्षण किया जाता है।

पहली अगस्त को औषधि नियन्त्रण आदेश जारी किया गया और 7 अगस्त को 'स्टेटसमैन' में बडे बडे अक्षरों में यह प्रकाशित हुआ था कि कुछ जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में 400 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।' मैं इस सब से अवगत हूं।

श्री लोबो प्रभु ने "फोरम आफ फ्री एन्टरप्रइज" नामक पुस्तक से उद्धहरण देते हुए कहा कि मई, 1970 से पहले औषधियों की कमी और उनकी कीमतों के बारे में किसी ने आक्रोश व्यक्त नहीं किया और इसलिए सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी शंका उन्होंने यह व्यक्त की भी कि चीनी आक्रमण को दृष्टिगोचर रखते हुए सरकार प्रथम औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश 1663 में जारी किया जिसके अनुसार बिना पूर्व अनुमति के निर्माता औषधियों के मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सकते थे और परिणाम स्वरूप उद्योग का विकास रुक गया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जब कोई नइ औषधि बाजार में आती है तो आरम्भ में उसका मूल्य ज्यादा होता है क्योंकि उसमें भारी उत्पादन लागत और अनुसंधान व्यय शामिल करना होता है।

इसी सदन में औषधियों से भारी मूल्यों के बारे में घोर आक्राशं व्यक्त किया गया था। सीनेटर कीफौवर समिति के अनुसार एन्टीबायोटिक्स, आरोमाइसीन के और एक्रोमाइसीन की की कीमतें भारत में सारे विश्व में सर्वोच्च हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय और औषधि मूल्य में प्रतिलोम अनुपात है।

यह तर्क किया गया कि 1962 के पश्चात औषधि निर्माताओं ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया। परन्तु पिछले दों वर्षो के आंकड़ों से पता चलता है कि 1968-69 के दौरान 45 औषध निर्माण फर्मो ने 142 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की जो 1969-70 में बढ़कर 164.3 करोड़ रुपये हो गई जबकि साराशं रायल्टी और तकनीकी जानकारी के शुल्क आदि के रूप में इन फर्मों ने 1968-69 में 361.46 लाख रुपये की धनराशि विदेशों को प्रेषित की। जो 1969-70 में बढ़कर 437.69 लाख रुपये हो गई। सिवा (सी० आई० बी० ए०) कम्पनी को छोड़कर अन्य किसी भी औषधि कम्पनी ने अपने लाभ का अंश मात्र भी अनुसंधान पर व्यय नहीं किया।

श्री लोबो प्रभु : टेरिक आयोग द्वारा 20 प्रतिशत लाभ की सिफारिश की गई परन्तु लाभ की सीमा पन्द्रह प्रतिशत ही निधारित की गई है।

डा० त्रिगुण सेन : स्विटजरलैंड में बड़े औषध निर्माताओं ने भी यही आशंका व्यक्त की थी कि 15 प्रतिशत लाभ से किस प्रकार उद्योग का विकास हो सकेगा ? मैंने उन्हें यह बताया कि औषधियों की कीमत में कमी होने पर उनकी बिक्री में वृद्धि होगी। पिछले दो तीन महीनों में औषधियों की माँग चार अथवा पाँच गुनी बढ़ चुकी है।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार 15 दिसम्बर, 1970/24 अग्रहयण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 15th December 1970 Agrahayana 24, 1892 (Saka).

M. L. Manchanda & Co. Faridabad.—340